Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६०, का १३वां दिवस [संख्या ८

१५९७] [१५९८

सोमवार, दिनांक ७ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ८ मिनिट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, राजस्व, गृह, योजना, विकास, जन-सम्पर्क, विद्युत, यातायात, जल प्रदाय, सामान्य प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण-विकेन्द्रीकरण तथा समाजकल्याण विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । डॉ बहादुर सिंह ।

गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर, में भर्तियां

२३१ डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : Will the Education Minister be pleased to state:—

1. What is the number of students passing in the III Division admitted in various classes of the Government College, Ajmer ?

2. What is the number of students passing in the II Division who filled up the forms and were denied admission ?

3. What were the reasons of giving preference to 3rd Divisioners as against 2nd Class students ?

4. Were the students seeking admission in Preparatory (Science Biology) Class with II Division refused admission and a III class student given admission instead, their names being Shri Vijay Mathur and Shri Sita Ram respectively ?

5. Was a student named Shri Oswal Fernandez, 2nd Divisioner Matric refused admission while two students, Shri Prem Narayan Simlote and Shri Narendra Singh Routella given permission in the same class i. e. Preparatory Arts ?

6. Was a student Shri Rajendra Sharma who was once formerly suspended in the same Callege and who is a III Divisioner given admission in B.Sc. (Science-Maths) while many

Page No.2

(डॉ॰ बहादुरसिंह)

students refused admission in the same class ?

7. Would the Government be pleased to look into the news covered by a weekly paper 'Nyaya' dated 25th July, wherein specified charges of illegal admissions have been made and clarify the position ?

उप मंत्री शिक्षा विभाग (श्री पूनमचंद बिश्नोई) : 1. 275

2. 112.

3. No third divisioners were given preference over second divisioners. One second divisioner who was refused admission to Pre-University Biology class applied much too late, when the classes were already over full and the one who was refused admission to Pre-University Arts appeared to be a somewhat undesirable sort of youngman at the Interview. The 31 second divisioners could not be given admission to Pre-University Mathematics because the college has provision for two sections only i. e. for 120 students. Admissions were given strictly according to merit and these second divisioners did not come in the merit list.

4. No second divisioner was refused admission to Pre-University Biology class except one who applied for admission after the class was much too full. Vijay Kumar Mathur who had 43.3% marks was admitted to Pre-University Biology on the score of proficiency in cultural activities. There is no student of the name of Sita Ram in the Pre-University Biology class at this College.

5. Yes. Shri Oswal Fernandez was refused admission to Pre-University Arts as he did not have a second division. He had 42.2% marks and he did not come in the merit list. Shri Narendra Singh Koutela and Prem Narain Simlote who had 43.3% and 40.2% respectively were given admission to Pre-University Arts on the score of proficiency in games.

6. There is no student of the name Rajendra Sharma in the III year Science Mathematics at this College. Students getting upto 40% marks in their Inter Science were all given admission to the B.Sc. class.

7. We have looked into the news which appeared in 'Nyaya' and found to be without any basis.

पाली जिले के भूतपूर्व जागीरदारों को बगैर जांच के अन्तर्कालीन मुआवजे की किश्तों की मंजूरी

२३२. श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि पाली जिले में जिन जिन भूतपूर्व जागीरदारों ने जैसे जैसे मुआवजे के दावे पेश किये उसकी बिना जांच किये जागीर कमिश्नर विभाग से अन्त-

Page No.3

(श्री शंकरलाल)

कालीन मुआवजे की किश्तें मंजूर कर दी गई और रुपये भी अदा कर दिये गये ?

(ख) क्या यह सही है कि गांव चामड़ियावास, तहसील सोजत के भूतपूर्व जागीरदार की आय जितनी थी उससे कई गुना अधिक आय बता दी गई और जांच पर शिकायत सही पाई गई ?

(ग) क्या यह सही है कि इसी प्रकार गांव बिरोलिया तहसील बाली, गांव नाना तहसील बाली, बिजापुर तहसील बाली, जुमेताव तहसील सोजत, जोजावर तहसील खारची, सिणला तहसील खारची, आउवा तहसील खारची, सुमेल तहसील रायपुर के सम्बन्ध में भी यही शिकायत है ?

(घ) यदि हां, तो इनकी जांच की गई अथवा नहीं ?

(ङ) यदि हुई, तो क्या नतीजा रहा।

(च) क्या जो अन्तर्कालीन मुआवजा हिसाब से अधिक दे दिया गया वह पुनः जमा कराया गया। यदि नहीं, तो क्यों ?

(छ) यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेवार है और उसके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) पाली जिले में भूतपूर्व जागीरदारों ने जो दावे पेश किये उनको 'जागीर कमिश्नर ने अन्तरकालीन मुआवजे की किश्तें मंजूर करदी और बहुत सों को मुआवजे की अंतरिम किश्तों का रुपया भी दे दिया गया किन्तु यह सही नहीं है कि बिना जांच किये ही दे दिया गया।

(ख) जागीरदार चामड़ियावास ने अपने दावे में माली व अन्य आय बताई उसके आधार पर अन्तरकालीन मुआवजा देने के आदेश दे दिये गये, किन्तु बाद में जब बन्दोबस्ती आय का सही हाल मालूम हुआ तो अंतर्कालीन मुआवजे के आदेश रद्द कर उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतनी आय किस हिसाब से क्लेम की ? चूंकि संपूर्ण आय की पूरी जांच नहीं हो सकी अतः अन्तर्कालीन मुआवजा के संशोधित आदेश जारी किये गये।

(ग) जी हां। पहले जागीरदारों ने जो क्लेम पेश किये उसके आधार पर सरसरी जांच कर अंतर्कालीन मुआवजा दे दिया गया किन्तु जब आय तहकीक की गई तो उस समय मालूम हुआ कि कुछ जागीरदारों को अधिक रकम दे दी गई है; अतः बाद की अंतरकालीन किश्तें न दी जाकर उसमें पहले दी हुई विशेष रकम एडजस्ट कर ली गई या दावे फाइनल के समय पर कर ली जावेगी।

(घ) जाच से जिन जिन को विशेष रकम दे दी गई वह पुनः वसूल करली गई या फाइनल के वक्त कर ली जायगी।

(ङ) विशेष दी हुई रकम बाद में मिलने वाली अंतर्कालीन मुआवजे में से काट ली गई।

(च) जी हां। बहुतों से वसूल कर ली गई और जिनसे होना बाकी है वह कर ली जावेगी।

Page No.4

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(छ) पहले अंतरकालीन मुआवजा जागीरदार द्वारा प्रस्तुत क्लेम के आधार पर सरसरी जांच के पश्चात दे दिया जाता था किन्तु जब विशेष पेमेन्ट के मामले सरकार के नोटिस में आये तो अब आदेश हो चुके हैं कि अंतरकालीन मुआवजा केवल माली आय पर ही दिया जावे और माली आय की भी जांच कर ली जाती है।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है, जैसा कि आपने बताया, बिना जांच नहीं दिया गया; यदि बिना जांच नहीं दिया गया तो सरकारी रकम ज्यादा कैसे दे दी गई ?

श्री अध्यक्ष : सरकार ने जांच की।

श्री दामोदरलाल व्यास : लास्ट क्वेश्चन में लिखा है कि पहले अंतरकालीन मुआवजा जागीरदार द्वारा प्रस्तुत क्लेम के आधार पर सरसरी जांच के पश्चात दे दिया जाता था किन्तु जब विशेष पेमेन्ट के मामले सरकार के नोटिस में आये तो अब यह आदेश हो चुके हैं कि अंतरकालीन मुआवजा केवल माली आय पर ही दिया जाय और माली आय की भी जांच कर ली जाती है। अब यह आॅर्डर दिया गया है कि सैटलमेंट रेंट पर दिया जाय।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि इन लोगों को जब मुआवजा दिया गया तब डिप्टी कमिश्नर जागीर के पास सैटलमेंट के आंकड़े मौजूद थे।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उन्होंने जब क्लेम पेश किया था उस वक्त इस प्रकार के रूल्स या कायदे नहीं थे कि सैटलमेंट के आधार पर दिया जाय, बल्कि उस समय ग्रोस इन्कम देखने का प्रोविज़न था।

श्री शंकरलाल : क्या यह माना जाय कि पहले यह कायदा था कि सैटलमेंट के आधार पर न दिया जाकर जो क्लेम किया जाय उस पर ही मुआवजा दे दिया जाय और बिना जांच के ही दे दिया जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सही है कि जांच करना जरूरी था, लेकिन बजाय पूरी जांच करने के सरसरी जांच करके भी दे दिया जाता था।

श्री शंकरलाल : ऐसी कितनी रकम का ओवर पेमेन्ट हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसे कितने ही केसेज़ अलग अलग जागीरों के अलग अलग हैं। कोई पर्टिकुलर केस पूछें तो बता सकता हूं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : पूरी जांच और सरसरी जांच से आपका क्या अभिप्राय है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पूरी जांच में तो सब बातों को अच्छी तरह से देखा जाता है और सरसरी जांच सरसरी तौर पर कर लेते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जब कि जांच करके मुआवजा देना चाहिये था तो जांच क्यों नहीं की गई ?

श्री अध्यक्ष : जांच तो की गई थी।

श्री शंकरलाल : एडजस्टमेंट हो जायगा, लेकिन ज्यादा रकम देने का ब्याज भी जायगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : ब्याज वगैरह सब एडजस्ट हो जायगा। जो लेना है लिया जायगा और जो देना है दिया जायगा।

गीजगढ़ पंचायत की बैठक में भाग लेने से एक पंच को रोका जाना

२३३. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Home Minister be pleased to state :—

1. Is it correct that Shri Sarwan Mali, a Panch of Geejgarh Panchayat, Tehsil Sikrai, registered a case with the Police that on 22. 11. 1959 he was forcibly thrown into a well by certain persons to prevent him from attending the Panchayat meeting scheduled to be held on that day ?

2. Is it also correct that instead of taking any action on the complaint made by Shri Sarwan, the Police has registered a case against him for attempt to commit suicide by throwing himself into the well ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :
1. Yes, Sir. But the case was registered on 24. 11. 59 on the report of one Shri Ramdhan of Geejgarh.

2. No, Sir. The Police throughly investigated the case reported by Shri Ramdhan and finding it to be false closed the case as unoccurred. On the report of Shri Mool Ch nd Brahmin r/o Parli that Shri Sarwan Mali, Panch Geejgarh, had attempted to commit suicide by jumping into the well and that he had been rescued, a case u/s 309 IPC was registered at P. S. Manpur on 23. 11. 59 and after investigation challan against Shri Sarwan was put up in the court on 18. 12. 59.

श्री पी. के. चौधरी : On the enquiry about the complaint of Shri Sarwan Lal that he was thrown out in the well, whether Shri Sarwan Lal was taken into confidence or whether he was cross examined...

श्री रामकिशोर व्यास : No question of taking him into confidence arise and the allegation of murder was not correct.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that Shri Sarwan Lal produced a number of witnesses that he was thrown in the well ?

श्री रामकिशोर व्यास : The case was investigated.

श्री पी. के: चौधरी : Whether the witnesses were examined ?

श्री अध्यक्ष : There must have been witnesses. Investigation means this.

श्री पी. के. चौधरी : But, Sir...

Page No.6

श्री अध्यक्ष : After that the Police was convinced that it was not so....

श्री पी. के. चौधरी : Is it also correct that there was No-Confidence-Motion passed against the Sarpanch on that very day ?

श्री रामकिशोर व्यास : Yes. I think, it is correct.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that the Collector did not allow that no confidence Motion ?

श्री रामकिशोर व्यास : That I don't know.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत टौंक जिले के लिये स्वीकृत धन राशि में से हुआ खर्च

२३४. **रावराजा श्री सरदारसिंह** [(उनियारा) श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) द्वारा पूछा गया क्या] : योजना मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) प्रथम व द्वितिय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत टौंक जिले के लिये कितनी कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी और वह किस किस कार्य में, कहां कहां खर्च की गई ? कृपया विस्तृत सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) इनमें से कौन कौन से कार्य अभी तक सम्पूर्ण नहीं हुए हैं ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में व्यय की जाने वाली धन राशि का जिलेवार बंटवारा नहीं किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के १६५८-५६ के वर्ष में टौंक जिले में निर्धारित धन-राशि की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। प्रथम व द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में टौंक जिले में व्यय की गई धन राशि की तालिकाएं सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(२) यह सूचना उपलब्ध नहीं है। कुछ योजनाएं तो ऐसी हैं जिनकी प्रगति खर्च की गई धन राशि से आंकी जा सकती है। कंस्ट्रकशन वर्क्स के बारे में यह मालूम करना होगा कि कौनसा काम किस स्टेज तक पहुँच चुका है। इस विषय में सूचना प्रत्येक विभाग से एकत्रित कर उपलब्ध की जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री पी. के. चौधरी : सेक्टरवाइज़ एक्सपेन्डिचर की लिस्ट दी है उसमें १६५६ से अब तक on education the expenditure is not reported. Does it mean that no expenditure has been incurred in 56-57 ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी इसकी रिपोर्ट नहीं आई है कि सरकार ने क्या खर्च किया है। लेकिन मैं समझता हूँ, सभी टौंक जिले वाले जानते हैं कि वहां काफी खर्चा हुआ है।

श्री पी. के. चौधरी : Bu not a single pie has been shown as an expenditure incurred.

Page No.7

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आंकड़े रिपोर्ट के नहीं आने से, नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री पी. के. चौधरी : I have got more question, Sir.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस जिले में कोई कंसट्रक्शन वर्क शुरू नहीं किया गया।

श्री पी. के चौधरी : On Consolidation of holdings, there is expenditure. Does it mean that no consolidation has been done?

श्री अध्यक्ष : कई जिले ऐसे हैं जहां पैसा भी नहीं मिला।

श्री पी. के चधौरी : On Scheduled Caste though Tonk District has got a large number of Scheduled Castes, only 15 th. has been spent on that?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : So what happened?

श्री पी. के. चौधरी : This district is full of Scheduled-castes.

प्रश्न संख्या २३५

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २३६

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २३७

श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

जिलों के रिआर्गेनाइजेशन की स्कीम

२३८. रावराजा श्री सरदारसिंह [(उनियारा) श्री पी. के. चौधरी(फुलेरा) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क)क्या सरकार ने जिलों के रिआर्गेनाइजेशन पर कभी विचार किया है? अगर हां, तो इस प्रश्न पर क्या निर्णय लिया गया है?

(ख) क्या यह सही है कि उसका सब-डिविजन और तहसीलात पर भी किसी प्रकार का असर पड़ेगा? अगर हां, तो क्या और वह परिवर्तन किन किन आधारों पर किया जावेगा?

(ग) क्या सरकार ऐसा करने के पहले निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान देने का कष्ट करेगी :—

(अ) जन संख्या

(ब) एरिया

(स) सोर्सेज़ आॅफ स्टेट रेवेन्यू तथा प्रोडक्शन?

Page No.8

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) मौजूदा सब डिविज़नों और तहसीलों पर क्या असर पड़ेगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी मामला विचाराधीन है और जो प्रस्ताव कमेटी ने सरकार को प्रस्तुत किये हैं उनको अभी बतलाना लोकहित में नहीं होगा ।

(ग) यह व दूसरी जरूरी बातों को ध्यान में रख कर निर्णय लिया जावेगा ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह सरकार के कब से विचाराधीन है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब से रिपोर्ट आई तब से विचाराधीन है।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : यह निर्णय कब लिया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह नहीं कह सकता । जल्दी लेने की कोशिश की जायगी।

डॉ० बहादुरसिंह : जो भूतपूर्व राज्य थे उनकी राजधानियों के बारे में भी विचार किया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सारी बातों पर विचार करेंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सत्य है कि प्राक्कलन समिति ने रिपोर्ट दे दी है कि जिलों की संख्या में कमी की जाय, तहसीलों में कमी की जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास ; प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट माननीय सदस्य को मिल गई है और हमने भी पढ़ी है ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

राजस्थान प्रदर्शनी, १६५६, (जयपुर) पर किया गया व्यय

२३६ **श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा)** : Will the Public Relations Minister be pleased to state:-

It is correct that administrative sanction for incurring expenditure on Rajasthan Exhibition, 1959, Jaipur was given for Rs. 1, 50, 000/- only ? If so, what is the actual expenditure incurred so far on this exhibition by the Director, Public Relations ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : Yes. The accounts of the Exhibition have not so far been finalised, and therefore, a complete account cannot be given at present.

श्री पी० के० चौधरी : t correct that the expenditure has gone over two lacs ?

श्री रामकिशोर व्यास : How can we say it ?

श्री पी० के० चौधरी : Can you say that the expenditure has not exceeded the amount sanctioned ?

श्री रामकिशोर व्यास : It may exceed to certain extent.

श्री पी० के० चौधरी : To what extent ?

श्री रामकिशोर व्यास : That I cannot say.

श्री पी० के० चौधरी : Has the Director taken sanction for the same ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो आयेगी।

श्री पी० के० चौधरी : How did he incur that expenditure then ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो काम करते हैं तो उसमें १—०५ हजार की कमी वेशी हो जाती है।

श्री पी० के० चौधरी : But I wanted a ceiling. How he could exceed that ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

तहसील हिंडौन मेम्बर का पुरा आदर्शनगर को बिजली उपलब्ध कराना

२४० श्री उम्मेदीलाल (करौली सु०) : क्या विद्युत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

क्या सरकार तहसील हिन्डौन मेम्बर का पुरा आदर्श नगर को, जिसके बसाने में सरकार के लगभग ४०००) रुपये खर्च हुए हैं, बिजली देने का इरादा रखती है ? अगर हां तो कब तक ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : और भविष्य में ?

(हंसी)

प्रश्न संख्या २४१

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २४२

मेजर फतेहसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २४३

श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये।)

प्रश्न संख्या २४४

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २४५

श्री रामधन।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रान्त के लिए नियत धनराशि

२४६ **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राज्य सरकार ने अपनी तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए कुल कितनी धनराशि रखी है तथा उसे किस प्रकार प्राप्त किया जायेगा ?

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है तथा जिस उद्देश्य से खर्च की गई है उसमें क्या सफलता मिली है ?

(ग) राज्य के प्रथम पंचवर्षीय योजना में राज्य के नागरिक की क्या औसतन आय बढ़ी ? दूसरी योजना में भी अब तक राज्य की औसतन आय क्या हुई है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना में व्यय की जाने वाली धनराशि का अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। फिर भी सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना का ढांचा (Plan frame) तैयार किया है जिसमें २७६. ३८ करोड़ रुपये व्यय करने की योजना है। इसमें से लगभग ६८ करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकार को आन्तरिक साधनों में प्राप्त कर लगानी होगी और शेष केन्द्रीय सरकार से प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

(२) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में दिसम्बर १९५९ तक कुल मिला कर ५,९३८. ६८ लाख रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी होगी। इस धनराशि को जिन जिन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये व्यय किया गया है उनमें से मुख्य मुख्य कार्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है जिससे उद्देश्यों की पूर्ति का अनुमान हो सकता है।

(३) इस विषय में अधिकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जब कमीशन और गवर्नमेंट ने फिक्स की है रकम, तो राजस्थान के लिए फिक्स नहीं हुई कि कितना खर्चा किया जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपका मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना से है। अभी धनराशि निश्चित नहीं की है।

डॉ० बहादुरसिंह : मैंने पेपर्स में पढ़ा है कि हो गई है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ये सारे प्रपोज़ल्स हैं। फिर इसकी नेशनल कौंसिल ऑफ डेवलपमेंट में चर्चायें होंगी। उसके बाद अन्तिम रूप से तय होगा। वह सेक्टर्स के लिये होगा और स्टेट के लिए कितना कितना होता है, यह तय करने की बात है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : थर्ड फाइव ईयर प्लान के लिए ६८ करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकार अपने साधनों से प्राप्त करेगी; क्या इसके अन्तर्गत नये टैक्सेज की योजना है या किस तरह साधन प्राप्त हो सकेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्य प्लान फ्रेम को देखेंगे तो अन्दाज उसका हो सकेगा।

Page No.11

श्री मुरलीधर व्यास : उसके अतिरिक्त यह जो प्रश्न था कि सेकिंड फाइव ईअर प्लान था, उसके मूल उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं ? उसके सम्बन्ध में जो फैक्ट्स दिये गये, उसमें है कि सेकिंड फाइव ईअर प्लान में बेकारी की समस्या को हल करने का उद्देश्य था। इस उद्देश्य के अन्दर हम कहां तक कामयाब हुए हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बहुत हद तक।

श्री मुरलीधर व्यास : किस हद तक ? हम समझते हैं कि यह समस्या बड़ी है। आखिर कुछ आंकड़े हों, फिगर्स हों कि इतने आदमी बेकार थे और सेकिंड फाइव ईअर प्लान में इतने आदमियों को काम दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके निश्चित् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मैं 'ग' के अन्दर जवाब दे चुका हूँ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : तीसरी पञ्च-वर्षीय योजना बनाने में पंचायत व पंचायत समितियों के सुझावों का समावेश हो गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन कर चुका हूँ कि प्लान फ्रेम को अच्छी तरह देख लें।

श्री मुरलीधर व्यास : तीसरे प्रश्न में था कि प्रथम और दूसरी फाइव ईअर प्लान में औसतन आय कितनी बढ़ी ? जब तक औसतन आय बढ़ती नहीं, तो बतायें कि उसमें कहां तक कामयाबी प्राप्त की है, उसके फैक्ट्स और फिगर्स नहीं होते तो यह नहीं कहा जा सकता कि हमने कामयाबी प्राप्त की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि निश्चित् रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर, जो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई है, एक साल के अन्दर जो पर-केपिटा इन्क्रीज़ मालूम होती है, यह स्टेटिस्टिक्स के आधार पर जिस तरह से अनुमान लगाया गया है,जो राजस्थान केअन्दर अनुमान लगाया गया है, उससे राजस्थान में एक वर्ष के अन्दर करीब ५ प्रतिशत आय की वृद्धि होती है।

श्री मुरलीधर व्यास : राजस्थान की औसतन आय क्या है ? किस तरह समझ लें कि ५ प्रतिशत वृद्धि होती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह आंकड़ों का प्रश्न है.... ...

श्री अध्यक्ष : आपने तो बहस शुरू कर दी है।

श्री मुरलीधर व्यास : तो फिगर्स दे दें।

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि फिगर्स नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : फिर किस आधार पर कहा है ?

श्री अध्यक्ष : आपने सब पूछ लिया है। आपको बहस का टाइम मिलेगा बजट के मौके पर, उस समय पूछ लेना।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने जो कहा, वह फिगर्स के आधार पर कहा; ५ प्रतिशत इस आधार पर माना गया है, १९५४–५५ में २३५, १९५५–५६ में २३७ व १९५६–५७ में २४६।

प्रश्न सं० २४७

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

अहिन्दी भाषी राजकीय कर्मचारियों द्वारा परीक्षा पास करना

२४८. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Chief Minister be pleased to state :—

1. Whether the Government has issued any order to the effect that all 'Non-Hindi speaking' Government servants are to pass an examination in Hindi equivalent to High School standard by the end of 1960? Copy of the order may please be laid on the Table of the House.

2. How does the Government define 'Non-Hindi speaking' Government servants?

3. Why are the persons, who come from Hindi speaking areas, but who have not passed an examination in Hindi equivalent to High School Standard, not required to pass a similar examination?

4. Are the stenographers exempted from this examination? If so, why?

5. List of examinations in Hindi which are considered by the Government to be equivalent to High School Standard may please be laid on the Table of the House.

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) जी हां। माननीय सदस्य महोदय के चाहे अनुसार इस आदेश की एक प्रति सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(२) ऐसे राज्य कर्मचारी जो अहिन्दी भाषी प्रान्तों के हैं।

(३) हिन्दी भाषी प्रान्तों के राज्य कर्मचारियों को तो सामान्यतः हिन्दी में काम काज करने का ज्ञान होता ही है, इसके अतिरिक्त यह निश्चय करने के लिए कि उन्हें मेट्रिक स्तर की हिन्दी का ज्ञान भी है, उनसे एक ऐसा प्रमाण पत्र भी उनके विभागीय अध्यक्ष से प्रमाणित करवा कर दिनांक ३१-१२-६० तक प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं।

(४) जी नहीं।

(५) ऐसी परीक्षाओं को मान्यता देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

अध्यापकों के परीक्षाओं में बैठने सम्बन्धी विभागीय नियम

२४९. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या शिक्षा विभाग के अध्यापकों को परीक्षाओं में बैठने के लिये कोई विभागीय नियम बने हुए हैं ? अगर हां, तो कृपया नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(ख) इस वर्ष शिक्षा निरीक्षक, अजमेर, ने मोनिया इस्लामिया तथा गांधी भवन माध्यमिक शाला के कितने कितने अध्यापकों को किस आधार पर परीक्षाओं में बैठने की इजाजत दी व कितनों को परीक्षाओं में बैठने की इजाजत नहीं दी गई है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां । नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) इस वर्ष मोनिया इस्लामिया हायर सेकेन्डरी स्कूल, अजमेर, के ४८ अध्यापकों में से १३ अध्यापकों को परीक्षा में बैठने की स्वीकृति दी गई तथा ६ को स्वीकृति नहीं दी गई । नियम ३ अ चेप्टर २० एज्युकेशन कोड के अनुसार १० को स्वीकृति दी गई । एक को अतिरिक्त विषय के लिये नियमानुसार कोटा के उपरान्त स्वीकृति दी गई तथा दो अध्यापकों को गणित विषय के लिये अतिरिक्त शिक्षाध्यक्ष की विशेष अनुमति से स्वीकृति दी गई ।

इस वर्ष गांधी भवन माध्यमिक शाला, अजमेर, से १६ अध्यापकों में से ६ ने विभागीय स्वीकृति के लिये प्रार्थना पत्र भेजे थे, उनमें से ३ ही विभागीय नियमों के अन्तर्गत परीक्षा के हकदार थे अत: ३ को स्वीकृति दी गई तथा शेष ६ को इजाजत नहीं दी गई ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

बीकानेर एन्टी करप्शन अधिकारी के पास आये हुए केसेज में मिलने वाली सफलता

२५०. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर एन्टी करप्शन के अधिकारी के पास गत दो वर्षों में कुल कितने केसेज़ आये व उनमें से उन्हें कितनों में सफलता मिली ।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : बीकानेर भ्रष्टाचार विरोधी शाखा अधिकारी के पास गत २ वर्षों में ६० अभियोग पंजीबद्ध हुए जिनमें से ६ का अनुसन्धान पूर्ण कर न्यायालय में प्रेषित कर दिये गये हैं । इनमें से दो अभियोग न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिये गये हैं । २ के दंड की प्रदानता दी गई तथा पांच न्यायालय में अविशेष हैं । ११ अभियोगों में ठोस प्रमाण न मिल सकने के कारण अन्तिम प्रतिवेदन प्रदान कर दिया गया है तथा ४० अभियोग अनुसन्धानान्तर्गत है ।

Page No.14

श्री मुरलीधर व्यास : ये जो अभियोग थे, जो एन्टी करप्शन में दर्ज थे, किस मामले के थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : कौनसे अभियोग ?

श्री मुरलीधर व्यास : जो एन्टी-करप्शन में दर्ज हुए।

श्री रामकिशोर व्यास : ६० हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : ६० थे, वे किस तरह के थे।

श्री रामकिशोर व्यास : एन्टी करप्शन के स्कोप के थे।

(हंसी)

प्रश्न संख्या २५१

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २५२

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

टोडारायसिंह तहसील द्वारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेटस के लिए जबरन वसूली

२५३. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि टोडारायसिंह तहसील द्वारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की वसूली जबरन की जाती है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि लगान वसूल करते समय पटवारियान नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की वसूली करने के बाद ही लगान की वसूली करते हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि हर रजिस्ट्री कराने वाले को रजिस्ट्री की नकल तभी दी जाती है जब वह नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की रकम जमा करा दें ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

प्रश्न संख्या २५४

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

जयपुर में एम. एल. एज. के लिए निर्मित बंगलों के निर्माण में खर्चा

२५५. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No.15

(श्री मुरलीधर व्यास)

(क) जयपुर में एम. एल. ए. बंगलों में अब तक कितने बंगले बने हैं, तथा एक बंगले के निर्माण में कुल कितना रुपया सरकार का लगा है ?

(ख) क्या इनका निर्माण सरकार ने स्वयं करवाया है या ठेके से ? यदि ठेके से करवाया है, तो कृपया बतावें कि एक बंगले के निर्माण का ठेका क्या था, तथा उसके बनाने की क्या शर्तें थीं ? शर्तों को सदन की मेज पर रखें।

(ग) क्या सरकार को यह मालूम है कि उक्त क्वार्टर्स चूने लग गये हैं तथा दीवालों में नीचे तथा ऊपर अभी से सील पड़ गई है ?

(घ) इन बंगलों का निर्माण किस इन्जीनियर की देखरेख में हुआ है ?

(ङ) क्या सरकार इनकी इन्क्वायरी किसी विशेषज्ञ द्वारा कराना उचित समझती है जिससे मालूम हो सके कि निर्माण कार्य में कितनी लापरवाही की जाती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए फैक्टस् कलेक्ट कर रहा हूं। जल्दी से जल्दी उत्तर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह।

श्री मूलचन्द डागा।

तहसील सांगानेर द्वारा ली गई रिश्वत का मामला

२५६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सितम्बर १९५९ में सांगानेर तहसील के तहसीलदार रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गये ?

(२) यदि हां, तो उक्त तहसीलदार, किस किस काम के लिये, कितनी रिश्वत लेते पकड़े गये ?

(३) क्या उक्त तहसीलदार के खिलाफ चालान पेश कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां।

(२) खोह का बास ग्राम वासी श्री शिवजी मीणा के पुत्र श्री जीवा मीणा के विरुद्ध तहसील सांगानेर में बिना अनुमति हरे पेड़ काटने का अभियोग था व उसे इसके अनुकूल तय कर देने के लिए तहसीलदार ३०० रु० घूंस लेते हुए पकड़े गये थे।

(३) अभियोग की जांच पूर्ण हो चुकी है व प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री मूलचन्द डागा : कितना अर्सा हुआ प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही जारी करे ?

श्री रामकिशोर व्यास : जब से मुकदमा दर्ज किया।

श्री मूलचन्द डागा ; मैं अर्सा पूछ रहा हूं कि कितना अर्सा हुआ कि प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही हो रही है ?

Page No.16

श्री रामकिशोर व्यास : सितम्बर में केस रजिस्टर हुआ।

श्री मूलचन्द डागा : चालान आज तक क्यों नहीं किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : हो रहा है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों के कार्यालयों पर हुआ व्यय तथा उनकी आवश्यकता

२५७. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(क) राजस्थान में आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त के कार्यालयों पर १९५६, १९५७, १९५८ और १९५९ में कितना कितना खर्चा प्रति वर्ष हुआ ? उसकी ब्योरेवार सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(ख) क्या सरकार इन कार्यालयों का रखना आवश्यक समझती है ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) राजस्थान मे आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त के कार्यालयों पर कुल खर्च (वार्षिक) १९५६–५७, ५७–५८ व ५८–५९ में इस प्रकार है :

	५६–५७	५७–५८	५८–५९
अजमेर	२,२५,६८५	२,५५,३६२	२,४०,६२२
जोधपुर	१,७४,३९७	१,६४,८६८	२,०४,५५३
बीकानेर	१,३२,१४५	१,३२,७६४	१,३६,८६०
कोटा	१,१७,४३२	६६,३६३	१,१६,१८७
उदयपुर	१,३१,८२७	१,२१,७६२	१,३४,१६५

इस व्यय की ब्यौरेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी हां, अधिकारियों और दूसरे राजस्व अधिकारियों के मुख्य सुपरवाइज़र और निरीक्षण अधिकारी के रूप में ही नहीं बल्कि योजना और विकास कार्यक्रम सलाहकार के रूप में भी आयुक्तों का होना अनिवार्य समझा गया है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : जब कि चीफ पंचायत ऑफिसर हैं, उनको डेवलपमेंट के कामों में लगा दिया जिला प्रमुख, कलेक्टर आ ही जाता है, तो फिर इनकी क्या आवश्यकता

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने राजस्व अधिकारियों के मुख्य सुपरवाइज़र के रूप में कार्य करने आदि तीन चार काम बताये हैं। इसके अलावा विकास के कार्यक्रम में कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है।

श्री मूलचन्द डागा : पंचायतों के अधिकारी है वे भी विकास का काम करते हैं, जिला प्रमुख भी विकास का काम करता है, कलेक्टर के पास एडीशनल कलेक्टर और होते हैं फिर इनकी क्या आवश्यकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एडीशनल कलेक्टर के पास केस वर्क का काम है। कलेक्टर्स देखते हैं, पर सारे डिविज़न में कमिश्नर का रहना आवश्यक है।

Page No.17

श्री मूलचन्द डागा : जब कि अतिरिक्त आयुक्त के पास केस वर्क कम रह गया है, तो फिर हटा देना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आपका ख्याल है कि उनके पास केस वर्क कम हो गया है। उनके पास केस वर्क कम नहीं हुआ है, केस वर्क उनके पास उतना ही है कि उनको हटाना उचित नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

झालावाड़ जिले में खुदाये गये कुओं पर परिगणित जाति के लोगों को पानी भरने से मनाही

२५८. **श्री रामचन्द्र** (डग सु०) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) झालावाड़ जिले में तहसीलवार कितने कुए खुदवाये गये थे ?

(२) इनमें से कितने कुए पूरे खुद चुके हैं और कितने अधूरे पड़े हुए हैं ? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें;

(३) क्या इन कुओं पर सबको पानी भरने का अधिकार है ?

(४) यदि हां, तो फिर इन कुओं पर परिगणित जाति के लोगों को पानी क्यों नहीं भरने दिया जाता है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) ६५।

(२) २७ नये कुए लगभग पूर्ण हो चुके हैं, शेष कुओं की प्रगति भी संतोषजनक चल रही है। वह भी पूर्ण की ही श्रेणी में आते हैं क्योंकि बहुतों में केवल साधारण मरम्मत आदि ही शेष रहती है।

(३) जी हां।

(४) पानी न भरने देने के सम्बन्ध में कोई शिकायत परिगणित जाति के लोगों से इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न में बने हुए और अधूरे पड़े हुए जो कुए हैं उनकी तहसीलवार सूची मांगी थी, पर वह मुझे नहीं मिली है, इस सम्बन्ध में मैं क्या सप्लीमेंटरी पूछूं ?

तीसरे प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने फरमाया "जी हां"। मैं सूचना दूं कि वहां पर केवल सवर्णों को पानी भरने दिया जाता है, हरिजनों को नहीं भरने दिया जाता।

श्री अध्यक्ष : आपने निश्चित शिकायत की है, कलेक्टर वगैरह को ?

श्री रामचन्द्र : जी हां, की है।

श्री अध्यक्ष : इसका राजस्व मन्त्रीजी से कोई सम्बन्ध नहीं रहता।

श्री रामचन्द्र : पहले यह शिकायत तहसीलदार को, फिर कलेक्टर को कर दी। अगर मुझे यह मालूम होता कि उनको छोड़ कर पहले डाइरेक्ट मन्त्री महोदय को करनी है तो पहले डाइरेक्ट इनके पास शिकायत करता। इसलिये यह प्रश्न पूछा है कि सरकारी रकम से कुआ खुदवाया जाता है

Page No.18

(श्री रामचन्द्र)

और लिखवा लिया जाता है कि यह सार्वजनिक कुआ है । तो फिर हरिजनों को पानी भरने से कैसे रोका जाता है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : जिस कुए का जिक्र कर रहे हैं वह पानी पीने का कुआ है ?

श्री रामचन्द्र : जी हां, जिला बोर्ड की तरफ से सरकार ने लोगों के पानी पीने के लिये बनवाये हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं है, पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट से जानकारी की जाती तो इस सम्बन्ध में आपको सूचना दी जाती । पर जो इस प्रकार के कुए हैं उन पर सबको पानी भरने का अधिकार है।

श्री रामचन्द्र : तो मैं उम्मीद रखू कि इस तरह के आदेश जिलों में पहुँचा दिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आदेश तो इस तरह के दिये हुए हैं, अगर कहीं अवहेलना होती है तो आप शिकायत कीजिये । निश्चित रूप में आप कह दीजिये कि फलां जगह पानी नहीं भरने दिया जाता ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : मैं इस सम्बन्ध में सूचना दे दू । यह मामला माननीय सदस्य ने जिला परिषद में रखा था, उस पर निश्चित कार्यवाही की गई है ।

प्रश्न संख्या २५६

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २६०

श्री मोहरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र ।

तहसील खानपुर के गांव कालारेवा का टेलरिंग स्कूल

२६१. **श्री रामचन्द्र** (डग मु०) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या तहसील खानपुर, जिला झालावाड़, के गांव कालारेवा में टेलरिंग स्कूल खोला गया था ? यदि हां, तो कब ?

(ख) इस स्कूल में आरम्भ में कितने छात्र भर्ती किये गये थे और अब कितने छात्र शिक्षण पा रहे हैं ?

(ग) इस गांव में अनुसूचित जाति के कितने परिवार बसे हुए हैं ?

(घ) क्या इन छात्रों को १५) रु० माहवार छात्रवृत्तियां दी गई थीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) सन् १९५८-५६ में क्राफ्ट वायस स्कूल खोला गया था जिसमें दर्जी कक्षा चलती थी।

(ख) आरम्भ में छात्र संख्या १२ थी लेकिन बाद में छात्रों के न आने के कारण

Page No.19

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इस स्कूल को झालरापाटन स्थानान्तरित कर दिया गया।

(ग) इस गांव में अनुसूचित जाति के १७ परिवार बसे हुए हैं।

(घ) जी नहीं। इन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। क्राफ्ट वायस व बेसिक स्कूलों में शिक्षा पाने वाले छात्रों को छात्र-वृत्ति नहीं दी जाती क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

श्री रामचन्द्र : यह स्कूल कितने दिन तक चला वहां पर ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख तो मेरे पास नहीं है पर मैंने अर्ज किया कि पहले जो छात्र संख्या थी उससे कम हो गई तो इसे झालरापाटन भेज दिया गया।

श्री रामचन्द्र : प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि १७ परिवार अनुसूचित जातियों के हैं। यह इन्फोर्मेशन बिलकुल गलत है। जिस गांव में यह स्कूल चालू है, वहां एक भी परिवार नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास जो सूचना है वह मैंने बताई।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : छात्र संख्या कम क्यों हुई।

श्री दामोदरलाल व्यास : छात्रों ने आना बन्द कर दिया।

(हंसी)

डॉ० चन्द्रकला : आना बन्द क्यों कर दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : और दूसरे स्कूल में चले गये होंगे या और कई कारण हो सकते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह कारण नहीं है कि उन्हें छात्र वृत्ति नहीं दी गई इसलिये चले गये ?

श्री दामोदरलाम व्यास : मैंने अर्ज किया कि कोई प्रावधान नहीं है छात्रवृत्ति देने का।

श्री रामचन्द्र : पहले उनको विश्वास दिलाया गया था कि १५) रु० छात्रवृत्ति दी जायगी, पर उनको कोई छात्रवृत्ति नहीं दी गई, इसलिये वे लोग छोड़ कर चले गये। यही स्थिति झालरापाटन में है, यह स्कूल भी टूट कर रहेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रावधान ही नहीं है तो छात्रवृत्ति देने का विश्वास दिलाने का प्रश्न नहीं। यह तो गलत आदमी सूचना दे देते होंगे, आप उन्हें सूचना दे दीजिये कि आयन्दा गलत आदमी विश्वास दिलाये तो न मानें।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : प्रावधान नहीं है तो क्या सरकार प्रावधान कर नहीं सकती।

श्री दामोदरलाल व्यास : इतने फंड्स नहीं हैं।

श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा सु०) : जहां स्कूल खोला गया वहां पर एक

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

भी अनुसूचित जाति का परिवार नहीं था तो फिर १२ छात्र वहां से आ गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने निवेदन किया न कि मैं इस सम्बन्ध में सूचना मंगाऊंगा। मेरे पास तो जो सूचना थी वह दी है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : लड़के १२ कहां से आये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप कहते हैं कि वहां एक भी परिवार नहीं है, मेरी सूचना के अनुसार १७ परिवार हैं। मैं इस सम्बन्ध में सूचना मगाऊंगा।

श्री भैरवलाल कालाबादल : बेचारा अध्यापक दो साल से शिकायत करता रहा कि यहां पर छात्र नहीं हैं, लड़के नहीं होने से वह वहां पर दो साल तक बैठा बैठा ही तनख्वाह लेता रहा।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस तरह की शिकायत पर उस स्कूल को दूसरी जगह ले जाया गया !

डॉ० बहादुरसिंह : (धौलपुर) : लेवर ट्रेनिंग में जब कि १५ रुपये छात्रवृत्ति देते हैं तो वहां क्यों नहीं दी जाती ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें प्रावधान नहीं है, प्रवधान होने पर दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

नागौर में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के उद्घाटन के अवसर पर किया गया व्यय

२६२. श्री पी० के० चौधरी [(फुलेरा) व श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)] : Will the Minister in charge of Democratic Decentralisation be pleased to state:-

1. What is the total amount expenditure incurred by Government in connection with the inauguration of Democratic Decentralisation and the functions held at Nagaur on 2nd & 3rd October, 1959 ?

2. How many Sarpanchas, Panchas, Zila Parishad members, Collectors, B. D. Os and other Government officfals attended the function at Nagaur and what is the amount spent in payment of T. A. & D. A. to them ?

3. What is the extent of extra funds Government has to sanction for the current year to meet the salary bills of the employees of the Panchayat Samitis and Zila Parishads ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) A sum of Rs. 1,92,500/- was advanced to meet the expenditure required to be incurred on the function in connection with the inaguration of the Democratic Decentralisation. Accounts of the actual expenditure incurred are being received and consolidated. It is expected that the expe-

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

nditure will be approximately in the neighbourhood of the amount advanced.

2 Al lthe Pramukhs, Pradhans, members of the Zila Parishads and Panchayat Samitis as also all the Secretaries of the Zila Parishad and all Vikas Adhikaries had been invited to attend the function at Nagaur. Besides, one extension officer and one Gram Sewak from each district were also invited to attend the function. The total number of invitees was thus approximately 5,000. It seems that about 4,000 persons attended the Sammelan. It would take a very long time to know the exact amount of T. A. & D. A. admissible to them. They will be entitled to draw these allowances on the basis of rates approved vide notification No. F. 45 (173) (219)/ Coord. /DD/59 dated 26. 10. 59 from their own Panchayat Samities and Zila Parishads.

3. The extra fund which the Government had to sanction to meet the salary bill of the extra employees of the Panchayat Samitis and Zila Parishads is as follows:

	Amount.
232 Panchayat Samities.	Rs. 10,52,500/-) For six Months.
26 Zila Parishads.	Rs. 2,94,000/-)

श्री पी० के० चौधरी : Does this amount of lac 92 thousand include the construction of Aerodrome and reconstruction of the Circuit House ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : No.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that the expenditure in T. A. and D. A. is likely to be more than ..

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : It is a matter of detail. I cannot say now.

श्री पी० के० चौधरी ; Whether corresponding amount is not for the staff of the Zila Parishad and the Panchayat Samiti and whether any economy has been made in corresponding the expenditure incurred by the district administration?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां। इसमें किया गया है। ४७३ आदमियों को कम करने के लिये किया गया है।

श्री पी० के० चौधरी : For the economy of the district administration ?

श्री अध्यक्ष : वही तो बता रहे हैं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : नागोर में जो केम्प लगा था उसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति कितने थे और साधारण व्यक्ति....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं, आपका 'अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों' से क्या मतलब है, नहीं समझ पाया।

श्री जनार्दनराय नागर : 'अत्यधिक' से मेरा मतलब उन व्यक्तियों से है जो वेरी इम्पोरटेन्ट पर्सन्स थे, जिनके खाने से लगा कर उठने बैठने तक का अलग प्रबन्ध किया गया था और जिनमें एम० एल० ए० और प्रमुख शामिल नहीं थे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे मालूम नहीं। मगर इसके लिये तो सभी सदस्य जानते हैं। खाने का प्रबन्ध तो वहां किया गया था....

श्री जनार्दनराय नागर : अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिये खाने और बैठने का बिल्कुल दूसरा प्रबन्ध था और दूसरे जनरल व्यक्तियों के लिये अलग प्रबन्ध किया गया था। उन अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए मैं पूछता हूं कि कितने थे?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे मालूम नहीं कि कौनसे ऐसे व्यक्तियों से आपका मतलब है? डाक बंगले में जो ठहरे उनसे आपका मतलब है तो, मैं यह कहूंगा कि कुछ व्यक्तियों को डाक बंगले में ठहराया गया था; बाकी मैं यह कहूंगा कि कम से कम भेद भाव रखा जावे इस तरह की कोशिश की गई थी।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं सरकट हाउस की बात नहीं कहता मैं तो यही कहता हूं कि सामान्य और अतिअधिक महत्व के व्यक्ति कितने थे?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं तो नहीं देख पाया।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि जिस कैम्प में माननीय सदस्य थे उसमें वाटर सप्लाई का प्रबन्ध नहीं था?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसी शिकायत मेरे पास नहीं आई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जिला परिषद् और पंचायतों से जो लोग गये उनको टी० ए० और डी० ए० देने का आदेश दिया है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने अपने उत्तर में बताया है कि "हां"।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या वे जितने दिन तक वहां रहे उसका डी० ए० चार्ज नहीं किया जावे इस बात के भी आदेश जारी किये जावेंगे?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उन्होंने वहां पर खाने का पे किया है, इसलिये उनको डी० ए० चार्ज करना ज़रूरी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६३।

श्री लच्छूराम

(अनुपस्थित)

समाज सेवाओं पर खर्च की गई धनराशि

२६४. मूलचन्द डागा (पाली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

Page No.23

(श्री मूलचन्द डागा)

(क) सन् १९५१ से आज तक प्रत्येक वर्ष में कितनी २ धनराशि समाज सेवाओं पर खर्च हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) समाज कल्याण विभाग का प्रशासनिक एवं उसके टी० ए० आदि का कुल खर्चा क्रमशः सन् १९५४, १९५५, १९५६, १९५७, १९५८ व १९५९ तक कितना कितना हुआ ? सूची दीजियेगा।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) सन् १९५१ से लेकर आज तक जो धनराशि समाज कल्याण विभाग के कार्यों पर खर्च हुई उसकी सूची 'अ' सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(ख) सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : इस विभाग में खर्च प्रति वर्ष बढ़ता ही जा रहा है या घटता जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री प्रभुलाल पुरोहित। आप इसके लिये फिगर्स देख लीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सूची दी गई है उसमें १९५८-५९ में ६८,००,४१८ रु० है और १९५९-६० में ३३ लाख ही खर्च किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : तो फिर आप यों पूछिये।

श्री दामोदर लाल व्यास : आपने इसमें आगे नहीं पढ़ा कि दिसम्बर तक।

श्री मूलचन्द डागा : यह खर्चा दो तीन महीनों में पूरा हो जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हो जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह।

नीम का थाना विकास खन्ड के डॉक्टर या कम्पाउन्डर के विरूद्ध भेड़ों को गलत दवा पिला कर मार देने में जांच

२३७. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या सरकार को विदित है कि नीम का थाना विकास खण्ड के डॉक्टर या कम्पाउन्डर ने ज़िले ग्राम के ओमकार नामक व्यक्ति की भेड़ों को गलत दवा पिला कर मार दिया ?

Page No.24

(श्री रामकरणसिंह)

(ख) क्या इसकी जांच किसी ने की है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

मुख्य एवं विकास मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) ऐसा मालूम हुआ है कि ग्राम जोली के श्री ओंकार गूजर की भेड़ों का इलाज विकास खण्ड के पशु प्रसार अधिकारी द्वारा किया गया था । इलाज के बावजूद भी कुछ भेड़ों की मृत्यु हो गई ।

(ख) इसकी जांच जिला पशु-पालन अधिकारी, सीकर, द्वारा कराई गई थी और उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

(अनुपस्थित)

मेजर श्री फतेसिंह

(अनुपस्थित)

ग्राम छीतोली (बैराठ) के काश्तकारों को जंगलात विभाग से वेकेट कराई काबिल काश्त भूमि का अलॉटमेंट

२४३. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली): क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि ग्राम छीतोली, तहसील बैराठ के काश्तकारों की भूमि बन्ध में आने की वजह से उन्होंने जंगलात विभाग से कुछ भूमि अलॉट कराने के लिये वेकेट कराई है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि यह ऑर्डर्स में पहुंच चुके कि यह भूमि काबिल काश्त है और काश्त के लिये दे दी जाये ? यदि हां, तो फिर उक्त कार्य में देरी का क्या कारण है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(१) जी हां ।

(२) जी हां । तहसील बैराठ को आदेश दिये थे कि इस भूमि को भूमिहीन हरिजनान लाखावाला को, यदि वे सहकारी समिति बना लें तो उन्हें बांट दी जावे । इसके बाद गूजरान कि जिनकी भूमि बन्ध में आ गई और उनको भूमि की एवज में मुआवजा देने के आदेश थे उनके उजर करने पर कि उनको भूमि के बदले भूमि ही दी जावे, अलॉटमेंट की कार्यवाही स्थगित कर दी गई । मामला हरिजनान व गूजरान के बीच सुलझाने की कार्यवाही की जा रही है । अलॉटमेंट कमेटी द्वारा हरिजनान व गूजरान की सहकारी समिति बनाने का निर्णय लिया गया लेकिन दोनों पार्टी राजी नहीं हुए, प्रयत्न जारी है; इसलिये भूमि अब तक अलॉट नहीं की जा सकी । अब कलेक्टर जयपुर को हिदायत की गई है कि वे इस जमीन को अलॉट करने के सम्बन्ध में तसफिया करें ।

श्री रामकरणसिंह : हरिजनान या गूजरान जो भी हैं उनकी जमीन को वेकेट कराने की कोशिश की है और उनको इतने

(श्री रामकरणसिंह)

समय तक भूमि से महरुम रख कर और उनको दूसरी भूमि न देकर उनकी जमीन छीन कर बेरोज़गार कर रखा है, इसमें क्या बात है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जानकारी सही नहीं है कि उन लोगों को बेरोजगार करने के लिये जमीन ली गई है। उन लोगों की जमीन जिनकी बांध में आ गई उनको दी गई है। कुछ लोग खास जंगल की जमीन लेना चाहते थे। अन्यथा दूसरी जगह के लिये तो उनको जमीन मिलने के ऑर्डर हो चुके थे। वे फोरेस्ट की जमीन लेना चाहते थे इसलिये हरिजन और गूजरों में आपस में झगड़ा है। अब कलेक्टर फाइनल फैसला कर देंगे।

श्री रामकरणसिंह : आपने फरमाया कि हरएक व्यक्ति को जिनकी जमीन बांध में आ गई है देने के आदेश हो गये हैं, मगर आज उनको ४ या ५ वर्ष हो गये हैं जमीन नहीं दी गई है इसका क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनको जमीन दी जा रही है, मगर वे लेते नहीं हैं, वे जंगल की जमीन चाहते हैं। इसलिये उनको उनकी पसन्द की जमीन देना मुश्किल हो जावेगा।

श्री रामकरणसिंह : अब वे लेने के लिये तैयार हो, तो क्या सरकार उनको जल्दी से जल्दी जमीन दे देगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने दूसरी जमीन का कहा है अगर वे लेने को तैयार हैं तो दे दी जावेगी। लेकिन जहां तक फोरेस्ट की जमीन का संबन्ध है कलेक्टर इसका मौके पर जाकर फैसला करेगा।

श्री रामकरणसिंह : उसी तहसील में आसपास दिलावेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसके आसपास दिला दी जायगी, आप उसकी सूचना कर दें लेकिन फोरेस्ट की नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री रामधन।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह।

कोटपूतली के थानों के बेकार फर्नीचर की मरम्मत

२४७. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जिला जयपुर के थाने में फर्नीचर आखिरी बार कब दिया गया ?

(ख) क्या सब डिविज़न कोटपूतली के थानों में फर्नीचर बेकार हो गया है ?

(ग) क्या टूटे हुए फर्नीचर को ठीक कराने के लिए सरकार कुछ राशि मंजूर करती है ? यदि हां, तो सब डिविज़न कोटपूतली के किस थाने के लिए, कब कब धन राशि दी गई ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) माह मई सन् १९५६।

Page No.26

(श्री रामकिशोर व्यास)

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां, सब डिविज़न कोटपूतली के किसी थाने से सन् १६५६ में कोई पैसे की मांग नहीं हुई, अतः कोई राशि मंजूर नहीं की गई।

श्री रामकरणसिंह : आपके यहां तो किसी प्रकार की मांग करते नहीं और वहां पर कारपेन्टरों से फर्नीचर दुरुस्ती मुफ्त में कराई जाती है, जब उनसे कहा जाता है तो वे कहते हैं कि क्या करें बैठने के लिये कुर्सियां नहीं हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : और चाहेंगे तो दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इस प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय।

हाईस्कूल हिन्डौन के कक्षा ६ के विद्यार्थियों को वाणिज्य ऐच्छिक विषय छोड़ने को मजबूर किया जाना

२५१. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) [डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या हाईस्कूल, हिन्डौन, में कक्षा ६ के विद्यार्थियों को मजबूर किया गया है कि वे अपनी वाणिज्य का ऐच्छिक विषय छोड़ कर दूसरा विषय लें ?

(ख) यदि हां, तो क्यों, तथा क्या उन विद्यार्थियों ने उस समय उस विषय की किताबें खरीद ली थीं और फीस भी जमा करवा दी थी ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डॉ० चन्द्रकला : तो क्या वहां पर विज्ञान कक्षा चल रही है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : प्रश्न वाणिज्य की कक्षा के विषय में है।

डॉ० चन्द्रकला : तो क्या वाणिज्य की कक्षा चल रही है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, कॉमर्स की कक्षायें चल रही हैं।

श्री अध्यक्ष ; श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री लच्छुराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

११.५२ म.प.

गैर सरकारी संकल्प

जिले के कलेक्टोरेट्स के कार्यों के निरीक्षण तथा कार्य-प्रणाली को निर्धारित करने हेतु समिति का निर्माण

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, I move "that This House resolves that a Committee of experts, along with the Chairman of the Public Accounts Committee and the Chairman of the Estimates Committee of the Rajasthan Legislative Assembly be constituted to examine the working of the District Collectorates and to suggest suitable changes in the present set up."

अध्यक्ष महोदय, अपने देश में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टोरेट हैं वे अंग्रेजों के जमाने से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की एक इन्स्टिट्यूशन है और यह यूनिट शासन व्यवस्था की एक इम्पोर्टेन्ट यूनिट मानी जाती है, इकाई मानी जाती है। कलेक्टर के पास शुरू शुरू में तो राजस्व वसूल करना, रेवेन्यू कलेक्शन करना और लॉ एन्ड ऑर्डर मेन्टेन करने का काम था लेकिन जैसे जैसे हम वैलफेयर स्टेट की ओर गये तो रेवेन्यू कलैक्शन के अलावा और भी डिस्ट्रिक्ट के वर्क थे उनको कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है और एक तरह से माना जाय तो कलेक्टर्स की ड्युटीज़ हैं वे मल्टीफेरियस हैं। आज गवर्नमेन्ट की दृष्टि से कलेक्टर को कहा जाता है कि वह एडमिनिस्ट्रेशन की बैक बोन है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कलेक्टर पिवोट है, उसके आस-पास सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी घूमती फिरती है। जहां तक कलेक्टर्स की ड्युटीज़ का सम्बन्ध है उनकी कुछ ड्युटीज़ को मैं एन्यूमरेट करूंगा। कलेक्टर सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत से डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस और लॉ एन्ड ऑर्डर मेन्टेन करने के लिए जिम्मेदार होता है। लॉ एन्ड ऑर्डर मेन्टेन करने के लिए पुलिस ऑफिसर है या एस. पी. उनके अन्डर में माना जाता है। एस. पी. जिले में उनके एक सहकारी की हैसियत से काम करता है। उसके बाद कलेक्टर रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जिम्मेदार है। वह सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ही नहीं किन्तु रेवेन्यू से सम्बन्धित जितने भी विभाग हैं जिले में उसके अन्डर में होते हैं और स्टाफ भी उसके अन्डर में होता है। रेवेन्यू कलेक्शन की वजह से कलेक्टर का होल्ड ऑन दी डिस्ट्रिक्ट काफी ज्यादा है। रेवेन्यू कलेक्शन के साथ साथ जिले का हैड होने के नाते एज़ हेड ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं वे भी कलेक्टर के मातहत हैं, जो एक्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर हैं वह भी कलेक्टर को असिस्ट करता है और उनकी एडवाइस पर काम चलाता है। कोई कलेक्टर डेफिनिट ऑर्डर कर दे कि pending further decision that order must be complied with by the Executive Engineer; कोई भी काम हो, कन्स्ट्रक्शन का कोई नया प्रोपोजल या रिपेयर्स का प्रोपोजल हो तो वह कलेक्टर को कन्सल्ट करके किया जा सकता है और कलेक्टर खुद प्रोपोजल देगा तो डिस्ट्रिक्ट इन्जीनियर इन्कार नहीं कर सकता सिवाय इन राइटिंग; में if it is communicated to the Collector by the Supdt. En-

(श्री पी० के० चौधरी)

gineer. इस तरह से और भी जितने काम हैं, सेकिन्ड फाईव ईयर प्लान या प्लान प्रोजेक्ट्स है उनकी वजह से और भी जितनी एक्टीविटीज़ बढ़ी हैं उन सब के लिए कलेक्टर को जिले में एक कोऑर्डिनेटिंग ऑथोरिटी माना जाता है, सब बातों का कोऑर्डिनेशन उसके मार्फत होता है।

अब इन शार्ट इस तरह से देखा जाय तो कलेक्टर जो है वह आज के सेट-अप में, आज डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइशजेन, लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण का युग है, पीपुल एन्ड दी गवर्नमेन्ट इनके बीच में गवर्नमेंट की दृष्टि से यदि कोई लिंक है तो वह कलेक्टर ही है। He is the Chief Executive Officer कलेक्टर के पास से सदन में भी, हम देखते हैं, कई सवाल पूछे जाते हैं तो उनके रिप्लाईज़ आते हैं। कलेक्टर के मार्फत ही ये आते हैं। एक तरह से आप देखेंगे कि Collector is the eyes, nose, ear and the limbs of the administration. He is everything और यह तो सरकार की दृष्टि से है और जहां तक लोगों का सवाल है वह आज भी जैसा ब्रिटिश जमाने में था कि कलेक्टर मां-बाप है, कलेक्टर ग्रान्ड मुगल था, आज भी कलेक्टर जिले में ग्रान्ड मुगल है। डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन लाने के बाद में कलेक्टर की इन्स्टिट्युशन में, फन्क्शनिंग में परिवर्तन की उम्मीद करते थे, वह परिवर्तन आज तक नहीं आया है।

दूसरी बात जब हम उनकी ये सारी मल्टीफेरियस एक्टीविटीज़ को देखते हैं और हम सोचते हैं, कलेक्टर इन्स्टिट्युशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टोरेट, What is it? हमारी समझ में नहीं आता है कि, मान लीजिए, डिस्ट्रिक्ट में ब्रीच ऑफ पीस हो गया, फौजदारी मामला हो गया, उसके लिए सेंश्योर कलेक्टर को नहीं किया आता है किन्तु एस. पी. वगैरह को किया जाता है। कोई डेम ब्रेक हो जाय, रास्ता ब्लॉक हो गया हो तो Executive Engineer is pulled up; Collector is the person with all powers but practically no responsibility in the eyes the people. गवर्नमेन्ट की दृष्टि से कलेक्टर रेस्पोन्सिबल हो सकता है लेकिन लोगों की दृष्टि से ऐसा मालूम होता है कि जिले में कहीं गड़बड़ी हो, जिम्मेदारी कलेक्टर की नहीं होती है। राशनिंग का मामला है वह कलेक्टर के जिम्मे रहता है, चाहे फूड राशनिंग हो, अनाज का प्रोक्योरमेन्ट हो, उन सब के टिटुलर हैड है, औपचारिक मुखिया है, वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है; लेकिन इस व्यवस्था में फेल हो जाय, उसकी जिम्मेदारी कलेक्टर पर फिक्स नहीं होती है और जब हम देखते हैं कलेक्टर के दफ्तर में डेफिनिट वर्क क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेन्ट गवर्नमेंट के होते ही हैं, जैसे एजुकेशन का दफ्तर, फोरेस्ट का दफ्तर, पी. डब्ल्यू. डी. का दफ्तर, डेवलप्मेन्ट, का और और दफ्तर हैं, एक्चुअली जो डेवलपमेन्ट के काम हैं वे तो फन्क्शनल एजेन्सीज़ हैं, गवर्नमेन्ट का डिपार्टमेंटल एजेन्सीज़ के मार्फत होता है उसके बावजूद भी Collector is the chief person; यह एक सेक्रोसेन्ट मालूम होता है।

आज हम जब कहते हैं कि कलेक्टर्स का क्या काम है उसकी रेस्पोन्सिबिलिटी क्या है, सवाल जो करते हैं उसको लोग समझते हैं He is a very important person.

Page No.29

(श्री पी० के० चौधरी)

How can a person dare to question the utility of the Collector क्योंकि ब्रिटिश शासन काल से कुछ ऐसा ढांचा जम गया है and Collecter and around his office जैसे मालूम होता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टोरेट नहीं रहा तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जायगा। मैं इससे उल्टा मानता हूं। क्योंकि नीचे से नीचे आपने डेमोक्रेटिक इडीसेन्ट्रलाइजेशन करके पंचायतों को कार्य सौंप दिया और ऊपर से ऊपर हमारी पार्लियामेन्ट है, विधान सभा है, between these two democratic institutions, दो प्रजातांत्रिक संस्थानों के बीच कलेक्टर कन्ट्रोलस एवरी थिंग। कलेक्टर के कारण ही पिरामिड स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। जहां तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टोरेट के एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है इसको हम बारीकी से एनेलाइज़ करते हैं, हमें किसी भी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टोरेट यूज़फुल साबित नहीं होता। जहां तक जिले के लॉ एन्ड ऑर्डर का सवाल है उसकी जिम्मेदारी पुलिस पर होती है। I have not seen a Collector being censured for failure of rationing or break downs in communication or the failure in crops etc. किसी भी बात में फेल्योर होने पर उसकी किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : What about the District Magistrate ?

श्री पी० के० चौधरी : As District Magistrate. I will come to that. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के नाते वह क्रिमीनल केसेज़ का फैसला करता है। इसके साथ साथ अपने सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट्स पर उसका कन्ट्रोल रहता है। जब हम कलेक्टोरेट के कार्य को देखते हैं तो हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है What is this Distt. administration ? He has got the superintendent of Police under him for maintenance of law and order. तो आज जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिये मैं कहना चाहता हूं what is this district administration. Fracis defined it very nicely. He described it as, "Said the jesting prelate, what is truth and would not wait for an answer."

श्री जनार्दनराय नागर : But did he know it ?

श्री पी० के० चौधरी : He might have known more than you and me.

आज आम पब्लिक के लिये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, यह समझ में नहीं आ रहा है What is the institution ? So 'What is this district administration, said the bewildered citien and would not wait for an answer." दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मानता हूं यह जो कलेक्टर का ऑफिस है यह ब्यूरोक्रेसी का सेट-अप है। इन्डिया में कलेक्टर ब्यूरोक्रेसी की सब से इम्पोर्टेन्ट पर्सनेलिटी है और उनका दफ्तर ब्यूरोक्रेसी की रेड, टेपिज्म की जीती जागती मिसाल है। इसका कारण यह है कि हमने सारे डिस्ट्रिक्ट के कार्य कलेक्टर के सुपुर्द कर दिये हैं। मैं समझता हूं, आज से करीब करीब सौ साल पहले सर हट ने कहा था; we cannot conceive of a Government official above Village level headman who

(श्री पी० के० चौधरी)

can perform all the functions of the Government"

यानी विलेज हैडमैन के अलावा अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल की किसी की जिम्मेदारी होती है, विलेज हैडमैन की हो सकती है, he may be responsible for law and order, he may be responsible for revenue, he may be responsible for development, for everything, but beyond the village level; लेकिन यहां विलेज लेवल पर भी कलेक्टर रेस्पोन्सिबल रहता है, with all the multifarious duties of the Government. I think this is an impossibility.

सौ साल पहले भी एडमिनिस्ट्रेटर इसी को मानते थे ।

कलेक्टर के ऑफिस का हाल है उसके संबन्ध में चार्ल्स डिकेन्स ने जो कहा है, Charles Dickens said about the administrative official:-

" This official goes on mechanically every day, keeping this wonderful ' how not to do it ' in motion. "

This is the exact definition of our Collector's office. " It was down upon any ill-advised public servant who was going to do it with a minute, a memorandum and a letter of instructions without extinguishing him. It was this spirit of national efficiency in the circumlocution office that gradually led to its having something to do with everything. "

श्री जनार्दनराय नागर : Is it from Pickwick Papers ?

श्री पी. के. चौधरी : No, it is from Little Dorrit. " Petitioners, memorialists, people with grievances, jobbing people, jobbed people, people who could not get reward for merit and people who could not get punished for demerit, were all indiscriminately turned up under the foolscap paper of circumlocution office. "

This is the exact definition of what is happening in Collector's office.

तकावी लोन चाहिये तो उनके पास जाना होगा, कोई सीड्स चाहिये तो उनके पास जाना होगा, for everything the papers must pass through him.

श्री जनार्दनराय नागर : शादी के लिये भी वही प्रमाण पत्र देता है ।

श्री पी. के. चौधरी : शादी का प्रमाण पत्र, मेरिज रजिस्ट्रेशन भी उन्हीं के पास होता है यानी सारा का सारा काम उसी के सुपुर्द है ।

श्री अमृतलाल यादव (जालौर-सु.) : उससे तो छूतछात मिटेगी ।

श्री पी. के. चौधरी : छूतछात के लिये भी कलक्टर ऑफिस जाना पड़ेगा ! अध्यक्ष महोदय, मैं इसके इम्प्रूवमेंट के लिये दो सुझाव सदन के सामने रखना चाहता हूं । एक सुझाव तो यह है, रेवेन्यू वर्क जो है वह कलेक्टर से ले लिया जाना चाहिये ।

(श्री पी० के० चौधरी)

क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन का जो जिम्मा है वह स्टेट रेवेन्यू बोर्ड का है। It is mainly the responsibility of Revenue Board. When he has to control so many things, it is given undue influence. The Collector exercises undue influence· मद्रास के रेवेन्यू के बारे में Sir Thomas Mnnroe said :-

" Whoever regulates the assesment of the land, holds the main spring of the country; and the Collector and his Kutheri holds the main spring of the country. "

श्री जनार्दनराय नागर : सच्चा राजा तो पटवारी है।

श्री पी. के. चौधरी : Yes, Collector and his Patwari. I stand corrected. He had said it, and it is a fact today. आज जो रेवेन्यू कलेक्शन के अ अपना इन्फ्लुएन्स डिस्ट्रिक्ट में एक्सरसाइज़ करता है, दर असल में वह Collector must be a development officer. उस पर कोई फंक्शनल रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिये रेवेन्यू कलेक्शन की।

Collector must be a Development Officer. There should be no functional responsibility.

श्री रामचन्द्र (डग-सु.) : इसका नाम भी फिर कलेक्टर नहीं रहना चाहिये।

श्री पी. के. चौधरी : फिर कलेक्टर किस बात का रहा? कलेक्टर नाम नहीं रहना चाहिये। जिस समय इस पर रेवेन्यू कलेक्शन की रेस्पोन्सिबिलिटी दी गई थी उस समय दो ही काम थे उसके पास; एक रेवेन्यू कलेक्शन और दूसरा लॉ और ऑर्डर मेन्टेन करना। आज हमारा एम्फेसिस डेवलपमेन्ट पर है। जहां तक रेवेन्यू का सवाल है वहां पहले revenue was only the source, पर आज land revenue is a part of our revenues.

राजस्थान का आज का लगभग ३६ लाख का लास्ट ईयर का बजट था। ३६ करोड्स। अब इसमें से लैंड रेवेन्यू से सात करोड़ की आय थी। So it is insignificant figure of the revenue.

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : ७ करोड़ इनसिग्नीफिकेन्ट? १७ पर्सेन्ट है।

श्री पी. के. चौधरी : १७ पर्सेन्ट होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : Main single item.

श्री पी. के. चौधरी : It may be one single item. रेवेन्यू कलेक्शन के लिये अधिकार पंचायत समितियों को मिल जाना चाहिये। बलवन्तराय मेहता कमेटी ने और गवर्नमेंट ने भी इसको मान लिया है। गवर्नर महोदय ने भी अपने अभिभाषण में कहा है कि रफ्ता रफ्ता ये अधिकार पंचायत समितियों को दे दिये जावेंगे। रेवेन्यू वर्क कलेक्टर के पास रहने की वजह से he is domineering over the people. कलेक्टर का एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के साथ ज्यादती करता रहता है। अ

Page No.32

(श्री पी० के० चौधरी)

लैंड एण्ड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन । आज इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन की ज्यादती की शिकायतें हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पर लोग इसी कारण से आक्षेप करते हैं। यह रेवेन्यू कलेक्शन के पॉवर कलेक्टर के पास नहीं रहेंगे तो आज जो एडमिनिस्ट्रेशन की शिकायत होती है ; सरकार में सुनवाई नहीं होती, इन्साफ नहीं मिलता, ये सारी बातें जो हैं वे कलेक्टर और उनके सबोर्डिनेट तहसीलदार, पटवारी वगैरह के द्वारा होती हैं। वे ही सारी गड़बड़ियां करते हैं। It is only that thing that is defaming the Government. गवर्नमेंट के ऊपर जो बदनामी आती है that is because of this institution. It is because of this institution that the Government is being defamed. मैं समझता हूं कि यह रेवेन्यू कलेक्शन का प्रिन्सिपल गवर्नमेंट ने भी मन्जूर कर लिया है और मेहता कमेटी ने भी इसकी सिफारिश की है। तो मैं समझता हूँ कि इसको एक्सपीडाइट कर दिया जावे।

दूसरी बात दूसरे किसी देश में लैंड रेवेन्यू के लिये अलग से और अदर सेपरेट रेवेन्यू के लिये अलग डिपार्टमेंट नहीं खोला गया है। सारे के सारे they remain under the man incharge of the exchequer; फाइनेन्स मिनिस्टर के चार्ज में रहते हैं। It must not be treated as a separate item to have a separate department but it should go along with other functions. There is no need to have a separate department for this.

तीसरी बात कलेक्टर का जो मिडिल स्टेज है वह समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

श्री जनार्दनराय नागर : वित्त राजस्व और पृथक राजस्व ।

श्री पी. के. चौधरी : कलेक्टर की इन्टरमीडियरी खतम कर दें। एस. डी. ओ. में भी अब पंचायत समिति को देंगे तो Panchayat Samiti will be in direct touch with the Revenue Board and through Revenue Board the revenue will go to the Government; तो एक तो मेरा सुझाव है कि अदर फाइनेन्स से रेवेन्यू को एबोलिश कर दें और इस संबंध में बम्बई स्टेट में भी उन्होंने कुछ किया है और मैंने कुछ दिन पहले अखबारों में पढ़ा था कि वहां के लॉ मिनिस्टर ने मेमोरेन्डम पेश किया है गुजरात स्टेट में Revenue will be treated along with other things. Revenue will not be treated as a separate item. तो मेरा सुझाव है कि यह एक यूज़फ़ुल सजेशन है जिसका दूसरी स्टेट में भी अमल किया गया है। It was an obsolete idea. यह पुराने ढांचे का अवशेष मात्र है। मैं समझता हूँ कि इसको कलेक्टर के अन्डर से ले लिया जावे और फाइनेन्स के अन्डर में कर दिया जावे और रेवेन्यू कलेक्शन के पॉवर पंचायत समिति को दे दें। इसमें सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन इफेक्टिव होगा, यही नहीं। मैंने पता लगाया पंचायत समिति ने जहां जहां और कलेक्शन भी किये; रेवेन्यू है और तकावी लोन है वगैरह। लोन एरियर्स के सलेक्शन में भी पंचायत और पंचायत समिति has to be more effective than your Government departments. जहां तक इन लोन और

(श्री पी० के० चौधरी)

एरियर्स का सवाल है पहले Government official were not so effective as Panchayat Samiti has proved to be. अब आप उनको पर्टीकूलर शेयर देंगे, कमीशन देंगे। So they will be more interested in collecting this land revenue more effectively than the Revenue officials are doing it.

इसके बाद मेरा जो दूसरा सुझाव है वह है सेपरेशन ऑफ जुडीशियरी फ्रोम एग्जीक्यूटिव। This judiciary should be separated from executive.

इस बात को उसूलन तो गवर्नमेन्ट ने मान लिया है। मैं समझता हूं कि आपने बाफना कमेटी भी इसके लिए अपोइन्ट की थी। मेरे ख्याल से उसने भी सिफारिश की होगी।

श्री जनार्दनराय नागर : की है।

श्री पी० के० चौधरी : और मैं समझता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी अमल में लाना चाहिये। क्योंकि हमारा जो संविधान है, उसके आर्टिकल ५० में भी यह कहा गया है कि "The State shall take steps te separato the judiciary from the executive in the public services of the State," इस सम्बन्ध में लॉ कमीशन ने भी कुछ कहा था और इसकी अर्जेन्सी के सम्बन्ध में उसने डाइरेक्ट किया था। जब इस क्लॉज पर संविधान सभा में डिस्कशन हुआ था और जब इस क्लॉज पर डिस्कशन हुआ था तो उसका उल्लेख करते हुए लॉ कमीशन ने कहा: "So insistent was the public feeling in this matter that when the present Article 50 was being debated in the Constituent Assembly, there was a considerable lobby; of opinion in favour of including a time limit of three years in the Article itself for carrying out the separation." तीन साल के अन्दर अन्दर इसको करने के लिए था। "The time limit, it appears, was eventually not fixed on the assurance of the Prime Minister, Shri Jawahar Lal Nehru that the Government was entirely in favour of the separation and that in large part of India the change might be brought about much sooner than that. We feel that after the consistent public opinion in favuor of this change and the acceptance of it by the Constitution, the desirability would be beyond argument. Though the bulk of evidence before us not only completely favoured it but called for its immediate implementation, there appeared to be in some quarters a reluctance to give effect to it. It would be convenient at this stage, to set out in the matter by some executive orders even." और सिर्फ इतना ही नहीं इसके लिये जब से यह कांग्रेस वाज़ फोर्म्ड बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस इन १००६ उसने भी एवरी ईयर इसके लिये एजीटेशन किया है that executive shouldbe separated from the judiciary. और जो ब्रिटिश रूलर्स हमारे उस टाइम के थे उन्होंने भी १७६३ में इसी बात को मन्जूर किया था कि एग्जीक्यूटिव को जुडीशियरी से सेपरेट किया जावे और १७६३ के रेगूलेशन दो में भी यह कहा गया था और वह बड़ा पर्टीनेन्ट है इसलिये मैं उसको पढ़ कर सुनाता हूं।

Page No.34

(श्री पी० के० चौधरी)

"In Regulation 2 of 1793, it was stated that the Government must divest itself of the powers of infringing in its executive capacity the rights and privileges which, while exercising legislative authority, it has conferred on the landholders. The revenue officers must be deprived of judicial powers." क्योंकि अगर उसको डिप्राइव नहीं करते हैं तो ऐसे इन्स्टान्सेज़ पाये गये हैं कि उनको केस इनीशियेट करने का भी अधिकार रहता है। अब केस भी वही इन्स्टीट्यूट करते और जजमेन्ट भी वही करते हैं। लॉ कमीशन के सामने जो कुछ स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी गये थे कि हम इसको सेपरेट कर देंगे तो वहां पर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने कहा था कि गवर्नमेन्ट पाइन्ट ऑफ व्यू से सेपरेट एग्ज़ीक्यूटिव से जूडीशियरी हो जायेगी तो वह चल नहीं सकेगी। इसको वहां पर काफी क्रिटिसाइज़ किया है, Judiciary should not give decisions from the point of view of Government. It would give decisions on the basis of evidence produced. तो आज जो गवर्नमेंट रिलक्टेन्ट है उसको करने में उनके दिमाग में एक ही बात है कि जुडीशियरी एग्ज़ीक्यूटिव को सेप्रेट कर दिया जाये तो हो सकता है उस लेवल पर नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो रेवेन्यू जुडीशियरी है इसके ऊपर एग्जीक्यूटिव को रखा है Much injustice is being done on the people. आज कलेक्टर नाराज हो जाय तो वह खुद ही तहसीलदार से कह कर केस को इनीशियेट करा सकता है। He is the appellate as well as original authority in this matter. इस तरह से मैं समझता हूं कि यह जो सेपरेशन है इसको जल्दी से जल्दी करना चाहिये।

दूसरी बात जैसा कि मैंने कहा है कि जो कलेक्टर के फंक्शन्स हैं वे जिला परिषद के ऊपर भी हैं। अब हमने गवर्नमेंट के इन्सट्रक्शन्स देखे तो मालूम हुआ कि पंचायतों में डीलिमिटेशन का इन्सट्रक्शन गया है। उसमें भी जिला परिषद् को कहा है कि आप सुझाव दीजिये और कलेक्टर प्रपोज़ल्स देगा। यानि आपकी जो इलेक्टेड बोडी है उसके ऊपर तो आप सिर्फ सजेशन्स मांगते हैं, but the proposal will have to be framed by Collector, तो यह मैं मानता हूँ this is an anachronism कलेक्टर को वाइस प्रिवेल करती है तो the people's enthusiasm will be dampened. जो आप कहेंगे कि जूडीशियल वर्क को लाइट करने के लिए हमने एडीशनल कलेक्टर बना दिये हैं, but the Additional Collector will be under the control of the Collector, he is not under the control of the judiciary. वह आपके एग्ज़ीक्यूटिव कन्ट्रोल में रहते हैं, तो जहां तक उसके वर्क को रिडयूज़ करने के लिए ए० डी० एम० बना दिये हैं वह सेपरेट हो जाता है But even this A. D. M. is borne on the same cadre as Collector. He is a subordinate to the Collector. तो इसलिए आप चाहे ए० डी० एम० बनाइये या कुछ भी बनाइये, unless you accept the principle of separate judiciary कलेक्टर का इन्फ्लुएन्स उसमें वर्क करेगा। इसलिए मैं मानता हूं कि पंचायत समिति का एक्सपेरीमेंट आप सफल बनाना चाहते हैं तो कलेक्टर से जुडीशियरी को ले लेना चाहिए। मेरा तो मतलब कहने का यह है

Page No.35

(श्री पी० के० चौधरी)

Collector as a district developmen' officer should be designated as Secretary of Zila Parishad. That will be proper place for him. The Collector as District Development Officer, bereft of his revenue functions, should be the Secretary of Zila Parishad. जो प्रपोजल्स हैं उनको फाइनल करने की ऑथोरिटी, that should be with the Zila Parishad and not with the Collector क्योंकि आपके जो इन्स्ट्रक्शन्स हैं, आपके प्रोफेशन और प्रेक्टिस में लोगों को कुछ डिफरेंस नजर आता है। प्रोफेशन में तो आप कहते हैं कि लोगों को सारी सत्ता देनी है और जिला परिषदें आप बना देते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, but in practice it is found that the same Collector is controlling the whole district and Zila Parishad has no say. पंचायत समिति ने पंचायत के डीलिमिटेशन का सुझाव दे दिया है तो आपके ऊपर कोई बाइन्डिंग नहीं है। जिला परिषद का भी एक तरह से सुझाव है लेकिन कलेक्टर का है प्रपोजल, that is the basic structure जिसके ऊपर आप आंख मींच कर दस्तखत करेंगे। यह उसका होता है तो हम मानते हैं कि कलेक्टर ही बड़ा रहा पंचायत समिति से। The Collector's voice is superior to them, it comes to it. तो इसलिए मेरा यह निवेदन है कि कलेक्टर से जुडीशियरी के पॉवर्स ले लेने चाहिए।

कलेक्टर की एक और दूसरी बात कहना चाहता हूं कि कलेक्टर का जो इन्स्टिट्यूशन है उसकी एक डेफीनिशन देकर मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं और वह डेफीनिशन जो है उसका जो डेस्क्रिप्शन है हेनरी फिल्डिंग का। उन्होंने एक किताब लिखी है उसमें डेस्क्राइब किया है........

श्री जनार्दनराय नागर : Is he a novelist ?

श्री पी. के. चौधरी : No. Henry Fielding was an essayist.

He says :-" I don't indeed know so pregnant an instance of the dangerous consequences of absolute power and its aptness to intoxicate the mind, as that of those petty tyrants who become as such in a moment on coming to a position in which they affect their superiority. " जो डेमोक्रेसी में आपने सारी पॉवर्स दी हैं it is going to cut the democracy, it is going to cut the people's enthusiasm आपकी पंचायत समिति में कोई ज़ील नहीं रहेगा, अगर कलेक्टर का सुपीरियर वाइस वर्क करता है। इस संबंध में मेहता कमेटी ने भी अपनी सिफारिश की है; Collector's office should now be abolished. मेहता कमेटी ने वॉल्यूम १ का पेज २१ का पैरा २.४४ में कहा है " It is possible on the basis of experience of the working of Panchayat Samitis that we may decided to decentralise the administration. However, possibly it may be necessary to alter the position, scope and powers of the Zila Parishads. Again there is little doubt that if after a few years, the powers vesting in the Collector and District Magistrate may fall in dis-use, they may be statutorily withdrawn. "

(श्री पी० के० चौधरी)

अगर पंचायत समिति को इसके ऊपर सक्सेसफुली वर्क करने देंगे तो कलेक्टर का कोई उपयोग ही नहीं रहेगा । लेकिन आज जो यह फंकशन्स कर रही है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उसमें it is trying to reduce the powers of Panchayat Samiti. थ्योरीटिकली कोई भी पॉवर्स हों लेकिन प्रेक्टीकली पंचायत के पॉवर्स रिड्यूज़ होते है । ज़िला परिषद् को कोई पॉवर्स ही नहीं है और जो कलेक्टर है, in between the State Government and Panchayat Samiti, उसके बीच में Collector is the main bureaucratic machinery और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक सेप-अप में this structure should also be democratic. डेमोक्रेसी में रिफलेक्शन है it must be in all stages of Government. उसमें गवर्नमेंट के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, कोई ऊपर डिक्टेटर हो तो naturally all the persons in the heirarchy will be his nominees. ऊपर डेमोक्रेटिक बॉडी हो तो entire structure democratic हो, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि हमारे ऊपर डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइज़ेशन है, नीचे भी है और बीच में हम देखते हैं कि एक ब्यूरोक्रेसी है और उसके फन्क्शन्स से मैं समझता हूँ कि हम जो डेमोक्रेसी का इन्सपाइरेशन लोगों में राइज़ करना चाहते हैं उसको स्मोदर डाउन होता है । यह जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसके रेवेन्यू फन्क्शन सेपरेट करके उसको डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट ऑफिसर बना दिया जाय और ज़िला परिषद् का सेक्रेटरी बना दिया जाय, और इसके डिटेल्ड सुझाव के लिए मेरा रिज़ोल्यूशन है कि एक कमेटी एपोइन्ट कर दी जाय और कमेटी अच्छी तरह से छानबीन कर कमेटी की तरफ से सुझाव आयेंगे उस पर किया जायगा । But unless we do it and unless we reduce the absolute powers. हमारा सारा एक्सपेरीमेंट फेल हो जायगा और मैं समझता हूँ कि वह डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है उसका समर्थन करते हुए मैं इसमें अपना संशोधन प्रस्तुत करती हूँ । मेरा संशोधन बहुत मामूली सा है । " along with............ Estimates Committee " को हटाकर उनके स्थान पर " including members of Legislative Assembly " शब्द रखे जायं । जहां तक संशोधन का सवाल है उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है । जैसा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पहले बतलाया कि कलेक्टर का पद ब्रिटिश शासनकाल से चला आ रहा है, मालगुज़ारी वसूल करने और शान्ति और व्यवस्था इसका काम रहता है । स्वराज्य के बाद भी कलेक्टर का पद है, लेकिन उसके कार्यक्षेत्र में थोड़ी वृद्धि हुई है । जब हमने विकास की योजनाएं शुरू कीं उस समय से कलेक्टर विकास अधिकारी का भी कार्य करता चला आ रहा है । इस प्रकार से आजकल जो कलेक्टोरेट हैं और आजकल का जो कलेक्टर है एक और तो मालगुज़ारी वसूल करने का काम उसके पास है, उसे शान्ति और व्यवस्था का काम करना है । इसके साथ साथ उसके ज़िले के विकास का भी उत्तरदायित्व उस पर है । हम देखते हैं कि बहुत सारे कर्तव्यों और बहुत सारे

(डॉ० चन्द्रकला)

अधिकारों के साथ कलेक्टर को काम करना पड़ता है।........

श्री शंकरलाल (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष, कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी के पश्चात्)

डॉ० चन्द्रकला : (जारी) कलेक्टर का जहां तक काम है वह एक ओर तो जिले के शासन, ज़िले की शान्ति और व्यवस्था और जिले का विकास है और दूसरी ओर उसका सम्बन्ध कमिश्नर और कमिश्नर के द्वारा प्रान्तीय सरकार या राज्य सरकार से आता है। जहां तक इस संस्था का सवाल है कलेक्टोरेट का, इसकी आवश्यकता आज तो है और लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की जैसी भूमिका में हम आगे चलना चाहते हैं उसमें कलेक्टोरेट नाम की संस्था तो रहने वाली है। सवाल तो यह है कि इनके अधिकार कर्त्तव्य किस तरह से सीमित होंगे, या किस तरह से परिभाषित होंगे ? अभी तक मैं सोचती हूँ कि कलेक्टर के जो अधिकार हैं उनकी कोई सीमा नहीं है। वे असीम हैं, और उनके कर्तव्य भी असीम हैं। जब भी कोई छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम आता है उसकी सब का जिम्मेवारी कलेक्टर के सिर पर होती है, और जो सब आफिसेज़ का हाल है कलेक्टर के आफिस या हर कलेक्टोरेट का हाल है। काम तो इतना सारा है, पर हो ज्यादा नहीं पाता है। हम देखते हैं कि हमने लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का काम हाथ में लिया और उस काम को करने का सबसे बड़ा जिम्मा कलेक्टर या ज़िलाधीश को दिया। उस काम को, जहां तक है, कलेक्टरों ने पूरा करने की कोशिश की, लेकिन वह ढांचा इस तरह से आ रहा था और एक तरीका जो चला आ रहा है कि सरक्यूलर इश्यू होता है। सरक्यूलर जाते हैं। सरक्यूलर ऊपर से चल कर नीचे तक पहुंच जाता है और फिर उसी तरह नीचे से चलकर ऊपर तक उनकी खानापूरी हो जाती है, लेकिन उनकी भावना में या स्प्रिट (sprit) में उसकी ग्राह्यता नहीं होती है।

जहां तक रेवेन्यू कलेक्शन का सवाल है इसके लिए राज्यपाल महोदय के भाषण में कहा जा चुका है कि धीरे धीरे पंचायतों को सौंप दिया जायगा। पंचायतों को सौंप देने के बाद भी अंतिम जिम्मा कलेक्टर का होते हुए भी उस पर से यह भार निश्चित रूप से कम हो जायगा। लेकिन जिले के और सारे काम होते हैं। जैसे जयपुर का जिला है उसके अन्दर जयपुर शहर की सब कुछ शासन और व्यवस्था या विकास या विस्तार जो कुछ भी है वह सभी कलेक्टर के हाथ में होती है। कलेक्टर की शक्तियां और उसके अपने साधन सब के सब सीमित होते हैं। नगरपालिका चुनाव कराये तो भी कलेक्टर ही करायेगा और यही कारण है कि हमारी सरकार चाहती है और यहां सदन में बताया भी गया है, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी काम हो, लेकिन सरकार स्वतन्त्र रूप से कुछ नहीं करती है वह सारे आदेश कलेक्टर के पास पहुंचाती है। कलेक्टर के पास बहुविधि काम है। गाव का काम है, कुओं का काम है और इस प्रकार से अनेकों काम हैं। उन कामों में उसको बहुत कम समय मिल पाता है और थोड़ा सा समय मिल पाता है उसमें काम ठीक नहीं

(डॉ० चन्द्रकला)

होता है । कलेक्टर का जहां तक ऑफिस है उसको हटाने, इस संस्था को खत्म करने की बात मैं नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की बात हम करते हैं, उस लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण में छोटे छोटे गांवों और ग्राम पंचायतों के बाद उसको एक साथ लाने वाली जो चीज़ होगी वह कलेक्टोरेट होगी । वह जिले का कोई न कोई स्थान होगा । लेकिन कलेक्टर में सारे कर्त्तव्य केन्द्रित किये हुए हैं।। कलेक्टोरेट में बहुत सारे उत्तरदायित्व और बहुत सारे कर्त्तव्य और अधिकार एक ही जगह इकटठे किये हुए हैं, वे किस तरह से विकेन्द्रित किये जायं यह देखने की आवश्यकता है । जो काम कलेक्टोरेट से होते हैं वे ठीक ठीक हों और उससे अच्छी तरह से जनता को फायदा मिले यह हमें, देखने की जरूरत है । आज रेवेन्यू इकट्ठी होकर आ जाती है, और कलेक्टर के पास आकर पहुंच भी जाती है, लेकिन उसका फायदा लोगों में कहां मिलता है ? जब कलेक्टर विकास अधिकारी था और विकास सलाहकारी समिति के द्वारा काम करता था तब मैं देखती थी कि अमुक धनराशि सरकार के द्वारा सीधी कलेक्टर के आफिस में पहुंचती थी, एक बहुत बड़ी राशि होती थी और वह बैठकर बांट दिया करते थे कि यह काम है । कुछ इधर हो जाय या कुछ उधर हो जाय । वह रुपया गांवों में भेजा जाता है लेकिन जो नगरपालिका के क्षेत्र हैं या दूसरे क्षेत्र हैं वहां कुछ नहीं हो पाता था । आज कलेक्टर की जिम्मेवारी शहर में, नगर में इतनी ज्यादा व्यापक है कि मेरी समझ में नहीं आता है और कलेक्टर जो उस पद पर है उसकी भी समझ में नहीं आता है कि कहां तक विस्तार और कहां तक काम करता है । जहां तक ऑफिस का सवाल है उस ऑफिस का काम, कलेक्टोरेट का काम करने का तरीका है, जो काम की व्यवस्था है और कहां तक अधिकार क्षेत्र में आने चाहिए, क्या क्या करता है, किस तरह से करना चाहिए, इस बात के लिए यदि एक कमेटी ऐसी बना दी जाय जो सारी बातों को देखकर इस तरह की सलाह दे और कलेक्टर के जहां तक अधिकारों को विकेन्द्रित करने का सवाल है, हम इस दिशा में कदम उठा चुके हैं । लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा का निर्माण करने का श्रीगणेश किया है, पंचायत समितियों को अधिकार दिये हैं, ज़िला परिषद् बनाई है, उसका सचिव कलेक्टर को रखा है । जिस प्रेक्टिकल रूप से, जिस तरह का माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि कलेक्टर को सचिव के रूप में काम करना चाहिए जिला परिषद् के सचिव के रूप में वह काम करता है ......

श्री शंकरलाल (रायपुर) : सचिव के रूप में काम नहीं करता है ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : वे भूल गई हैं । बहस याद रह गई है ।

डॉ० चन्द्रकला : अभी तक कलेक्टर जो भी काम करता है वह गांव का अधिक ध्यान रखता है, अपने क्षेत्र में आने वाली नगरपालिकाओं या शहरों की ओर ध्यान नहीं देता है । मैं खुद जयपुर शहर में रहती हूं और यह महसूस करती हूं कि कलेक्टर साहब शहर के काम में इतनी दिलचस्पी

Page No.39

(डॉ० चन्द्रकला)

नहीं लिया करते हैं। विकास अधिकारी की हैसियत से कलेक्टर साहब ने मुझे कह दिया था कि मेरा कार्यक्षेत्र नगरपालिका की सीमा नहीं है वहीं तक है। लेकिन जहां तक शान्ति व्यवस्था का सवाल है उनका कार्य-क्षेत्र नगर में भी है, रेवेन्यू का सवाल है वहां तक उनका क्षेत्र यहां तक था किन्तु जहां तक विकास का सवाल था उनका क्षेत्र नगर में नहीं था। माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखा है कि एक कमेटी बनाई जाय जो ठीक तरह से सलाह दे, मार्गदर्शन दे; तो मैं उसी उद्देश्य से आज का जो कलेक्टर है उसके पास इतना काम है कि जिसके कारण जिस तरह से हम सोचते हैं उस तरह से वह काम नहीं कर पाता। एक तरह से सोचते हैं तो कलेक्टर सरकार और गांवों के बीच में मध्यस्थ का काम करता है लेकिन सही रूप में वह मध्यस्तता अच्छी तरह से नहीं कर पाता। इसलिये यदि इस तरह की कमेटी बना देंगे तो वह सरकार का हाथ भी मजबूत करेगी और सही रूप से मध्यस्थता कर सकेगी और गांवों को विकास का मौका मिलेगा। एक अधिकारी की दृष्टि से नहीं, सलाहकार की दृष्टि से अच्छी तरह से काम हो सकता है, इसलिये मैं अपना अमेन्डमेंट रखती हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मेरा भी एक अमेन्डमेंट है।

श्री अध्यक्ष : इसमें आपका कहां है?

श्री मूलचन्द डागा : लिस्ट में मेरा नाम दूसरे नम्बर पर है।

श्री अध्यक्ष : हां, आपका संशोधन है। आप बोलिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है विकेन्द्रीकरण का और जब हमने एक नया नारा और नया सिद्धान्त मान लिया है और हम हिन्दुस्तान में यह कहते हैं कि हम विकेन्द्रीकरण में विश्वास करते हैं और विकेन्द्रीकरण का नारा हमने दे दिया है तो उस स्थिति में ये जो कलेक्टोरेट्स ज़िलों में आज कार्य कर रहे हैं और जो मशीनरी काम कर रही है उसकी जरूरत है या नहीं, इस पर विचार करना चाहिए और उसके लिए एक संकल्प सदन के सामने आया है, यह बड़ा भारी संकल्प है, इस पर विचार होना चाहिये। लेकिन अफसोस है कि बहुत कम संख्या में हम यहां बैठकर विचार कर रहे हैं। यह ऐसा महत्वपूर्ण संकल्प है जिस पर सभी पहलुओं से विचार होना चाहिए और विचार करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुँच सकते हैं कि क्या इस जमाने में जब कि हम लोग प्रजातन्त्र में एक नया कदम उठा रहे हैं उस समय कलेक्टर के कार्य की जरूरत है या नहीं और उसमें क्या क्या संशोधन होने चाहिए और इसकी क्या आवश्यकता है इस बारे में मैं एक दो वाक्य सुनाना चाहूंगा :

"The essence of decentralisation, therefore, lies in the distribution of powers of decision. The greatest number of decisions should be made in the field and with this end in view, field officers must be so selected and trained as to develop his capacity to decide the quiestion on the spot."

(श्री मूलचन्द डागा)

सवाल यह है कि हम कलेक्टर के कार्यालय को क्यों अनावश्यक समझते हैं ? हम यह चाहते हैं कि डिसीज़न का जो पॉवर है उसका डिस्ट्रिब्यूशन या बंटवारा होना चाहिये । अब तक हमने जो बंटवारा किया है वह किया है काम का । लेकिन जो डिसीज़न देने की पॉवर है उसका डिस्ट्रिब्यूशन नहीं हो रहा है । उसके लिए पांच बातों की आवश्यकता है । उन्होंने पहले कहा है :

"The greatest number of decision should be made in the field." सवाल यह है कि जो आप विकेन्द्रीकरण, केन्द्रीकरण को हटाकर, लाना चाहते हैं उसमें मेरा एक सुझाव है [संशोधन:—चौथी पंक्ति में "and" शब्द विलोपित किया जाय और सातवीं पंक्ति में "Legislative Assembly" व "be conStituted" के बीच में "and two senior advocates having special interets in revenue work" शब्दों को जोड़ा जाय] और वह यह है कि केवल काम का ही विकेन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए बल्कि डिसीजन करने की पॉवर का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये और जब डिसीजन का विकेन्द्रीकरण होता है तो उस समय काम जल्दी से होता है प्रजातन्त्र में यह पहली जरूरत है । कलेक्टर के कार्यालय के बारे में हम यह चाहते हैं कि सारा डिसीज़न का पॉवर कलेक्टर को ही न हो । आजकल क्या होता है कि बड़ी तकावी देने का मामला होता है तो उसमें फाइनल डिसीज़न कलेक्टर देता है । कोई और सवाल, जैसे शक्कर के बंटवारे का होता है तो काम दूसरे करते हैं, निर्णय दूसरे लेते हैं लेकिन आखरी जजमेंट कलेक्टर का होता है । म्युनिसिपल चुनाव होता है तो काम रिटर्निंग ऑफिसर करते हैं लेकिन आखिरी काम कलेक्टर का होता है । ऐसा मालूम होता है कि कलेक्टर के १०, २० हाथ हैं, ५० दिमाग हैं, २०० आखें हैं जिनसे वह रावण की तरह से सारा काम करना चाहता है । जो भी डिसीज़न होते हैं वे सब कलेक्टर के होते हैं । सप्लाई के काम में भी फाइनल ऑथोरिटी कलेक्टर की, रेवेन्यू के काम में भी फाइनल ऑथोरिटी कलेक्टर की । इसका क्या कारण है कि हम डिसीज़न को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते ? यदि हम यह नहीं कर सकते तो हम यह नहीं कह सकते कि प्रजातन्त्र में हमने विकेन्द्रीकरण किया है । सवाल यह है कि विकेन्द्रीकरण हमने सत्ता का नहीं किया । इसलिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने के लिये, उसको गांवों तक पहुँचाने के लिये, गांव गांव में, ग्रामीण पंचायतों तक पहुंचाने के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना होगा और उसमें यह होगा कि डिसीज़न करने की जो ताकत है उसका बंटवारा करना होगा और उसमें यह होगा कि कलेक्टर जो मौके पर बैटा है वह सिविल सप्लाईज का भी काम करता है, शक्कर का बंटवारा करना हो, अब तक सारा काम एस. डी. ओ. वगैरह को बांटडाला है लेकिन एस. डी. ओ. के काम पर भी कलेक्टर अपनी मोहर लगाता है । एक आदमी पर्मिट लाता है, वह आकर कहता है प्रीतिभोज करना है इसलिए उसको शक्कर चाहिए, एस. डी. ओ. उसकी सिफारिश करता है और कहता है एक मण का पर्मिट देना चाहिये, लेकिन फाइनल डिसीज़न कलेक्टर के हाथ में सौंपा हुआ है । वह अगर नहीं चाहता तो उसको शक्कर नहीं मिलती । यह बहुत गलत तरीका है ।

(श्री मूलचन्द डागा)

कई बार मैं सोचता हूं, आप एक तरफ कहते हैं कि हम केन्द्रीकरण का विरोध करते हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ सत्ता का बंटवारा नहीं करते, ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं। यह बिल्कुल सही बात है कि प्रजातंत्र में मानव के मूल्य को स्वीकार किया है। आप यदि इन्सान की कीमत आंकना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि कलेक्टर के यहां बाहर से आनेवाले मानव की क्या दशा होती है? एक ग्रामीण आता है कलेक्टर के दफ्तर में। जैसे हम लोग सेक्रेटेरियट में जाकर भूल जाते हैं कि क्या लिखें, कैसे लिखें, वहां पर सरवेन्ट्स कहते हैं कि अभी बैठे रहिये, कहीं पर बोर्ड पर समय लिखा हुआ होता है, लंबा-चौड़ा मामला होता है। इसी तरह से कलेक्टर के आफिस में जाकर एक काश्तकार चक्कर खाता है। कलेक्टर के ऑफिस में जाकर उसकी क्या हालत होती है, यह सोचने की बात है। आज आपने किसान को और जनता को एक सेठ की तरह से बनाया है और कलेक्टर वगैरह गुमाश्ता की तरह से हैं। उस सेठ की गुमाश्ता के यहां क्या हालत होती है, यह देखिये। पहले पहल वह एक टाइपिस्ट पिटीशन राइटर के चक्कर में फंसता है, वह कहता है कि कलेक्टर साहब अभी नहीं आये हैं, इस इस तरह से तुम दरख्वास्त पेश करो, जब कलेक्टर साहब की मोटर आती है तो चपरासी कहता है, हटो, कलेक्टर साहब की मोटर आ रही है। गर्मी में वह खड़ा खड़ा थक जाता है। काश्तकार लोग धूप में खड़े रहते हैं। पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर या जनसंपर्क अधिकारी उसका स्वागत नहीं करते। वे उनको यह नहीं कहते कि आइये, आप यहां बैठिये, अखबार पढ़िये, कलेक्टर साहब अभी आ रहे हैं। जन संपर्क विभाग का पहला काम यह होना चाहिये कि वहां पर एक बड़ा कमरा होना चाहिये। कोई ग्रामीण, किसान, मजदूर या वर्कर आवे तो उसको बैठाने के लिये जगह होनी चाहिये। उसके बैठने के लिए जगह होनी चाहिए और वहां पर सारे अखबार जमा होने चाहिए। वहां इन्क्वायरी ऑफिस होना चाहिए, जहां काश्तकार पूछ सके कि मुझे कम्प्रेसर मशीन के लिए दरख्वास्त देनी है, तो फौरन कह दिया जाय, भाई, तुम्हें यह काम करना है। अभी कलेक्टर साहब आयेंगे, तब मैं बुलवा दूंगा। लेकिन वे कहते हैं, अलग हो जाओ, कलेक्टर साहब आ रहे हैं। कलेक्टर साहब ज्योंही आते हैं, वे चिक उठा कर अन्दर घुस जाते हैं। तब काश्तकार अन्दर जाता है; यह दृश्य आप देखिये। ज्योंही काश्तकार अन्दर जाता है वे कहते है, बेवकूफ कहीं का, क्या दरख्वास्त लिखवा लाया है? मेरे पास आ गया सीधा। वह काश्तकार आशा लेकर आता है, एक दरख्वास्त पर दो-चार रुपये खर्च कर देता है लेकिन कलेक्टर साहब इतना हरीड डिसीजन करना चाहते हैं। उनके दिमाग के अन्दर उस किसान की कोई कीमत नहीं हैं। जब आप प्रजातन्त्र में मानव का सर्वोपरि मूल्य निर्धारित करना चाहते हैं, वहां देखें कि क्या होता है? कलेक्टर दरख्वास्त के लिए कह देता है, चले जाओ, दरख्वास्त भेज दी है। कहां भेजी है, किस तारीख को भेजी है; कहते हैं, तुम्हारी दरख्वास्त भेज दी है। उस काश्तकार की क्या हालत होती है, आप सोचिये। महात्मा गांधी कहते थे, ऐसा राज्य आयेगा, जिसमें सब सुखी हो जायेंगे। वह बेचारा काश्तकार

(श्री मूलचन्द डागा)

४० मील पैदल चल कर आता है. बच्चों को छोड़ कर आता है. लेकिन इस तरह उसे परेशान होना पड़ता है। यह हालत है डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन की। जब आप चाहते हैं कि मानव का मूल्य बढ़े. मैं समझता हूं कि इन दोनों चीजों में भेद है, प्रजातंत्र और शासन। प्रजातंत्र में जनसाधारण में जो लीडरशिप होती है और जो शासन है, उसमें भेद है। एक तरह प्रजातंत्र में घुन लगा हुआ है. और वह घुन है आपका कलेक्टर। क्या मतलब है कलेक्टर के पास जाने का? काश्तकार समझे कि हमारा गुमाश्ता बैठा हुआ है, उसके पास जायें। लेकिन यहां यह सवाल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि नौकरशाही में वह चीज़ नहीं है। इसलिए आपको डीसेन्ट्रलाइजेशन करने के बाद डिसीजन का बंटवारा करना होगा। उसके बाद आप छाती ठोक कर कह सकते हैं कि हमने बड़ा काम किया है। अन्यथा जब तक मनुष्य का मूल्य अंकित नहीं करेंगे, जब तक किसान को मालूम नहीं होगा कि आदमी में क्या गुण होना चाहिए, क्या रिलेशन होना चाहिए? अब ऑफिसर कैसा होना चाहिए. उसकी तीन क्वालिटी बताई है। मैं कह सकता हूं कि आज एक भी क्वालिटी नहीं है। पहली क्वालिटी बताई:

"Writers on administration often raise the question as to what qualities are needed for a successful executive. Obviously, there can be no finality or universal agreement about the list of such qualities, but there are a few of them which are generally accepted as indispensable. The first requisite is strength and balance of personallty. Strength implies intelligence, firmness of purpose, continuous interest in the work, and energy. Without these, whatever the formal or legal powers of the executive may be, he would fail to make his mark." अब आज कलेक्टर कहां से इम्पोर्ट होते हैं? कोई भी व्यक्ति नया आ जाता है, उनको पता नहीं लों का, आकर बैठ जाते हैं। मुझे दुःख होता है। कलेक्टर कहते हैं कि हम तो नौकर हैं, हमें नौकरी करनी है, हमें किसी की चिन्ता नहीं। अब उन्होंने दूसरी क्वालिफिकेशन बताई, कि क्या क्वालिटी होनी चाहिये कलेक्टर में 'The second requisite is the quality of leadership. This again is something which it is not easy to define. It has been variously described as the capacity 'to lubricate human relationships' 'to create and retain enthusiasm.." तो इसलिए कहता हूं कि जिला प्रमुख है, वह कलेक्टर हो चुका है और उस कलेक्टर के नीचे वह सेक्रेटरी का काम करे। १८०० रुपये का सेक्रेटरी न हो, तो आप देख लें। आगे कहते हैं, retain enthusiasm' or, as one writer puts it, 'to make men feel two inches taller in your presence. वह बेचारा काश्तकार आया। उसको कहते हैं, जाओ-जाओ, तुम क्यों आ गये। टू इंचेज टालर। उसको कहें, क्या दरख्वास्त लेकर आये हो, क्या मैं आपकी शिकायत दूर कर सकता हूं। तो यह कलेक्टर की क्वालिटी होगी। लेकिन आज कलेक्टर कहता है, मेरी सर्विस सिक्योर्ड है, न काश्तकार मेरा बाल बांका कर सकता है, न लीडर कर सकता है और न ग्राम सेवक। वह जमा हुआ बैठा

(श्री मूलचन्द डागा)

है, अपनी सर्विस बुक लेकर। वह समझता है, मैं मजबूर हूँ मुझे नौकरी से मिनिस्टर भी नहीं हटा सकता, सिवाय इसके कि इधर से उधर मुझे भेज दे, भरतपुर से पाली, पाली से अलवर। लीडरशिप की क्वालिटी है कि वह डेमोक्रेट हो। तो वे कह रहे है "Nothing inspires people more to better effort than a word of recognition and praise when there is an occasion for it." आज स्वराज्य आ गया है, गुलामी का कोड टूट गया है, प्रजातंत्र का सवेरा हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आप कहते है कि गांवों के अन्दर ८१ प्रतिशत लोग रहते हैं; उसके लिए बताया है कि लीडरशिप कलेक्टर या ऑफिसर में होनी चाहिए....

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : आपको कलेक्टर बना दें।

श्री मूलचन्द डागा : चाहे मुझे बनायें, चाहे किसी को कलेक्टर बना दें। जमाना आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसकी जरूरत है। हम गांवों के विचार से सोच रहे हैं, हमारा एक कदम उठ चुका है, हम विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं। जब पहला कदम उठ गया है, जब तेजी से चलना चाहते हैं तो गति आ जाती है. जब गति पकड़ लेते हैं, तो आदमी में एक हिम्मत और साहस पैदा हो जाता है। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र के अन्दर ऐसी कुर्सी पर ऐसे आदमी को आसीन होना चाहिये जिससे मालूम हो कि हम प्रजातंत्र के अन्दर खड़े हुए हैं। इसलिये इन्होंने एनेलिसिस किया है कि कलेक्टर में ये क्वालिटी होनी चाहिए।

श्री राजगोपालाचारी ने लिखा है, अगर एग्जीक्यूटिव हैड हो तो क्या करना चाहिए C. Rajgopalachari, a successful administrator himself and former Governor-General of India, enumerated six fundamental requirements of a good administration. First he must be a man of character. Character is as important for the administrator at every level from the chief secretary down to the last grade employee as sunlight is to every form of life. इस एनेलिसिस को मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता हूँ, काफी लम्बा एनेलिसिस किया है। यह लिखा है कि प्राइवेट लाइफ कुछ भी हो, हमें क्या मतलब है। हमें तो अपने कन्डक्ट को देखना चाहिये। सी. राजगोपालाचारी ने कहा कि वहां पर गलती करते हैं. जहां आदमी सोचता है, प्राइवेट लाइफ कुछ भी हो, उससे न लेना और न कुछ देना, न ऊधो का लेना और न माधो का देना, हमें ऑफिस से काम है। उन्होंने कहा- He who act wickedly in private life can never be expected to be noble in his public conduct, for it is not the man but the place which has changed." उन्होंने कहा कि जगह, चीज़ बदल गई है, आदमी वही का वही है। वे कहते हैं कि हम ऐसे आदमी को नहीं चाहते हैं। अब वह कैसा कलेक्टर हो, तो कहते हैं कि कलेक्टर का भी चुनाव हो। अगर कलेक्टर बनाना भी है, तो चुनाव पद्धति होनी चाहिये। आप जिस उसूल को रखना चाहते हैं कलेक्टोरेट में, उससे वहां भी चुनाव पद्धति हो सकती है। अगर नहीं, तो यह जो विचार

(श्री मूलचन्द डागा)

प्रणाली है, केन्द्रीकरण को हटा कर हम विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं, हम लोकतंत्र में केन्द्रीकरण को पसन्द नहीं करते हैं। अगर पसन्द नहीं करते हैं तो इस चीज को हटाना होगा। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते क्या हैं ? हम कलेक्टर के लेवल पर एक बात चाहते हैं और वह यह चाहते हैं कि इस प्रकार का अधिकार हो, जो डेमोक्रेसी की समझे, जो जमाने को साथ लेता हुआ चले। आपके एक डिपार्टमेंट का मैंने उदाहरण दिया, आपका पब्लिक रिलेशन आॅफिस है, जन सम्पर्क विभाग है, उसमें सारे अखबार आते हैं। मेरे खयाल से गवर्नमेंट कलेक्टर को भी पेपर्स प्रोवाइड करती है, सेक्रेटरी को भी प्रोवाइड करती है। वे घर पर पढ़ते होंगे। इसमें क्या एतराज है ? मैं समझता हूं कि एक बड़ा कमरा हो, दो चार पंखे लगे हुए हों, १०. २० कुर्सी हों। अगर कोई आये, तो कहें, बैठिये, अखबार पढ़िये। एक बनर्जी. दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तीन आर्टिकलर टाइम्स आॅफ इन्डिया में पब्लिश हुए। उन्होंने उनमें कहा है कि मैंने दिल्ली को घूमते घूमते देखा, एक एक आॅफिस में गया वहां देखा। एक बार देखा कि एक आॅफिस के बाहर एक क्लर्क बात कर रहा है एक आदमी से। आदमी ने कहा, क्या हाल:चाल है। क्लर्क ने कहा, तुम्हारी फाइल तो मैं तुम जब चाहोगे, तब निकाल दूंगा; लेकिन तुम भी कुछ निकालो। बनर्जी बरामदे में उनके पास खड़े खड़े सुन रहे थे। बोले, तुम्हारी भी कहो, तुम्हारे पास से भी कुछ निकालो ना। आदमी ने कहा, मैंने इतना कह दिया। क्लर्क ने कहा कि इतने कह देने से क्या है। तो बनर्जी ने कहा कि यह आॅफिस का आॅफिस ही इतना करप्ट हो गया है कि यह करप्शन मिट नहीं सकता। कलेक्टर कहते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। कलेक्टर्स का काम हो गया है मीटिंग्स कॉल करना। एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मौजूद है तो फिर कलेक्टर क्यों? पर उसमें आदत पड़ गई है, जैसे बगैर इस्त्री किये कपड़े पहन कर बाहर निकल ही नहीं सकता। वह इसी में समझता है कि इसमें मेरी इम्पोर्टेन्स है, नई फैशन के कपड़े हों तो वह समझता है मेरा करेक्टर बन रहा है।

(१ म. प.)

तो एक तरफ डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो इस संकल्प पर भी विचार करिये कि कलेक्टर को जो अधिकार हैं उन अधिकारों को सौंप दीजिये. मजिस्ट्रेट के पॉवर्स हैं वह एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दीजिये, सिविल सप्लाइज़ के पॉवर्स हैं, वह जिला परिषद् को दे दीजिये, टिन बांटना, कोयला देना, शक्कर बांटना इन सब कामों में कलेक्टर अब क्यों बीच में ही टांग अड़ा कर बैठ जाय, दे दीजिये ये सारे काम जिला परिषदों को। सारा रिपोर्टिंग करता है तहसीलदार, फिर एस. डी. ओ. पर फिर भी ६ दिन तक पेपर पड़े रहते हैं कलेक्टर साहब के घर पर टोकरी में। कलेक्टर उन कागज़ों पर 'येस' या 'नो' लिखता है, कोई खास बात हो तो दो चार लाइन लिख देता है। तो समझ में नहीं आता कि कलेक्टर की आवश्यकता क्या है ? यदि यह देखें कि '१५ अगस्त' और '२६ जनवरी' को कौन झण्डाभिवादन

(श्री मूलचन्द डागा)

करें और देखें कि हमारे मिनिस्टर्स जायं उनका स्वागत कौन करे तो वह बात अलग है। तो हमने इसलिए लिखा है कि वकील लोगों को इस कमेटी में डाला जाय। वकीलों का काम राष्ट्र निर्माण करना है, कोई भी कमेटी बने तो ये अन्-अवोइडेबल हैं।

कलेक्टर के सिविल सप्लाइज़ के म्युनिसिपेलिटीज के उदाहरण मैंने दिये, पाली में २७ हजार रुपये का खर्चा कर दिया, मैं कहता ही रहा कि इसमें यह देखना है। पर कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट का राजा है। इसीलिए कमेन्टरी आई थी कि हरीडली डिसीजन लेते हैं। हरीडली डिसीजन लेने से सारा काम बिगड़ता है। डीसेंट्रलाइजेशन करना है। तो सारा काम सौंप दीजिये तहसीलों को, जिलाओं को और यह कर दीजिये कि जो चुने हुए लोग हैं वे काम करेंगे। चुने हुए लोग किसी काश्तकार को देखेंगे तो फौरन उस किसान की सुनवाई करके कहेगा कि तुम्हारा काम मैं अभी देखता हूं। कलेक्टर की क्वालिफिकेशन यह होनी चाहिये, आपके जन सम्पर्क विभाग को यह काम करना चाहिए, उसकी तरफ से हर कलेक्टोरेट में एक आदमी हो जो आने वाले आदमियों का स्वागत करे, उन्हें अखबार दे और तारीख दे, पर इस तरह का कहीं प्रबन्ध नहीं है। रेल्वे ऑफिस पर तो है कि वहां यदि जा कर पूछें कि फर्स्ट क्लास का टिकट कहां मिलेगा तो आपको फौरन एक आदमी बतायेगा। पर कलेक्टर के ऑफिस में किसान खड़ा रहे, वहां उसे कोई नहीं पूछता, कोई पैरोकार मिल जाय तो उससे १० रुपये निकलवा लेता है। कलेक्टर के ऑफिस में एक किसान, मध्यमवर्ग का आदमी चक्कर लगाता ही रहता है, उसे कोई बताने वाला नहीं, लोग कहते हैं कि यह कैसा स्वराज्य है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारा जन सम्पर्क विभाग यह कार्य करे। इसलिए सुझाव दिया गया है, हमने सुझाव दिया है कि एक कमेटी का निर्माण होना चाहिए जो इस बात को बताये कि हम किस किस प्रकार काम कर सकते हैं।

वर्क सिम्प्लीफिकेशन की बात बता रहा था कि कलेक्टर के कार्यालय में कैसे कार्य को स्पीडीली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं :

"Work simplification aims at the elimination of unnecessary steps and effort so as to make it more expeditious, productive and economical. There are three basic techniques or tools used in work simplification. First a work distribution chart showing the activitiss of each individual employee involved in the work and the time spent by him over each activity is prepared. Secondly there is process or work-flow chart showing the successive steps in a givan procodure.. ..."

कलेक्टोरेट में बड़ी गड़बड़ है, एक क्लर्क दिन भर में चार कागज निकालता है. एक क्लर्क दिन भर में चार पन्ने टाइप करता है क्योंकि वह जानता है कि कलेक्टर किसी पर खुश है तो उसको एल. डी. सी. से यू. डी. सी. बना सकता है और अगर नाराज हों तो यू. डी. सी से एल. डी. सी. बना देगा। तो यह कौन डिसीजन ले कि इस तरह का कार्य होना चाहिए। यही

Page No.46

(श्री मूलचन्द डागा)

कारण है कि हाई कोर्ट में केसेज़ की भरमार रहती है। जहां नम्बर का सवाल है कि इतने केसेज़ डिस्पोज़ ऑफ होने चाहिए वहां क्वालिटी नहीं रहती, ५०० केसेज़ डिस्पोज़ ऑफ किये तो वो तो डूब गये। तो वर्क सिम्प्लीफिकेशन में बताया कि एक को पूरे अधिकार दीजिये कि यह काम बांटा है, इसकी तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी है।

मैं उदाहरण पेश करूं, मन्त्री मण्डल की बैठकें डिस्ट्रिक्ट्स में हुईं। एक तो मेमोरेंडम बनाया ज़िला परिषद् ने, सभी ज़िला परिषदों ने मेमोरेंडम बनाये, ७०० कागज बिगड़े। एक मेमोरेंडम बनाया कलेक्टर ने, तमाम तहसीलदारों, बी. डी. ओज. और एस. डी. ओज. की मीटिंग कॉल कर के मेमोरेंडम बनाया। तो यह कैसा सिम्प्लीफिकेशन ?

कलेक्टोरेट में तकावी वितरण का सवाल है....

श्री अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया, आप कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अभी खत्म करता हूं। जहां तक कलेक्टर के पास तकावी वितरण का और चीजों के वितरण का काम है वह सिविल सप्लाईज़ ऑफिसर पर निर्भर रखें और उसको इस मामले में फाइनल ऑथोरिटी मानें, लैंड रेकर्ड ऑफिसर है उसको फाइनल ऑथोरिटी मानें। इनको आप फाइनल ऑथोरिटी क्यों नहीं मान लेते ? नहीं तो यह होगा कि इन चीजों में गलती रहेगी, यदि एक जगह ही सारा सेन्ट्रलाइजेशन करेंगे। मैं अब आपके सामने....

श्री अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया है और दूसरे माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह भाषण समाप्त करते हुये यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत इम्पोर्टेन्ट संकल्प है। इसलिए आपका इस प्रकार का सेट अप होना चाहिये जिससे यह जो प्रणाली है उसमें प्रेरणा मिले। अगर इससे आपके नागरिकों का मूल्यांकन नहीं बढ़े तो आपको नुकसान उठाना होगा। संकल्प कुछ भी हो, कलेक्टर की अब क्या आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस संकल्प का समय तीन बजे का दिया गया है। इसके बाद दूसरा संकल्प लिया जावेगा। इसलिए इस पर २॥ बजे तक बहस होगी और उसके बाद सरकार की तरफ से उत्तर दिया जाएगा। इस बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य १५ मिनट में ही अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के समक्ष है उसमें मेरा संशोधन है। जो संकल्प सदन के सामने आया है वह बहुत ही महत्व का है और इसमें एक ऐसी कमेटी की नियुक्ति की जावे जिसमें जनलेखा समिति के अध्यक्ष, एस्टीमेट्स कमेटी के अध्यक्ष भी हों और कलेक्टोरेट के वर्किंग के बारे में और सेट-अप के बारे में विचार करें, लेकिन इस संकल्प में यह,

(श्री शंकरलाल)

नहीं बताया गया है कि ऐसी कमेटी हो उसकी आवश्यकता कैसे पैदा हुई ? कोई कमेटी किसी उद्देश्य से पैदा होती है । मैं निम्नलिखित शब्द इसके बारे में आपके सामने रखूं : "keeping in view also the ideal of democratic decentralisation." अध्यक्ष महोदय, वास्तव में राजस्थान में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण आने के पश्चात् यह महसूस होता है कि कलेक्टोरेट को ही नहीं बल्कि सारे सेट-अप, जो मौजूदा प्रशासन में चल रहा है, उसके लिए वास्तव में एक कमेटी की नियुक्ति करने की आवश्यकता है और यह कमेटी का उद्देश्य होना चाहिए कि जो लोकतन्त्र पद्धति अपनाई गई है उसके अनुसार देखे कि दूसरे कलेक्टोरेट्स में क्या पद्धति अपनाई गई है और वहां पर क्या कार्य होता है ?

अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में जब रियासतों का एकीकरण हुआ था उसके पहले शासन प्रणाली थी उसके बाद में जिला परिषद् आदि हमारे सामने आये । उसके बाद में डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलइजेशन हुआ और शासन अब उसके अनुसार जिला स्तर पर चलता है और वह जिस तरह से कलेक्टर का कार्यालय चलता है उस तरह से कलेक्टर का स्वयं का कार्यालय न होकर जिलों के दूसरे स्तर का कार्यालय है उसका कोऑर्डीनेट करता है और उसके नीचे जो तहसीलें हैं उनकी देख-रेख रखता है और उसको, यानी कलेक्टर को अपने जिले में हर प्रकार का अधिकार है और अपने जिले में वह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति और निर्णायक है । तो मेरा यह विचार है कि इस समय कलेक्टर की परिभाषा क्या होनी चाहिए ? मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में जो जिले हैं वे किसी एक आधार को लेकर नहीं बनाये हुए हैं । एक कलेक्टोरेट के बारे में कोई यह कहे कि शिकायत हो सकती है तो दूसरे के बारे में कोई दूसरी शिकायत हो सकती है । इसकी खास वजह यही है कि वे किसी खास आधार पर नहीं बने हुए हैं । दूसरे स्थानों पर जितने भी जिले हैं वे अलग अलग आबादी के हिसाब से बने हुए हैं और वहां की आबादी यहां के एक जिले की आबादी से बहुत ज्यादा है । हमारे यहां ऐसे जिले भी हैं जिनकी आबादी ६ लाख की है तो कहीं ६ और १० लाख की होती है । बाहर के प्रान्तों में जिलों की आबादी ६ या १० लाख से कम नहीं है और कहीं कहीं तो २० या २२ लाख की होती है । मद्रास में २७ लाख की आबादी के ज़िले भी हैं । यह कलेक्टोरेट के कार्य की सीमा है । राजस्थान में कहीं १० तो कहीं १२ लाख और कहीं तो २ या तीन लाख की आबादी पर जिले बने हुए हैं । इसलिए कलेक्टोरेट के बारे में सुझाव देने के बारे में कमेटी यह विचार करेगी कि कलेक्टोरेट की कार्य-सीमा किस प्रकार और कितनी होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, चीफ सेक्रेट्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसने यह सुझाव सरकार के सामने रखा कि मौजूदा २६ ज़िले हैं उनको २० जिलों में डिवाइड़ कर दिया जा सकता है और इसके अनुसार तहसीलें और दूसरे उपखंड हैं उनकी भी फिर से सीमा निर्धारित की जा सकती है । कलेक्टर बैठा अपना कार्य करे मगर मैं यह कहूंगा कि हमारे यहां जब एक तहसील का केन्द्र एक गांव से पांच मील पड़ता है और

Page No.48

(श्री शंकरलाल)

फिर भी वह गांव उस तहसील में नहीं रखा जाता है और दूसरी जगह जाता है जहां पर वह उस तहसील से २५ मील के फासले पर पड़ता है । पाली में एक गांव पाली तहसील से ७ कोस की दूरी पर है और दूसरी तहसील से २० कोस की दूरी पर है, मगर वह पाली तहसील में न होकर देसूरी तहसील में जहां २० मील पड़ता है रखा जाता है। इसलिए कई प्रकार के प्रश्न उठाये जावें कि इस प्रकार का प्रशासन है उसमें खास करके सुझाव दें। इसके पहले हमारा जो ढांचा है उसका सुधार किस प्रकार से होगा और हमारे डिस्ट्रिक्ट का पुरसमन कैसे हो, यह सोचना है। हमने पंचायत समितियां बनाई, हमारे यहां २५५ पंचायत समितियें हैं और उधर २१२ तहसीलें हैं। परन्तु तहसीलों का पुरसमन ठीक तरह से मालूम नहीं होता। एक तरफ हम पंचायतों को दो हजार की जनसंख्या के आधार पर बना रहे हैं लेकिन इसके साथ में हमारी तहसीलों और पंचायत समितियों की और जिलों के बारे में हमारी कोई विचारधारा हमारे सामने नहीं है। जब तक वह हमारे सामने नहीं रहेगा तब तक वह काम अधूरा रहेगा और यह सुझाव है कि पंचायत समिति और तहसीलों का कार्य है वह एक ही तहसील में हो। जब तक यह काम सरकार हाथ में लेकर जिलों को नहीं बनाएगी तब तक सुझावों के बारे में हम कोई आधारभूत सिद्धान्त नहीं रख सकेंगे। इसलिये मैं सबसे पहले यह मानता हूँ।

दूसरी बात कलेक्टोरेट के काम काज के बारे में बातें कही गई। जब यह डीसेन्ट्रेलाइजेशन हमारे यहां हुआ है तो मैं यह समझता हूं कि कलेक्टर डेवलपमेंट ऑफिसर होना चाहिये। यह भी कहा गया कि डेवलपमेंट का सारा काम पंचायतों में होता है तो इसको एबोलिश करना चाहिये। मगर मेरा एक विपरीत सुझाव है। जब कलेक्टर डेवलपमेंट के काम से अलग हो जाता है और फैसलों का काम एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है, मैं समझता हूं कि जिलों में जिला परिषद् के विकास के काम जिलों के स्तर पर होने चाहिये और उसमें कलेक्टर का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये कलेक्टर का विकेन्द्रीकरण में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अनुकूल नहीं होगा। मुकदमों का फैसला एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट करता ही है। रहा यह प्रश्न कि अब कलेक्टर क्या काम करे? फैसलों का काम एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट करता है और विकास का कार्य जिला परिषदों के पास रहे तो कलेक्टर क्या करे? मैं यह कहूँगा कि कलेक्टर के पास रेवेन्यू का काम अवश्य रहना चाहिये। अब यह कहा गया है कि पंचायतों को अधिकार दिया जा रहा है तो कलेक्टर को रेवेन्यू का पॉवर होना चाहिए कि वह यह देखे कि जिला स्तर पर कितनी रेवेन्यू होती है और वे ठीक तरह से वसूल करते हैं या नहीं। 'कलेक्टर' शब्द का जैसा अर्थ निकलता है वह यही है कि केवल रेवेन्यू पर ही उसका कार्य रहना चाहिए और दूसरा यह रहना चाहिये कि जो जिलों के स्तर पर जितने डिपार्टमेंट है उनका वास्तव में को-ऑर्डिनेशन होता है या नहीं जो होना चाहिए; जैसा पब्लिसिटी, ट्रान्सपोर्ट आदि। जो अलग अलग जिला स्तर पर हैं। जिनका वास्तव में राजस्थान सरकार से सम्बन्ध है और किसी को कहने का मौका न मिले।

Page No.49

(श्री शंकरलाल)

तो कलेक्टर एक मात्र रेवेन्यू का काम करे और जिला स्तर पर विभाग हैं उनका कार्य जैसा ऊपर बताया गया है, करे।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार के मामलों में एक कमेटी बनी जिसने यह महसूस किया कि भ्रष्टाचार में रेवेन्यू की तरफ से एक कमेटी होनी चाहिए। लेकिन मैं यह समझता हूं कि जब डेवलपमेंट के काम को जिला परिषद् को दे देते हैं, केस वर्क एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे देते हैं तो फिर करप्शन का काम कलेक्टर को क्यों नहीं दिया जाना चाहिये, यह दे देना चाहिए। बाजे वक्त देखा गया है कि करप्शन के मामले पर विशेष गौर नहीं होता। जोधपुर में डी. एस. पी. रहता है। किसी जिले से एन्टीकरप्शन की शिकायत पहुंची, या तो यह देखा गया है कि सीधे रूप में पहुंच भी नहीं सकती, उनमें देर हो जाती है और वे बाज वक्त तो बिलकुल पहुंचने से पहले ही खुल जाती हैं और इस दृष्टि से, लोग हैं, वे शिकायतें पहुँचा भी नहीं सकते और उन शिकायतों पर फिर विशेष कार्यवाही समय पर होनी चाहिये वह नहीं हो पाती। इसलिए कलेक्टर के पास यह काम रहना चाहिए जिससे कि भ्रष्टाचार के विषय की जो शिकायतें हैं वे उसके पास पहुंच सकें और इससे लोगों को शिकायतें करने और उनको सुलझाने का मौका मिलेगा।

दूसरा हमारे प्रशासन में फिजूल खर्ची के मामले हैं। बहुत से मामले फिजूल खर्ची के होते हैं और कई दफा यह देखा गया है कि जीपों के मामले आते हैं और दूसरे दूसरे मामले आते हैं। कलेक्टर रेवेन्यू कलेक्ट करे, करप्शन का वह इन्चार्ज हो उसके, जिले में कम से कम खर्चा प्रशासन में किस प्रकार से हो उस पर नियन्त्रण कलेक्टर रखे, वह यह देखेगा कि प्रशासन में कम से कम खर्चा किस प्रकार से हो सकता है और किया जा सकता है। कलेक्टर हर एक जिले में होता है। उसकी पर्सनलिटी कैसी होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में अधिक कुछ कह दिया गया है लेकिन मेरा यह निवेदन है कि आई. ए. एस. ऑफिसर भारत सरकार के निर्णय के अनुसार कलेक्टर के पद को ग्रहण करे। उसकी दूसरी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। जैसे एज का सवाल है। आज हम देखते हैं कि नवयुवक कलेक्टर के पद पर आ जाते हैं, उनको प्रशासन का और दूसरा व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता। जनता से किस प्रकार मिलना चाहिए, जनता की क्या शिकायतें हैं, इस ओर से बिलकुल ही विमुख सा रहता है। क्योंकि वह उस शिक्षा में पला हुआ होता है, वातावरण में पला हुआ होता हैं कि उसको इस बात का ज्ञान नहीं होता है और वह केवल शिक्षा की दृष्टि से कलेक्टर के पद पर आकर बैठ जाता है। उसके लिए एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कलेक्टर को किस प्रकार से जनता के साथ रहना चाहिये, किस प्रकार से जनता के साथ उसका एप्रोच होना चाहिए। केवल कलेक्टर बना देने से ही काम नहीं चलता है। उसकी पर्सोनलिटी का जनता में काफी प्रभाव पड़ता है। एक आदमी प्रौढ़ है, बातचीत करने में प्रवीण है और जनता के सम्पर्क में आने वाला है, तो उसका प्रभाव जनता पर भी पड़ता हैं बनिस्बत इसके कि एक

(श्री शंकरलाल)

नवयुवक कलेक्टर हैं, जो अपने ही घमन्ड में रहता है, अपनी ही पर्सोनलिटी के अभिमान में रहता है, यदि कोई मिलने के लिए जावे तो तीन घंटे तक तो वह मिलने का समय ही नहीं देता है, इससे क्या फायदा इस प्रकार के कलेक्टर को रखने से ? वह जनता पर क्या प्रभाव डाल सकता है ? इसलिए कलेक्टर को विशेष ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है।

इलेक्शन की बात कही गई। इससे हल निकलने वाला नहीं है। पंचायत का इलेक्शन होता है, आज कलेक्टर का इलेक्शन हो तो फिर कल कमिश्नर का इलेक्शन होगा और फिर दूसरे दूसरे ऑफिसर्स का होगा तो यह कोई व्यवहारिक बात नहीं है।

कलेक्टर का जिले में प्रशासन चलता है। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मेन्यूअल बना हुआ है। उसमें सुधार करने के लिए गवर्नमेन्ट ने एक ऑर्गेनिजेशन एन्ड मेथड सेक्शन बनाया था, उसने सुझाव दिया था कि डिस्ट्रिक्ट मेन्यूअल में सुधार होना चाहिये। कीपिंग इन व्यू ऑफ डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन डिस्ट्रिक्ट मेन्यूअल में सुधार होना चाहिये। यह मेन्यूअल उस समय बना था जब कि डिमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अब जब कि समय आ गया है तो उसको ध्यान में रख कर मेन्यूअल में परिवर्तन करना चाहिये।

एक बात कही गई कि कलेक्टर को जिला परिषद् का सचिव बनाना चाहिये। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। मैंने कहा कि इन बातों से अलग रहना चाहिये। इसके लिए तो ज़िला परिषद् को ही पॉवर होने चाहिये। आज कलेक्टर जिला परिषद् के निर्णयों को निरस्त कर सकता है, यह लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण के अनुकूल नहीं है। एक तरफ तो आप जनता को सत्ता देते हैं और दूसरी तरफ से उसको वापिस पकड़ लेते हैं। जिला परिषद् जैसी बड़ी संस्था कोई निर्णय ले ले और उसको कलेक्टर खत्म कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिये। जिला परिषद् पर कलेक्टर का कोई चेक नहीं होना चाहिये और उसका सीधा सम्बन्ध राज्य सरकार से होना चाहिये। इससे लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण की एक कड़ी बनेगी, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् और राज्य सरकार। कलेक्टर की जो मल्टीफेरियस ड्युटीज़ हैं वह एक लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण के मार्ग में रोड़ा है। उसका तो रेवेन्यू कलेक्शन, कस्टम्स आदि जो कार्य मैंने अभी बताये हैं उन्हीं से सम्बन्ध होना चाहिये।

हम नारा लगा रहे हैं और सरकार भी स्कीमें बना रही है कि प्रशासन में हिन्दी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होगा, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि कलेक्टोरेट, डिस्ट्रिक्ट में आज भी दफ्तरों के जो कर्मचारी हैं, अहलमद और जो अन्य कर्मचारी हैं, वहां जो अब भी लिखा पढ़ी होती है वह सब अंग्रेजी में ही होती है। हमें जो चिट्ठियां आती हैं वे भी अंग्रेजी में ही आती हैं। राजस्थान के प्रशासन में यदि सेक्रिटेरियट लेवल पर अंग्रेजी में काम होता है, क्योंकि उनको भारत सरकार से डील करना पड़ता है जहां कि ऐसे लोग हैं जो हिन्दी नहीं जानते हैं, तो यह संभव सा लगता है लेकिन जिलों में अंग्रेजी में काम हो यह उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए जिलों की व्यवस्था के सम्बन्ध में केवल हिन्दी

Page No.51

(श्री शंकरलाल)

का ही प्रयोग किया जाय और एक यह ही चीज़ राज्य सरकार अपना ले तो लोगों की काफी असुविधा दूर हो सकती है और सरकार का यही आदेश होना चाहिये जिला स्तर पर कतई अंग्रेजी में कार्य नहीं होगा। सेक्रेटेरियेट के लिए किसी प्रकार की असुविधा हो सकती है लेकिन जिलों में ऐसा नहीं है कि कोई हिन्दी न समझता हो। सब ही हिन्दी समझते हैं और बोलते हैं। जो भी कोई कलेक्टर जाय वह हिन्दी का अच्छा ज्ञान रखने वाला होना चाहिये, योग्य और अनुभवी होना चाहिये और उसके कार्यालय में भी हिन्दी जानने वाले ही होने चाहिये।

अब इस सम्बन्ध में मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता और यही निवेदन करूंगा कि थोड़े दिन पहले ही यह स्थिति सामने आयी थी कि जिलों का प्रशासन होते हुए भी माननीय सदस्यों के जो विचार होते हैं और उन पर सरकार की ओर से आश्वासन दिये जाते हैं उनको कार्यान्वित नहीं किया जाता है जिला स्तर पर। आश्वासन समिति ने रिपोर्ट दी है कि जून १६५६ तक ११०० आश्वासन कार्यान्वित नहीं हुए हैं। जहां से सवाल के जवाब आते हैं और सरकार जिन पर आश्वासन देती है, उनको कार्यान्वित जिला स्तर पर ही किया जाना होता है। जो भी सदन में निर्णय हों उनको कार्यान्वित जिला स्तर पर ही करना चाहिये। यदि इस प्रकार से जिलों में अच्छी तरह से कार्य हो तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी काफ़ी कम हो जावेगी और सदन के निर्णय भी कार्य रूप में परिणित किये जा सकेंगे। इन बातों को दृष्टि में रखते हुए कमेटी जो बनी हुई है वह कार्य करे। यदि उपरोक्त दृष्टि से प्रशासन में सुधार किया गया तो सुधार आयेगा और मुझे आशा है कि लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण की ओर आगे बढ़ेंगे और हमारे प्रान्त को उन्नत बना सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दलीपसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मोतीलाल चौधरी।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं और वह भी दो दृष्टिकोणों से। एक तो इस बात का कि इसमें जो रखा है चेयरमैन पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी के चेयरमैन को इसमें सम्मिलित किया जाय, मैं इसका सिद्धान्ततया विरोधी हूं। साथ के साथ इस प्रस्ताव के मूल में जो बात और जिस उद्देश्य के लिये उन्होंने विस्तार रूप से बताया है उस उद्देश्य की पूर्ति इस प्रस्ताव के पास करने के बाद भी फुलफिल नहीं होगी, इसलिये मैं विरोध करता हूं।

माननीय अध्यक्ष, चेयरमैन पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी को सिद्धान्ततया किसी भी एग्ज़ीक्युटिव कमेटी में सम्मिलित नहीं करना चाहिये क्योंकि इन कमेटियों के जो चेयरमैन होते हैं और जो इन कमेटियों का निर्माण होता है वह हाउस का मिनीएचर है। इन कमेटीज़ द्वारा जो भी

(श्री मोतीलाल)

रिपोर्ट पेश होती है उस पर डिस्कशन नहीं होता वह रिपोर्ट यों की यों मानी जाती है। इस कमेटी के सामने गवर्नमेन्ट की तरफ से जो भी चीजें आती हैं उस पर कमेटी अपना फाइनल निर्णय करके वह हाउस के सामने उपस्थित करती है और उसी तरह से गवर्नमेन्ट उस रिपोर्ट को टेक अप करती है। अगर मान लीजिये इन कमेटीज़ के चेयरमैन किसी एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी में सम्मिलित होते हैं और उसमें सम्मिलित होते हुए किसी प्रकार का निर्णय करते हैं और उसी निर्णय के अनुसार इन कमेटीज़ में उसके विपरीत किसी प्रकार का निर्णय देते हैं तो उस समय उनकी क्या परिस्थिति होगी. एक दूसरे से विपरीत राय होगी। मान लीजिये मेजोरिटी ऑफ मेम्बर्स चेयरमैन की राय से इत्तिफाक न करें तो वैसी हालत में इन कमेटीज़ में कोई मेम्बर नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं दे सकता। मान लीजिये एस्टीमेट्स कमेटी में १४ मेम्बर हैं वे एक पक्ष के हो गये और उन्होंने पहले जो निर्णय किया उसके खिलाफ किसी प्रकार का निर्णय लेते हैं वैसी स्थिति में उनकी क्या स्थिति रहेगी। इसी दृष्टिकोण से किसी भी एग्ज़ीक्यूटिव कमेटीज़ में चेयरमैन पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी को सम्मिलित नहीं किया जाता। यहां तक कि वे एग्ज़ीक्यूटिव कमेटीज़ के मेम्बर भी नहीं बन सकते। पिछले दो साल पहले हिन्दुस्तान की तमाम प्राक्कलन समितियों के सभापतियों का एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ था उसमें पार्लियामेन्ट के स्पीकर महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा था और माना कि एस्टीमेट्स कमेटी के चेयरमैन को एग्ज़ीक्युटिव कमेटी चेयरमैन या मेम्बर नहीं होना चाहिये क्योंकि लेजिस्लेचर का कंट्रोल इन कमेटीज़ पर रहता है जहां पर लेजिस्लेचर सोवरिन है वैसी हालत में इनको एग्ज़ीक्युटिव का पार्ट एण्ड पार्सल नहीं बनना चाहिए। इसलिए माननीय अध्यक्ष, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी माननीय सदस्य ने इन दोनों कमेटीज़ के चेयरमैन को रखने के लिए कहा है इसका मैं विरोध करता हूँ। यहां तक भी कि इन कमेटीज़ के मेम्बर्स को भी किसी भी एग्ज़ीक्युटिव कमेटीज़ में नहीं लिया जाना चाहिये। एग्ज़ीक्युटिव में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो उस पर फाइनल चेक हाउस का है। दोनों कमेटियां फाइनेन्शियल कन्ट्रोल करती है। फाइनेन्शियल कन्ट्रोल होने से जहां एक समय एक राय बनती है दूसरे समय दूसरी राय तो वह उचित नहीं होता और उसमें नोट ऑफ डिसेन्ट भी नहीं दे सकते। इस तरह से एक व्यक्ति की दो राय होना इससे क्या स्थिति होगी यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। वैधानिक दृष्टिकोण से इन कमेटीज़ के चेयरमैन का किसी भी एग्ज़ीक्युटिव कमेटी का मेम्बर होना उचित नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : कोई भी एम० एल० ए० किसी कमेटी का मेम्बर ही नहीं होना चाहिये।

श्री मोतीलाल : माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखते हुए जो बातें कही हैं कि वे कलेक्टर का विरोध क्यों करते हैं। विरोध करने के बारे में काफी दलीलें उन्होंने दीं। कुछ नॉवेल्स के उद्धरण देते हुए उन्होंने कहा कि कलेक्टर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है? उन्होंने जिस युग के नॉवेल्स का उद्धरण दिया उस समय अंग्रेजों का ज़माना था। ब्रिटिश युग के अन्दर उस प्रकार का सेट-अप चलता रहा था। लेकिन आज हिन्दुस्तान के किसी

(श्री मोतीलाल)

भी प्रान्त में ब्युरोक्रेटिक गवर्नमेन्ट नहीं है। उन्होंने जो नॉवेल्स के उद्धरण दिये वे ब्रिटिश काल के समय की बातें थी। आजादी के पश्चात् हमारे देश का शासन संचालन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हाथ में आया. आज हम उसी राज्य शासन के अन्तर्गत चल रहे हैं, आज हम लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की ओर जा रहे हैं, उसके बाद हम समाजवाद लाने की सोच रहे हैं। आज इस समाजवादी युग में हम इस प्रकार की बातें सोचें और कहें, इस डेमोक्रेसी के युग में भी ब्युरोक्रेसी है, बिल्कुल गलत बात है। हिन्दुस्तान के अन्दर से ब्युरोक्रेटिक शासन पद्धति बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, आज आपके यहां आपका हाउस सोवरिन है, आपके यहां एग्ज़ीक्युटिव इलेक्टिव है और इसका शासन चुने हुए नुमायन्दों द्वारा होता है, पॉलिसी का जहां तक संबन्ध है उसका डिसीजन आपकी चुनी हुई सरकार लेती है और उसी के इशारे पर कलेक्टर आदि उसकी पॉलिसी को कार्यान्वित करते हैं। अधिकारियों के पास कोई ऑथोरिटी नहीं वे ब्युरोक्रेटिक तरीके से कार्य करें।

इस डेमोक्रेटिक सेट-अप के अन्दर जो कुछ भी पॉलिसी सरकार की होती है उसको क्रियान्वित करने का भार कलेक्टर है। पिछले दो अक्टूबर को हमने पंचायत समिति को कुछ पॉवर्स दिये, जिला परिषदों का निर्माण किया। बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा बताया गया था कि तीन साल तक एस० डी० ओ० को पंचायत समिति का चेयरमैन बनाया जाय और जिला परिषदों का कलेक्टर रहे। लेकिन राजस्थान सरकार ने इससे भी कदम आगे बढ़ाया और शुरू से ही जिला परिषदों और पंचायत समितियों का इलेक्टेड हैड बना दिया और उनको पॉवर्स दिये। जिला परिषदों को कानूनी पॉवर्स दिये और धीरे धीरे उन पॉवर्स में बढ़ोतरी की जायगी। यह सब हाउस ने दिये हैं गवर्नमेन्ट ने किसी प्रकार के पॉवर्स दिये हों, यह बात नहीं। उस पॉवर के साथ साथ गवर्नमेंट ने यह आश्वासन दिया था, यदि काम अच्छी तरह से चलता रहा तो वे पॉवर्स आहिस्ते आहिस्ते और देते रहेंगे। अगर माननीय सदस्य द्वारा इस प्रकार के प्रस्ताव के बजाय पंचायत समितियां और जिला परिषदों के पॉवर्स बढाये जांय, इस बारे में कोई कन्स्ट्रक्टिव सुझाव होता तो उसका समर्थन करते।

माननीय अध्यक्ष, मैं इस सम्बन्ध में एक दो उदाहरण देते हुए इस बात को स्पष्ट करूंगा, उससे यह स्पष्ट हो जायगा कि हम कलेक्टर को ज्यादा पॉवर न देते हुए सत्ता का विकेन्द्रीकरण करते जा रहे हैं, हम समाजवादी ढांचे को कायम करते जा रहे हैं। इसके बाद हमारा जो समाजवाद का नकशा होगा वह सम्पूर्ण सहकारी समाज का होगा। आगे हम विकेन्द्रीकरण के बाद किसी प्रकार के समाज की ओर अग्रसर होंगे उसी नीति की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसमें न कोई सरकारी अधिकारी रहेगे और सम्पूर्ण अधिकार समाज का रहेगा। इसलिए कलेक्टर ब्युरोक्रेटिक पोस्ट है, यह मानना गलत है। कलेक्टर की जो हैसियत ब्रिटिश शासन काल में थी आज यह स्थिति नहीं है आज वह सेट-अप बिल्कुल नहीं रहा। कलेक्टर की रेवेन्यू के कलेक्शन के साथ साथ और भी जिम्मेदारी रहती है। विकास अधिकारी भी वह कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको

Page No.54

(श्री मोतीलाल)

जिलाधीश हिन्दी में कहते हैं वह भी वह होता है जो जो काम उसके पास है उसके अनुसार उनके नाम रखे हुए हैं। जहां तक डेमोक्रेटिक सेट-अप चालू का करने प्रश्न है वहां एक अनुभवी अधिकारी की जरूरत है सारे जिले को कन्ट्रोल में रखने के लिए। जिस प्रकार डेवलपमेंट कमेटी होती है उस कमेटी के पास में जितना भी काम होता है उसे काम के अन्दर सारा काम इस प्रकार नॉन ऑफिशियल कमेटी के द्वारा होता था। जहां डेवलपमेंट कमेटीज़ का सवाल था वहां पर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यही अधिकारी होते थे।

श्री मदनसिंह (दाता रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री मोतीलाल : माननीय अध्यक्ष, मैं कह रहा था कि जहां तक कलेक्टर के फंक्शन्स हैं वे महत्वपूर्ण हैं। इन फंक्शन्स को देखते हुए उस आदमी की बहुत आवश्यकता है, वह रहनी चाहिये। उस अधिकारी को रेवेन्यू कलेक्शन करने के हिसाब से कलेक्टर, विकास अधिकारी की हैसियत से विकास अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। इसलिये उसको केवल कलेक्टर ही कहें यह गलत होगा।

अब माननीय सदस्य का यह कहना है कि वे डोमीनेट करते हैं। उनको जो पॉवर्स हैं उनके हिसाब से तो जो करना है करेंगे। मेन चीज तो पॉवर है। अब सेन्ट्रल बैंक कोऑपरेटिव का है वह भी सालाना पांच लाख बांटता है पर उसका कोई डोमीनेटिंग कन्ट्रोल नहीं है। पर अब उसको पॉवर है जो जरूरी हैं। अगर उन पॉवर्स के होने से डोमीनेट करते हैं तो इससे क्या, इसलिए जहां तक ऐसे अधिकारी का सवाल है इसकी जरूरत है। नाम को आप चेन्ज कर सकते हैं। एक अधिक नोलेज रखने वाले आदमी की और एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन बिठाने वाले अधिकारी की जरूरत है। फर्ज करिये पंचायत समिति को आपने राइट दिया रेवेन्यू कलेक्शन का, एक साल भी नहीं हुआ इसको अभी और इसके बाद आप उसको रेवेन्यू पॉवर भी दे रहे हैं, पुलिस पॉवार्स भी आप देंगे। इसी तरह जिला परिषद् को डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकार देने जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन सब में कोऑर्डिनेशन करने वाला कोई अनुभवी आदमी रहना चाहिये। तो गवर्नमेन्ट का प्रतिनिधित्व करने के लिये कोई अनुभवी आदमी रहता है तो असुविधा नहीं रहती।

आज भी जैसे कि उदाहरण दूं। लॉ और ऑर्डर को लीजिये। पुलिस का एस. पी. रहता है हर जिले में। अब उसके काम के लिए भी जनता को कलेक्टर के पास जाना पड़ता है। वह पुलिस में और जनता में कोऑर्डिनेट करता है। जो काम एस. पी. नहीं करता या जिस काम को करने से एस. पी. इन्कार कर दे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है और वह काम इसको सम्भालना पड़ता है। ऐसा हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट के कई दूसरे काम हैं, जिनकी वजह से भी कलेक्टर की जरूरत होती है और इसमें जनता से अटैचमेन्ट होता है। आज भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने अफसर हैं उन सबमें

(श्री मोतीलाल)

सबसे ज्यादा सम्पर्क में जनता का कोई अफसर आया है तो वह कलेक्टर ही है। जनता जितना कलेक्टर को जानती है उतना किसी और अफसर को नहीं। परसेन्टेज देखें तो जनता के सम्पर्क में जितना कलेक्टर आया है पुलिस का एस० पी० नहीं आया। इन्डस्ट्रियल अफसर नहीं आया, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं आया। तो यह कलेक्टर हर मामले में जनता से सम्पर्क स्थापित करता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटी की व्यवस्था कायम करता है। इसके लिए जनता और किसी अफसर को नहीं जानती, जैसे मेरा ही जिला लीजिये। वहां के लोग कलेक्टर के मार्फत सारे काम कराने की सोचते हैं। किस काम का कौन इन्चार्ज अफसर है, यह वे नहीं जानते पर इसको जानते हैं। इस तरह इसका अनुभव भी काफी है और लोग उससे वाकिफकार भी हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिए इस प्रस्ताव की कोई जरूरत नहीं। पर दूसरों ने जो अमेन्डमेन्ट रक्खे हैं उनके अनुसार कुछ पॉवर्स या काम के अधिकार उसको रखने चाहिये। मेरा एक ही सुझाव है कि जो डिस्ट्रिक्ट आज हैं उन डिस्ट्रिक्ट की जो बनावट है उसके लिए कमेटी बनानी चाहिये। क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट है, एक जो १५ लाख का है, दूसरी तरफ दो लाख का ही जिला है। १५ लाख के लिए भी एक आई० ए० एस० अफसर और दो लाख के लिये भी आई.ए.एस. अफसर। उसमें हमारा खर्चा बहुत बैठता है। तो जनता के पैसे को ध्यान में रखते हुए और इस पद की इम्पोर्टेंस को देखते हुए इस चीज़ में हेर फेर करनी चाहिए। जैसे सिरोही का एक जिला है जहां के आई० ए० एस० अफसर कलेक्टर को दो लाख को ही कन्ट्रोल करना पड़ता है जब कि जयपुर का जिला है जिसकी आबादी १५ लाख है, यहां कलेक्टर को, उसी केटेगरी के अफसर को १५ लाख को कन्ट्रोल करना पड़ता है। तो इस तरह सिरोही के और जयपुर के कलेक्टर में क्या कम्पेरिज़न है, क्वालिटी ऑफ वर्क के लिहाज़ से।

इसी तरह मैं एक जवाब दे रहे थे राजस्व मंत्री कि हम कमिश्नर रखने वाले हैं, उन्हें नहीं हटाए गे. विकास के कार्यों के लिए उनकी जरूरत है। पर हमारी रिक्वेस्ट यह है कि कमिश्नर को जो पे आप दे रहे हैं उतना काम भी उनसे लीजिये, पे के अनुसार इक्वल काम लीजिये। एक तरफ १६ लाख की आबादी है एक जिले की जबकि दूसरी तरफ एक कमिश्नरी की जिसमें बीकानेर, चुरू और गंगानगर तीन जिले मिला कर भी १५ लाख की आबादी है ?

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर): १६ लाख है, १५ नहीं।

श्री मोतीलाल : १६ लाख। तो इस तरह बीकानेर में तीन डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां एक अफसर बैठा है। उदयपुर में सात डिस्ट्रिक्ट में एक है, जोधपुर में सात में एक कमिश्नर है, अजमेर में ८ पर एक है। आखिर उनके पास अनुभव है और उनके अनुभव से फायदा उठाना है, हमें काम लेना है और कलेक्टरों को कोऑर्डिनेट ये करते हैं तो उनके काम को भी पे की दृष्टि से ईक्वल बांट

Page No.56

(श्री मोतीलाल)

दीजिये । इसी तरह से ईक्वल डिस्ट्रिब्यूशन डिस्ट्रिक्ट्स का भी हो । आज डिस्ट्रिक्ट्स के बंटवारे ठीक नहीं हैं, इसलिये पर केपिटा एक्सपेन्डीचर भी कहीं बहुत कम और कहीं बहुत ज्यादा आता है । इसके लिए निवेदन करूंगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरी रिक्वेस्ट यह है कि जहां तक सवाल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रखने का है, मैं उसके रखने के पक्ष में हूं, पर जहां तक व्यक्ति को रखने का सवाल है उस पर रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका चुनाव अच्छा होना चाहिये, वह आदमी ऐसा होना चाहिये जो जनता की भाषा जानता हो, डवेलपमेन्ट की प्लान उसके सामने रखने वाला हो । जिस आदमी को वहां की लैंगवेज़ मालूम नहीं, ऐसा एक आदमी डिस्ट्रिक्ट बीकानेर में गया, वहां की भाषा जानता नहीं....

श्री चन्दनमल वैद : मद्रासी क्या बोलेंगे वहां ।

(हंसी)

श्री मोतीलाल : वह आदमी इतना अच्छा होना चाहिये who has full faith in department works, Government's developmental schemes and sincerely wants to fulfil them...

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : वाट फूल....?

(हंसी)

श्री मोतीलाल : मैं माननीय मन्त्री महोदय को यह बताऊं कि उनको ऐसे ऑफिशियल मिलेंगे, जिनको सरकार की डेवलपमेन्ट स्कीम में विश्वास नहीं, फेथ नहीं और उनको फेल करने में लगे हैं, उनकी मज़ाक उड़ाते हैं । मैं ऐसो का उदाहरण दूंगा । बी. डी ओ. है किशनगढ़ का, जिसने अपनी वाइफ को समिति का मेम्बर बनाया । the party..

(शेम शेम की आवाज़)

तो मैं कहूंगा कि उसका सिलेक्शन कलेक्टर का इतना अच्छा होना चाहिये जिसको फेथ हो आपके टार्गेट में, आपकी स्कीम में और उन टार्गेट्स को अचीव करने की कोशिश करे, व्यवस्था करे सुन्दर ढंग से । इसलिये मेरा सुझाव यह होगा कि इस प्रस्ताव को नहीं रक्खें, ऐसा प्रस्ताव नहीं रखना चाहिये । हमारी यह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है । हमको उसके प्रति विश्वास है । हमें गवर्नमेंट से प्रार्थना करनी चाहिये कि विकेन्द्रीकरण की उसकी पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए, प्लान को फुलफिल करने की बात को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट्स को रीडिस्ट्रिब्यूट करे ताकि खर्चा जनता में पर-कैपिटा इक्वल पड़े । इसकी व्यवस्था करे । पर इस तरह की कमेटी बनाना जरूरी नहीं है इसकी आवश्यकता नहीं है । हमें गवर्नमेन्ट पर फेथ है । गवर्नमेन्ट खुद सोच रही है । गवर्नर के भाषण में स्पष्ट संकेत था कि पंचायत समिति को हम पॉवर दे रहे हैं । इसलिये ऑटोमेटिकली पॉवर जनता के हाथ में जावेंगे ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि फुलेरा से आये

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

हुए माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूं और वह विरोध मैं इसलिए करता हूं कि यह जो कलेक्टर की पोस्ट है वह एक तरह से लाइज़न ऑफिसर की पोस्ट है और इसमें जैसे चौतरफा सारी ब्रान्चेज़ आती हैं और एक जगह पहुँच कर के सब का समावेश होता है इस लिहाज़ से यह कलेक्टर की पोस्ट अत्यन्त आवश्यक है और यह पोस्ट कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का सारा काम इनके द्वारा ही चलता है। मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटी का काम है जो इनके ऊपर सुपुर्द किया गया है वह इस तरह का है कि इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है और इसमें बिना काम का टंटा पड़ता है। तो इस कार्य को इनके पास से हटा लिया जाये तो अच्छा हो क्योंकि कलेक्टर्स के पास और काम इतने हैं, खुद का काम और फिर सारे डिस्ट्रिक्ट का काम कि और काम इसको दिये गये तो जो काम उसके करने के हैं उनमें क्षति पहुँचेगी। लेकिन मैं एक बात और खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि कलेक्टर की पोस्ट के बजाय कमिश्नर की पोस्ट को जिसको कि मैं करीब करीब रिडन्डेन्ट समझता हूं तो इसको हटा दी जाये तो कोई बात नहीं है क्योंकि एक तरह से देखा जाय तो सेक्रेटेरियट लेविल पर भी यह कार्य हो सकता है और इसके अतिरिक्त कमिश्नर के वेतन का और उनके स्टाफ का बिना काम का खर्चा है और इसको रोकने के लिए कमिश्नर की पोस्ट को हटा दिया जाये। मेरे ख्याल में कलेक्टर की पोस्ट को रिडन्डेन्ट नहीं समझी जायेगी। विकेन्द्रीकरण का और दूसरे काम भी इतने बढ़ गये हैं कि मैं कलेक्टर की पोस्ट का होना आवश्यक समझता हूं और यह बराबर जारी रहे।

श्री अध्यक्ष : श्री मदनसिंह।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य ने जो रिज़ोल्यूशन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। इसका कारण यह है कि अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में आज तक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ढांचा था वह ब्रिटिश रिजीम के माफिक था। अंग्रेजों का अपना तरीका अलग था और उसमें वह कलेक्टर को रखते थे और उन्होंने इस तरह का ढांचा रखा, जैसा कि गुलामों के लिए रखते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य कांग्रेस के माने हुए सदस्य हैं और उन्होंने ब्रिटिश रिजीम की यह चीजें देखी होंगी और उनको बहुत बुरी लगी होंगी और यह बात सही है कि यहां सदन में भी सरकार की आलोचना होती है तो अकसर करके जो लोअर लेवल पर घोटाले होते हैं वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही सारी चीज़ों के घोटाले होते हैं। उसका कारण यह है कि कलेक्टर के जो इस समय मौजूदा अधिकार हैं वे न तो अधिकार ही हैं और अगर देखा जाये तो अधिकार भी हैं। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर कोई भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की मीटिंग हो, उनसे पूछा जाये तो वह कह देगा कि हमारी पोस्ट की अब आवश्यकता नहीं है। कारण यह है कि डीसेन्ट्रेलाइजेशन हो चुका है और जनता को राज्य मिल चुका है और आगे जाकर उनको और भी अधिकार मिलने वाले हैं; तो मेरा सुझाव है, वैसे सुझाव तो आगे कमेटी देगी, लेकिन

(श्री मदनसिंह)

जितने भी कलेक्टर्स हैं वे गवर्नर महोदय के अधीन रह जायें ताकि गवर्नर को सारी गतिविधियों से अवगत कराते रहें । क्योंकि अभी जो राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ था उस से ऐसा मालूम हुआ था कि सारी रिपोर्ट राज्यपाल महोदय को नहीं मिली है । इसलिए कलेक्टर्स को उनके नीचे रख ही देना चाहिए । यही उचित हो सकता है ताकि कलेक्टर्स सारे राज्य की गतिविधियों से उनको अवगत कराते रहें और गवर्नर महोदय का जितना सा एडमिनिस्ट्रेशन से कन्सर्न है उतना ही उनका भी डिस्ट्रिक्ट से कन्सर्न हो, नहीं तो मैं समझता हूं कि कलेक्टर की पोस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है और यह भी देखा गया है कि जब ब्लॉक्स कलेक्टर के अधिकार में थे तो तकावियों में और जो गांवों में तरक्की होती थी उनमें इतनी लम्बी कागज़ी कार्यवाही होती थी कि ब्लॉक्स के लिए जो सेंक्शन किया हुआ रुपया था वह पूरा गांवों में नहीं जाता था, तहसील और कलेक्टर के ऑफिसर के बीच में ही कागज़ात पड़े रहते थे । मैं समझता हूँ कि सदन के अन्दर भी कई क्वेश्चन्स माननीय सदस्यों ने किये हैं कि जहां भी देहात में आग लगती है तो कलेक्टर का पूल ऐसा है कि कलेक्टर आखरी ताकत था और उनको पॉवर्स थी कि जहां भी आग लगे तो उनको रिलीफ दे । अगर आज तक का रेकॉर्ड उठाकर देखा जाये तो ऐसे ऐसे केसेज़ मिलेंगे कि चार चार साल हो गये हैं और उनके कागज़ात अभी तक भी कलेक्टर के दफ्तर में पड़े हुए हैं । क्योंकि रुटीन ही ऐसा गलत था कि न तो गांवों का काम होता था और न ही गवर्नमेंट जैसा चाहती थी वैसा ही काम होता था । कोई भी उनके पास जाता था तो वह कह देते थे कि हमारे पास पॉवर्स नहीं है और अगर कोई गवर्नमेंट के पास जाता तो कह दिया जाता था कि कलेक्टर्स के पास पॉवर्स है । तो इस कारण इस पोस्ट का आज के प्रजातन्त्र में होना ठीक नहीं है । गवर्नर को आवश्यकता है कि सारे डिस्ट्रिक्ट की गतिविधियों से वह अवगत रहे तो इस लिहाज़ से तो कलेक्टर की पोस्ट ठीक है; अन्यथा तकावी के काम में और दूसरे कामों में इतनी देरी होती है कि मैं समझता हूँ कि यह ठीक नहीं है ।

दूसरी कमेटी तो, क्या मालूम क्या रिपोर्ट दे सकती है लेकिन मैं यह समझता हूँ कि यह विदेशी सत्ता का सारा तरीका था । इसलिए हमें यह भी सोचना है कि भारतवर्ष में जो महात्मा गांधी शासन प्रणाली चाहते थे...........

१. ५७ म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि आज जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा है वह विदेशी है और आज हमारा गवर्नमेंट लेवल से और असेम्बली लेवल से यह दृष्टिकोण होना चाहिए कि इस ढांचे को बिल्कुल अलग करके जैसी महात्मा गांधी की व्यवस्था थी उसके माफिक, जब तक कांग्रेस की सरकार है तब तक महात्मा गांधी की कौन सी प्रणाली थी जिस प्रणाली को अपनाने से सारा भारतवर्ष बड़ा खुशहाल,

(श्री मदनसिंह)

खुशी और अपने अधिकार ले सकता है इसलिए शायद कमेटी मुकर्रर हो तो जनता को भी मालूम हो कि वह कौन सा रामराज्य आज की सात्तरूढ़ सरकार चाहती थी ? इसलिए कमेटी का फॉर्म होना जरूरी है जो कि सारी बातों को स्क्रुटीनाइज़ करें.......

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : जनसंघ क्या चाहती है ?

श्री मदनसिंह : जनसंघ जब राज्य करेगा तो मालूम हो जायेगा । भारतीय संस्कृति का राज्य हो. जनसंघ यह चाहता है । अगर जनसंघ का कोई सदस्य इस कमेटी का सदस्य हुआ तो वह सजेशन्स देगा । दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, ब्लॉक्स के जितने भी वर्क्स हुए हैं अगर कमेटी ब्लॉक्स का वर्क चैक करेगी तो जो वर्क्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चल रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि कलेक्टर के ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बीच इतनी गड़बड़ी होगी कि आपको मालूम होगा कि जब कलेक्टर रुपया ब्लॉक्स में देते थे तो चार चार महीने तक नहीं पहुंचता था और जब से डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन हुआ है तब से रुपया गांव गांव में पहुंचने लगा है । कई सदस्य कहते हैं कि जितने भी प्रधान हैं वे काबिल नहीं हैं और वे पार्टीबाजी करते हैं । उन्होंने कहा कि वहां जातिवाद है लेकिन जहां तक गांवों की तरक्की का सवाल है वह चाहे कांग्रेस के हों, चाहे जाट हों, चाहे राजपूत हों लेकिन गांवों में रुपया पहुंचता है । ऐसा कोई गांव नहीं है कि जहां राजपूत ही राजपूत हों या जाट ही जाट हों, लेकिन कम से कम एक आराम जरूर हुआ है कि डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन से खुद अपने आप ही पैसा दे रहे हैं । पहले रोज शिकायतें होती थीं और आज कलेक्टर भी खुद महसूस करते हैं. जनता भी महसूस करती है और गवर्नमेंट को भी यह महसूस कर लेना चाहिए कि अब कलेक्टर और ही दूसरे काम के रह गये । जैसा मैंने पहले कहा कि वह केवल राज्यपाल महोदय को डिस्ट्रिक्ट्स की गतिविधियों से अवगत कराते रहें या फिर वह चुनाव में काम आयेंगे । अगर मिनिस्टर चाहते हैं कि वह उसी प्रकार से वापिस आयें तो कलेक्टर्स को ही रखना चाहिए, चुनावों में ही उनका काम होगा । मैं समझता हूं कि हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब जानते हैं कि कलेक्टर की वजह से उनको कितनी असेम्बली के अन्दर इधर उधर की बातें सुननी पड़ी हैं । जब कि काबिल रेवेन्यू मिनिस्टर होते हुए महज कलेक्टर्स की वजह से उनको बातें सुननी पड़ती हैं । कल ही आपका जो जागीर अमेन्डमेंट बिल था उस पर खुद ने फरमाया है कि कलेक्टर्स ऐसे घोटाले करते हैं जिससे मुझे सारे काम लेने पड़ते हैं । तो मैं समझता हूं कि इस तरह और भी नये ऐसे काम हैं जिनमें पुलिस सुप्रिन्टेन्डेट और कलेक्टर में हमेशा तकरार रहती है । वह कहते हैं कि मुझे पॉवर चाहिए । वह कोई भी ऑर्डर करता है तो वह नहीं मानता है । वे एक दूसरे को ऊंचा नीचा समझते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा मिक्स हो गया है कि अभी कोई भी अन्दाज़ नहीं है । गांव में लोग अनपढ़ हैं । उनको यह भी पता नहीं । वह जानते हैं कि हमारा तो सब कुछ कलेक्टर है । गांव में लोग आज भी कहते हैं कि हम पर क्या कलेक्टर होकर आया ? इतना खराब शासन रहा कि हमारे राजा महाराजाओं

(श्री मदनसिंह)

का भी नहीं रहा होगा । कलेक्टर को ब्रिटिश शासन में कितने पॉवर्स थे ? इस तरह से गांवों में कलेक्टर का डर प्रचलित है कि क्या हमारे जीव पर कलेक्टर होकर आया है । गांव में जैसे भूत का प्रचार है, खराब आदमी का प्रचार है जिससे कि बच्चे घबराने लग जायं, वैसा डर कलेक्टर का है । एडमिनिस्ट्रेशन के पोइन्ट ऑफ व्यू से देखा जाय तो काफी खर्चा भी होता है । उनसे यह काम छुड़ाकर और काम लिया जाय, जैसा कि माननीय सदस्यों से सजेस्ट किया था कि उनको एन्टीकरप्शन में कन्वर्ट कर दिया जाय तो काफी रेस्पोन्सिबल और ज़िम्मेवार व्यक्ति है ? पूरे महकमें को सम्हाल सकते हैं ? अन्यथा और कोई डेवलपमेंट के काम में लगा दिया जाय तो काफी होशियार है, अच्छी तरह से काम कर सकेंगे । अब सवाल यह आता है कि इतने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स हैं वे कहां जायेंगे तो मैं समझता हूं कि बड़ी बड़ी योजनाएं और स्कीम्स हैं, उन सब के अन्दर लगा सकते हैं, और सच्चा प्रजातन्त्र देखने के अन्दर और प्रेक्टिकल रूप में यह तभी आ सकता है जब कि कलेक्टर की एक बड़ी भारी दीवार खिंच गई है जनता के बीच में, असेम्बली के मेम्बर्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, वह दूर हो जाय ताकि हमारी सरकार का और पंचायतों का इतना आपसी का व्यवहार हो जावे, जितना कि एक सच्चे प्रजातन्त्र में होना चाहिए । इसलिए मैं समझता हूं कि प्रेक्टिकल और जो चीजें हैं वही कमेटी बता सकती है । वैसे मिसालें काफी आई हैं । क्या क्या त्रुटियां हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन को कितना सफर करना पड़ा कलेक्टर्स की वजह से । इसलिए मैं समझता हूं कि शायद हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब यह समझें कि आपकी पोस्ट है कम हो जायगी । ऐसा पोज़ीशन नहीं है कि सदस्य महोदय का यह मतलब था, आप फिर भी रहेंगे । सारी चीजों को लुक ऑफ्टर करेंगे । रेवेन्यू मिनिस्टर फिर भी कलेक्ट करेंगे चाहे पंचायतें करें या वह । यह एक बहुत बड़ा महकमा है । इस पोस्ट को कोई धक्का आने वाला नहीं है । मैं समझता हूं कि कलेक्टर की पोस्ट की जरूरत नहीं है । है तो गवर्नमेंट के लिए है । इसलिए एक कमेटी बिठा दी जाय ताकि सारे एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट आजाय ।

२. ३. म. प.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो यह रिज़ोल्यूशन माननीय सदस्य जो फुलेरा से आये हैं उन्होंने रखा है उसके विरोध में कुछ विचार रखने के लिए सदन के सामने खड़ा हुआ हूं । मुझे तो अफसोस इस बात का आता है कि आज तक माननीय सदस्यों ने एक राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन के सेट-अप को जिस नजर से देखना चाहिए था, जिस ब्रॉड पोइन्ट ऑफ व्यू से देखना चाहिए था, समझना चाहिए था उसको समझने और देखने की केअर नहीं की । यह कहा जाय कि पहले इस रिज़ोल्यूशन से माननीय सदस्य का मकसद कोई डिस्ट्रिक्ट रिऑर्गेनाइज़ेशन से है या कि कलेक्टर की पोस्ट को एबोलिश कराने से है, या कलेक्टर के ऑफिस में जो डिलेज़ होती हैं या जिस तरह का करप्शन है उससे मतलब है ? वह तो समझ में नहीं आया कि माननीय सदस्य आखिर चाहते क्या है ?

(श्री श्रीभानसिंह)

मगर फिर भी जिस तरह से उन्होंने अपनी स्पीच से अपनी भावनाएं बताईं तो मैंने यह जाना कि वह यह चाहते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट एड्मिनिस्ट्रेशन है उसके सेट-अप में परिवर्तन किया जाय, मगर उन्होंने यह नहीं देखा कि डिस्ट्रिक्ट एड्मिनिस्ट्रेशन के अन्दर किस किस तरह के परिवर्तन हुए हैं और उन्होंने उन परिवर्तनों को देखा नहीं और कलेक्टर की जो पोस्ट है, जो रोल है उससे उन्होंने उसको कनफ्यूज़ कर दिया।

मैं यह मानकर चलता हूँ कि जब ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म था तो एक कलेक्टर का स्थान था और वह था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए और उसके जो फंक्शन्स थे वे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के भी थे, एग्जीक्यूटिव के भी थे, और रेवेन्यू कलेक्शन के भी थे। यह कहा जाय कि कलेक्टर की जो पोज़ीशन थी अनक्लासिफाइड, अनडिफाइन्ड पोज़ीशन उस डिस्ट्रिक्ट के अन्दर थी। मगर आज जब कि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने एड्मिनिस्ट्रेटिव चेन्जेज़ किये। एड्मिनिस्ट्रेटिव चेन्जेज़ में एक तरफ पंचायत समितियां क्रियेट कीं, दूसरी तरफ जिला परिषदें क्रियेट कीं और तीसरी तरफ तहसील पंचायतें रखीं। इन चेन्जेज़ से एक कलेक्टर की पोज़ीशन, एक कलेक्टर के रोल के अन्दर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर एफेक्ट हुआ और वह एफेक्ट यह हुआ कि आज से पहले कलेक्टर एक एब्सोल्यूट, एक सॉवरेन पॉवर एक डिस्ट्रिक्ट के अन्दर कहा जाय वह सोविरेन्टी और एब्सोल्यूटिज्म कलेक्टर का था। वह सोविरेन्टी और एब्सोल्यूटिज्म अब कलेक्टर का नहीं रहा। जहां तक डेवलपमेंट का वर्क था वहां पंचायत समितियां और जिला परिषदें क्रियेट की हैं। इसको भी हम नहीं देदें तो इसके पहले दूसरी तरह का एक ढांचा, एक दूसरी तरह का आर्गेनाइज़ेशन डिस्ट्रिक्ट में था। वह था डेवलपमेंट कमेटी को जो पॉवर्स डेवलपमेंट के थे उन पॉवर्स के इन्स्टिट्यूशनल चेन्जेज़ हमने एक डिस्ट्रिक्ट के अन्दर किये, और उन इन्स्टिट्यूशनल चेन्जेज़ की वजह से कलेक्टर की जो इन्स्टिट्यूशन थी, जिसको ब्रिटिश इम्पीरियेलिज्म से एसोशियेट करते आ रहे हैं आज तक उसकी पोज़ीशन में एफेक्ट किया गया। उसके रोल को इफेक्ट किया, और जिस तरह के उसके पॉवर्स और प्रेस्टिज, डोमीनेटिंग प्रेस्टिज थी डिस्ट्रिक्ट के अन्दर उसको एफेक्ट करके कलेक्टर को डेवलपमेंट का रोल दिया। कलेक्टर की पोज़ीशन चेन्ज हुई, इन्स्टिट्यूशनल चेन्जेज़ हुए। आगे हमने जुडीशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव को सेपेरेट करने के स्टेप लिये। जुडीशियरी के पॉवर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाते कलेक्टर के पास रहते हैं। उसमें जाकर भी उसके पॉवर्स को रिड्यूस किया है। यही नहीं, बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर आप देखेंगे कि कलेक्टरों के नीचे चाहे उन्हें ए. डी. एम. कहा जाय या असिस्टेन्ट कलेक्टर कहें, किसी भी नामिनक्लेचर से कहलाते हों उनको किसलिये रखा है? उनको महज़ इसलिए रखा है कि जो कुछ जुडीशियरी के मुकद्दमें हों वे ए. डी. एम. या असिस्टेन्ट कलेक्टर्स देखें। जुडीशियरी वर्क कलेक्टर नहीं देखेगा और शायद, जहां तक मेरा ख्याल है कलेक्टर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अन्दर फर्स्टकोर्ट ऑफ अपील नहीं है। कोई शायद ओरीजिनल केस

(श्री श्रीमानसिंह)

किसी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर की कोर्ट में तैयार नहीं होता है । जुडीशियरी वर्क भी ले लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप के अन्दर चेन्जेज़ भी किये और वे चेन्जेज़ किये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने ऐसे चेन्जेज़ नहीं किये कि जिसकी वजह से आज कमेटी की नियुक्ति करें । फिर भी कोई कमी हो सकती है, मगर कमियां पूरी करने के लिए जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि इलेक्टकलेक्टर हुआ करे, किसी ने कहा कि एडवाइज़री बोडीज़ चाहिए, यह एक नई तरह की चीज़ है और इस नई तरह की चीज़ के लिए जो एक सजेशन किया गया है उसी को पढ़कर बता दूं । एक बम्बई के अन्दर कमेटी एपोइन्ट हुई थी । उन्होंने कलेक्टर के रोल और चेन्जेज़ के लिए कहा-

" As for the much needed coordination between agencies of development and of basic administration the proper line of reorganisation would be that the Collector himself should become the Chief Develpment Officer of the District and so too in their respective Jurisdictions the Sub—divisional revenue officers ." जिस ऑर्डर को हम चेन्ज करना चाहते है उसके लिए " There will then be a transformation of the old order rather than the introduction into it of miscellaneous and intricate sub strata as at present, or the replacement of it altogether by a wholly untried new order." आज अगर हर तरह के सुझाव दिया करें और किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में चेन्जेज़ हुआ करें तो वह सजेशन यूज़फुल नहीं बनता है । जो बम्बई कमेटी ने सुझाव दिया है कि इस तरह से आज धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप है उसको हमें चेन्ज करना चाहिए, मगर फिर भी इसके साथ इतना जरूर रह जाता है कि कलेक्टर को हमने हर एक चीज़, हर एक वर्क एन्ट्रस्ट किया और उससे वर्क लिया भी । फिर भी एक कलेक्टर की डिस्ट्रिक्ट में पोज़िशन थोड़ी वेग जरूर रहती है । आखिर कलेक्टर का न्यू सेट-अप में रोल क्या रह जाता है जब कि डेवलपमेन्ट वर्क जिला परिषद् और पंचायत समितियों को एन्ट्रस्ट कर दिया, तो फिर कलेक्टर का रोल क्या रह जाता है ? जितनी रिकमन्डेशन्स की गई उनमें गवर्नमेन्ट का जनहित का जो वर्क है उसके बारे में कलेक्टर का डिस्ट्रिक्ट में एक डिफाइन्ड रोल रहता तो मैं इस रेज़ोल्यूशन को सपोर्ट कर सकता था । लेकिन कलेक्टर के जो पॉवर्स हैं उनके अनुसार कलेक्टर अब भी खाली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट ऑफिसर ही नहीं है । उसके एग्ज़ीक्यूटिव, जुडिशियल, रेवेन्यू और लॉ एंड ऑर्डर के फंक्शन्स जुदा-जुदा हैं । जब हम डेवलपमेन्ट के काम को करना चाहते है तो डेवलपमेन्ट वर्क्स भी उसी को एन्ट्रस्ट करने पड़ेंगे । हो सकता है कि सिर्फ नोमेनकल्चर से ऐतराज हो तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट ऑफिसर कह सकते हैं । लेकिन जो कमेटी आप एक्सपर्ट्स की बनाना चाहते है उसके बारे में किसी ने प्रकाश डाला हो, मैं कह नहीं सकता । हिन्दुस्तान में चार-छ किताबों से ज्यादा किताबें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं मिलीं । भारत में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट्स हैं ही नहीं । किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर या पोलिटिकल एक्सपर्ट ने इस इश्यू को एग्ज़ामिन नहीं किया और उनके कोई सजेशन्स मौजूद नहीं हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स को

(श्री श्रीमानसिंह)

किस तरह से रीऑर्गेनाइज़ करना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट्स को रीऑर्गेनाइज़ करने का सुझाव दिया प्लानिंग कमीशन ने। प्लानिंग कमीशन ने एक डिस्ट्रिक्ट को रीऑर्गेनाइज़ करने के लिये क्या सजेशन्स दिये और राजस्थान गवर्नमेंन्ट ने उनको इन्ट्रोड्यूस किया या नहीं, इसे यदि गौर से देखें तो मेरी ही तरह और भी कई माननीय सदस्य होंगे जो कहेंगे कि राजस्थान गवर्नमेन्ट ने to the greatest extent इनको पूरा कर दिया: "Reorganisation of district administration has to Provide for strengthening and improving of the machinery of general administration, specially for a proper agency for development at the village level which derives its authority from the village community, Panchayat[s] and Panchayat Samitis and Zila Parishads, integration of the activities of various development departments in the district and the provision of common extension organisation, linking and co-relating all development works of local self governing institutions with the administrative agency of the State Government, regional co-ordination and supervision of district development programme."

जो सुझाव स्टेट गवर्नमेन्ट को अब तक प्लानिंग कमीशन ने भेजे हैं वे सब इम्पलीमेन्ट किये हैं। एडहोक बोडीज़, एन. ई. एस ब्लॉक्स, पंचायत समितीज़, जिला परिषद् आदि के जो सजेशन्स प्लानिंग कमीशन ने भेजे हैं उन सब को राजस्थान गवर्नमेन्ट ने इम्प्लीमेन्ट किया है। प्लानिंग कमीशन ने यह कभी नहीं कहा कि कलेक्टर की पोस्ट को रिमूव कर दो। हमको यह भी देखना होगा कि कलेक्टर की पॉवर्स को धीरे धीरे हम कम कर रहे हैं, लेकिन जो अगर कलेक्टर को रिमूव कर दें तो डिस्ट्रिक्ट का हैड कौन रहेगा और जो लोकल फंक्शन्स हैं, इनिशियेटिव ड्राइव और इम्प्रूवमेन्ट के जितने काम हैं उन्हें किसे एन्ट्रस्ट करेंगे? कहा जा सकता है कि एडवाइज़री बोडीज़ रहेंगी। लेकिन उन्हें भी हमें स्टेचुटरी पॉवर्स देनी पड़ेंगी और डिफाइन करनी पड़ेंगी, उनमें कॉम्पलीकेशन्स आयेंगी तो कलेक्टर के रोल को डिफाइन करना पड़ेगा। कलेक्टर्स को एडवाइस देने के लिये हम लोकल टेलेन्ट्स को एसोशियेट कर सकते हैं और वह पंचायत समिति और जिला परिषद् के रूप में फुल्ली हैं।

आज जब यह सुझाव देते हैं तो यह भी सोचना पड़ेगा कि आखिर हम देश में उन कम्यून्स के प्रिन्सिपल्स को तो इन्ट्रोड्यूस नहीं करने जा रहे हैं और उसके द्वारा कम्युनिस्ट सिद्धान्त को तो मान्यता देने नहीं जा रहे हैं जिसका हम विरोध करते हैं। ऐसा न हो कि कम्यून्स के द्वारा कम्युनिस्टों को राजस्थान पर ग्रिप मिल जाय और वे पॉवर में आ जावें।

कलेक्टर्स की पोस्ट के नोमेनकेल्चर को हम चेन्ज कर सकते है। समय के मुताबिक हम उसे डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेन्ट ऑफिसर कह सकते है, वरना यदि कलेक्टर की हैसियत का दूसरा आदमी न हुआ तो डिस्ट्रिक्ट्स में अनारकी आयेगी और डेवलपमेन्ट वर्क सफ़र करेगा। हम एस. पी. को क्यों नहीं

(श्री श्रीभानसिंह)

रिमूव करना चाहते ? जिला परिषद् को पुलिस के सारे पॉवर्स दे दें, पंचायत समितीज़ को लॉ एंड ऑर्डर के पॉवर्स क्यों नहीं दे दें ? एक समय हो सकता है कि राम राज्य का सा समय आ जाय लेकिन इस बीसवीं शताब्दी में तो वह आयेगा नहीं....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : राम-राज्य हमेशा से आता रहा है ।

श्री श्रीभानसिंह : इन पूरी चीजों को क्यों न हटा दें ? लेकिन हमें प्रेक्टिकल रूप से यह देखना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप प्रेक्टिकली जस्टिफाइड और यूज़फुल है या नहीं। आज-कल के सेट-अप को हम धीरे धीरे समय के मुताबिक एड्जस्ट कर रहे हैं। पहले का एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप लैंड सिस्टम पर बना था और कलेक्टर रेवेन्यू कलेक्शन के सुप्रीम पॉवर्स थे। लेकिन आज की व्यवस्था लैंड पर है नहीं। आज डेवलपमेन्ट की व्यवस्था है, प्लानिंग की व्यवस्था है और कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था है। आज सिर्फ कलेक्टर रेवेन्यू इकट्ठा करके स्टेट ट्रेज़री में भेजने का ही काम नहीं करता। उसके रोल को हमने चेन्ज किया है। आज सिर्फ लैंड ही की ट्रेन्ड नहीं है बल्कि डेवलपमेन्ट और सोशियल अपलिफ्ट की भी ट्रेन्ड है और जनरल ट्रेन्ड है प्लानिंग की। जब इतनी चीजें एक साथ मिली हुई हैं तो प्रेक्टिकल पोइन्ट ऑफ व्यू से और जो गवर्नमेन्ट पीपल को सर्विस रेन्डर करना चाहती है उसको ये जस्टिफाइ करते हैं या नहीं। इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, यदि मैं यह कहूं कि मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप से गवर्नमेन्ट पीपल्स को जो सर्विस रेन्डर करना चाहती है वह कर रही है। इसलिये अभी जो ग्रेज्युअल चेन्जेज़ हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप में ला रहे हैं वे फुल्ली जस्टिफाइड हैं इसलिये इसको मेन्टेन करना आवश्यक है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है उसके साथ साथ उन्होंने जो अपने विचार रखे हैं उनमें यदि अपनी तरफ से सारी बातें स्पष्ट कर देते तो मैं समझता हूं कि कुछ सफाई के साथ उन्होंने सारी बातें कह दीं, लेकिन फिर भी जहां तक मैं समझ पाया हूं वे इतना ही चाहते हैं कि जो अभी जिलाधीश कार्यालय का सेट-अप है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आना चाहिये, इसकी छानबीन करने के लिये एक कमेटी बनाई जाय, जिसमें एक्सपर्टस भी हों और साथ ही साथ पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी और एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरमैन को भी सम्मिलित करने का सुझाव उन्होंने रखा है। जहां तक मैं समझ पाया हूं उन्होंने अपनी तरफ से ये विचार नहीं रखे कि वे पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी और एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरमैन को इनमें रखने की आवश्यकता क्यों समझते हैं ? यदि वे स्पष्ट करते कि दोनों की आवश्यकता क्या है, तो मैं समझता कि वह काम भी साफ होता। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं पी. एस. सी और एस्टिमेटस कमेटी के चेयरमैन और एक्सपर्ट्स जांच करें, उसके पीछे एक दृष्टिकोण हो सकता है और वह यह कि हमने आज नये ढांचे में नया परिवर्तन किया और हमने विकेन्द्रीकरण की योजना राज्य में प्रारम्भ की है और इस योजना को प्रारम्भ करने के बाद हमारी वस्तु स्थिति

(श्री मुरलीधर व्यास)

क्या है और आज की परिस्थिति में इसमें कैसा परिवर्तन होना चाहिये जिससे हम नये ढांचे को कामयाब कर सकें और उसके साथ साथ एस्टीमेट्स कमेटी और पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैन को जहां तक लेने का सवाल है, मैं समझता हूं इन दोनों की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं और हमारे राज्य में जो धन खर्च होता है, उसको देखते हैं कि लेजिस्लेचर की राय के मुताबिक खर्चा होता है या नहीं और उसका सदुपयोग होता है या नहीं; इसकी जांच के लिए वे रहते हैं और इसके सारे फैक्ट्स इस विधान सभा के सामने रखते हैं। इन दोनों को, मैं समझता हूं, इस दृष्टिकोण से भी रखा है इन्होंने कि आज प्लानिंग के अनुसार काम चलता है, हमारा सारा काम आज योजनाबद्ध होता है। इस योजनाबद्ध काम में हम किस किस प्रकार खर्चा कर रहे हैं और जब नई योजना विकेन्द्रीकरण की रखी है, तो विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत जो कलेक्टर का डिपार्टमेंट था, उसका ऑफिस था, वह जिस तरह से पहले चलता था, आज भी वैसा ही ही चलता है और प्रशासन का खर्चा वैसे का वैसा ही चलता है। उसके साथ साथ नया खर्चा विकेन्द्रीकरण में इकाइयों का किया है, वह भी चलता है। इन दोनों इकाइयों का परस्पर सम्बन्ध यद्यपि जोड़ा है, परन्तु दोनों अलग अलग हैं, दोनों के अलग अलग खर्चे हैं और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि किस प्रकार प्रशासन के खर्चे में कमी करें। हमारे सामने, जो केन्द्रीय सरकार का बजट आया; और दूसरे राज्यों के बजट आये, उनमें हम देखते हैं कि प्रशासन का खर्च ज्यादा से ज़्यादा बढ़ा। हम इस खर्च को किस प्रकार कम कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो योजना है, उस योजना में उस धन को किस प्रकार लगा सकते हैं? फिर विकेन्द्रित इकाइयां जो बनाई हैं, पंचायत समिति और जिला परिषद् की, उनके जरिये किस प्रकार के काम करा सकते हैं। जो नई स्वशासित इकाई बनाई हैं, हम चाहते हैं कि गांव में एक स्वशासित इकाई हो और उसके काम में कोई प्रतिबन्ध न हो। यह सारा किस तरह हो सकता है, इस पर विचार करने के लिए यह प्रस्ताव रखा है। मैं इस मूल उद्देश्य को लेकर ही इस प्रस्ताव पर अपने विचार रखना चाहता हूँ।

अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो हमने विकेन्द्रीकरण किया है और विकेन्द्रित योजना आज प्रारम्भ हो चुकी है, परन्तु इसके साथ साथ हम प्रैक्टिकली यह देखते हैं कि जिला परिषद् का जो कार्यालय है और तहसील पंचायत समिति का कार्यालय है, आज उनमें काम किस तरह चल रहा है। मैं महसूस करता हूँ और जिला परिषद् के अन्दर जो जो अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, वे खुद महसूस करते हैं, जो वहां पर सेक्रेटरी है, वह भी महसूस करता है कि उनके कार्यालय में जब मीटिंग होती हैं, महीने में एक-दो दफा मीटिंग होती है, तब महसूस किया जाता है कि वास्तव में कुछ हलचल है। नहीं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई कार्य नहीं है। इसका कारण क्या है? हमने इस प्रकार से सारा विकेन्द्रीकरण कर दिया, इसके बाद में जिला परिषद् को भी जिस प्रकार से हमने कार्य दिया है, जो कुछ भी उनके पास काम है, वह ऐसा है कि जिला परिषद् की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा महसूस किया जाता है। उनके पास जो काम है और उनका जो खर्चा है,

(श्री मुरलीधर व्यास)

उससे महसूस नहीं करते हैं कि कोई काम हो रहा है। तो या तो जिला परिषद् के कार्यालय का सेट-अप है, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, या जो जिलो कार्यालय है, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा जिससे वह कुछ न कुछ सक्रिय हो सके, कुछ न कुछ काम आ सके। नहीं तो जिला परिषद् के कार्यालय को समाप्त कर देना चाहिये और तहसील पंचायत समिति तक कम से कम इतना काम होना चाहिए। आज प्रशासन के मामले में हम तहसील पंचायत समिति तक जाते हैं। आज वस्तु स्थिति है कि स्थिति वैसी की वैसी पड़ी है, हर आदमी को उसी दरवाजे पर जाना पड़ता है, कलेक्टर के पास जाना पड़ा है। कलेक्टर का जो काम है, वह डेवलपमेंट कमिश्नर के तरीके से रखा गया है। मैं डेवलपमेंट का काम समझता हूं। आज सारा का सारा डेवलपमेंट का काम नीचे से तैयार होता है, सारी चीजों को तहसील पंचायत समिति बनाती है, उसके बाद वह जिला परिषद् में आता है, उसके बाद उनको पॉवर देनी चाहिये। जो कलेक्टर है, वह सारे काम को सरकार के पास भेज सकता है, सरकार ने अपने लिए एजेन्सी रख छोड़ी है। परन्तु सही मायने में जब हम प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण करते हैं तो ऐसी हालत में हमें सम्बन्ध नीचे से ऊपर तक ऐसा जोड़ना चाहिये। यह ठीक है; आप यह कह सकते हैं कि प्रारम्भ में इतना कार्य प्रारम्भ किया है और इस आधार पर जो सेट-अप कलेक्टर का है वह वैसा का वैसा रहेगा। परन्तु विकेन्द्रीकरण के आधार पर आज सारे ढांचे के अन्दर विकेन्द्रीकरण की रूप रेखा जिस तरह रखना चाहते हैं, उसका जो मूल उद्देश्य है, उसको प्राप्त करना चाहते हैं कि जो कलेक्टर का ऑफिस है, कार्यालय है, इसके ढांचे में परिवर्तन करना पड़ेगा, और वह परिवर्तन इस प्रकार से करना पड़ेगा, जिससे प्रशानिक और दूसरे खर्चें में कमी हो और वह पैसा योजना के अन्दर खर्च हो सके। अब इसके सम्बन्ध में जहां तक सवाल है, जो पंचायतों में झगड़े होते हों; हम मानते हैं कि विकेन्द्रीकरण के साथ साथ हमारा दूसरा उद्देश्य यह है, जैसा कि अभी राज्यपाल महोदय के भाषण से मालूम हुआ, कि पंचायत समितियों के अन्दर भी जहां तक न्याय का विभाग है, उसको अलग करना चाहते हैं। यह ठीक है, परन्तु इसके साथ साथ जो ऊपर के विभाग हैं, जहां तक कलेक्टर का सवाल है, वह एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर एक तो प्रशासनिक इकाई का हैड है और उसके साथ न्याय इकाई का भी हैड है। ये दोनों काम इस प्रकार के उसके पास में हैं। तो जब आपने विकेन्द्रीकरण कर दिया है कि एक काम को धीरे धीरे कम करना चाहिये और इतना कम कर देना चाहिए कि दूसरा काम, जैसा कि पंचायतों के अन्दर देखते हैं, न्याय के मामलों में गड़बड़ी होती है। इसमें आप बाद में परिवर्तन करेंगे, अलग अलग न्याय की इकाई होगी और उसके अधिकार आप अलग करेंगे; तो आगे क्या परिवर्तन होते हैं और क्या नहीं? परन्तु आज जिस स्थिति में है, हम देखते हैं, गांव के झगड़ों की शिकायतें यहां तक आती हैं। इतने ज्यादा झगड़े हैं, उन झगड़ों को वहीं पर निपटा सकते हैं। कलेक्टर का काम ज्यादा से ज्यादा न्याय से सम्बन्धित है, वह काम आज कलेक्टर के पास में है, और डेवलपमेंट की

(श्री मुरलीधर व्यास)

एजेन्सी के रूप में भी उसका सरकार से सम्बन्ध है, परन्तु जहां तक विकेन्द्रीकरण का सवाल है, उसके कारण सारे ढांचे में परिवर्तन करना पड़ेगा। इस परिवर्तन को करने का जो मूल उद्देश्य है, वह इस प्रस्ताव में रखा है कि हमको इस चीज़ की जांच करनी चाहिये कि हमने अभी तक जो नये परिवर्तन किये हैं और इस परिवर्तन के आगे, जो कुछ भी जिस प्रकार का ढांचा है, उसमें किस प्रकार परिवर्तन हो। इसमें एरटीमेंट कमेटी के चेअरमैन को लेने का सुझाव रखा है। मैं समझता हूं कि बहुत से खर्चे उनके सामने आते हैं जिनकी वे छानबीन करते हैं। इसके अलावा जो जनलेखा समिति की रिपोर्ट आती है, उनसे मालूम होता है कि बहुत सा खर्चा अलग अलग विभागों में अलग अलग तरीके से होता है, किस प्रकार धन का दुरुपयोग होता है, रुपये का ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं होता है। यह सारी चीजें रहती हैं चेयरमैन के पास। अगर वे कमेटी में रह कर काम करें और उसके साथ साथ एक्सपर्ट को लें तो अच्छी तरह सारी चीजों की छानबीन कर सकते हैं कि जो धन का दुरुपयोग हो रहा है, उसमें किस तरह की कमी कर सकते हैं और कमी करके, किस तरह नये ढांचे का निर्माण करना चाहिये, विकेन्द्रीकरण करेंगे तो किस प्रकार का सेट-अप कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह मूल उद्देश्य प्रस्तावक महोदय का है। इस मूल उद्देश्य को लेकर एक्सपर्टस की बात रखी है। आप कहें कि एक्सपर्ट्स इस प्रकार के मिलते नहीं हैं। परन्तु फिर भी जहां तक एक्सपर्ट्स का सवाल है, जो कमिश्नर, सेक्रेटरी आदि हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वे इन मामलों के जानकार होते हैं। इससे भी ज्यादा क्वालिफाइड और एक्सपर्ट आदमियों को लेकर एक दफा सारे ढांचे की, जो विकेन्द्रीकरण का किया है, छानबीन करके, प्रशासन के खर्च में कमी करके और इसके साथ साथ नये ढांचे का, विकेन्द्रीकरण के आधार पर, जो गांधीजी का मूलभूत सिद्धान्त है, स्वावलम्बी गांवों के रूप में निर्माण कर सकें और उस व्यवस्था को बनाने के लिये कोई व्यवस्था की जाय। जो इस सम्बन्ध में प्लानिंग कमीशन और बहुत सी कमेटी की रिपोर्ट हैं, परन्तु राजस्थान के अन्दर हमने पहला प्रयोग किया है. इसलिये इसकी छानबीन होनी चाहिये और वह छानबीन करने के लिए एक कमेटी बनानी चाहिये जो सारे ढांचे और सारी चीजों की इस प्रकार छानबीन करके हम लोगों को अपनी रिपोर्ट दे सके।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

विकेन्द्रीकरण करने के बाद, क्या क्या कमी इसमें है, क्या सेट अप होना चाहिये, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या करना है, यह सब देखना चाहिये। मैं समझता हूं कि जब इतना बड़ा काम उठाया है, इससे इसमें राहत मिलेगी और इसके साथ साथ नवीन बातें भी हमको देखने को मिलेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : राज्य सरकार की ओर से उत्तर होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव

(श्री दामोदरलाल व्यास)

फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया है उस प्रस्ताव से तो जहां तक इसकी लैंग्वेज है, उससे यही पता चलता है कि वे इस तरह की एक कमेटी बनाना चाहते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टोरेट के वर्किंग को एग्ज़ामिन करे और चेन्जेज़ के सुझाव दे। उनके प्रस्ताव में कहीं यह नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टोरेट को एबोलिश कर दिया जाय या कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं रखा जाय। इस तरह की कोई बात उनके प्रस्ताव में नहीं है। पूरे रेज़ोल्यूशन का जहां तक सम्बन्ध हैं कि कलेक्टोरेट के वर्किंग को एग्ज़ामिन किया जा सके, इस रेजोल्यूशन की लैंग्वेज से यही मतलब निकलता है। पर कई माननीय सदस्यों ने इस पर बहस के दौरान में बहुत सी बातें कलेक्टर के कार्यालय के एबोलिशन के लिए और कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट न रखा जाय, इस सम्बन्ध में बातें कहीं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कलेक्टर की अब जरूरत नहीं है, कलेक्टर के कार्यालय को एबोलिश कर देना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कलेक्टर चुना हुआ रहना चाहिये। That should be an elective office.

मेरा खयाल है पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने इस दलील को रखा कि जनता के हित में यह बात है कि कलेक्टर इलेक्टेड होना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने कलेक्टोरेट के साथ पंचायत समितियों और ज़िला परिषदों को लेकर बताया कि कलेक्टर के कार्यालय के रहने से जिला परिषदों और पंचायत समितियों की ताकत कमजोर होती है, यदि कलेक्टर रहता है तो ये कभी ताकतवर नहीं बन सकतीं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कलेक्टर के पास काम ही बहुत ज्यादा है, दूसरे डिपार्टमेंट्स के वर्किंग में उसको सुप्रीमेसी दे रखी है जिससे कलेक्टर बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है और अपना काम नहीं करके दूसरे डिपार्टमेंट्स के काम में दखल देता है।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो रेज़ोल्यूशन रखने वाले माननीय सदस्य हैं, उनकी मंशा क्या है? जिन दूसरे माननीय सदस्यों ने रेज़ोल्यूशन की ताईद में कहा है, किसी ने आल्टरनेटिव नहीं रखा कि कलेक्टोरेट के एबोलिशन की हालत में डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या रखना चाहते हैं, ऐसा सुझाव किसी ने नहीं दिया है। आज कलेक्टर के पास मल्टीपल ड्युटीज़ हैं। रेवेन्यू कलेक्शन के अधिकार इसको थे और इसीलिए इसका नाम कलेटकर पड़ा, लेकिन आज वह लॉ एन्ड ऑर्डर का इन्चार्ज है। माननीय सदस्यों ने कहा कि एग्ज़ीक्यूटिव से जुडिशियरी सेपरेट हो जायगी तो इसकी जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि यहां तक कहा गया कि एक वेलफेअर सोसायटी में लॉ एन्ड ऑर्डर के ऊपर एम्फेसिस नहीं दिया जाय। यह सुझाव बड़ा अजीब है, लॉ एन्ड ऑर्डर पर एम्फेसिस नहीं किया जाय तो किसको अधिकार दिये जायं डिस्ट्रिक्ट एड्मिनिस्ट्रेशन के? समझने की जरूरत है कि कलेक्टर नहीं रहेगा तो उसके बजाय आॅल्टरनेटिव क्या करना चाहते हैं? बापना कमेटी की रिपोर्ट है, जिला परिषदें कायम हुई, इससे कलेक्टर की पोस्ट्स रिडन्डेन्ट हो गई, इस प्रकार के अगर ख्याल हैं तो वे ख्याल गलत हैं। डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइ-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जेशन किया है इसको कामयाब करने के लिए कलेक्टोरेट को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। यदि हम चाहते हैं कि कामयाबी से जिला परिषदें, पंचायत समितियां अपने काम को पूरा कर सकें तो एक ऐसे ऑफिसर की जरूरत है कि जो जिला परिषदों और पंचायत समितियों को पूरा पूरा कोऑपरेशन हर डिपार्टमेंट का जो डिस्ट्रिक्ट में हैं इनको दिला सके। डिवीजन लेवल पर जो डिपार्टमेंटल हैड्स हैं उनका कोऑपरेशन जिला परिषदों और पंचायतों को मिले। इसके लिए एक ऐसे ऑफिसर की डिस्ट्रिक्ट में सख्त जरूरत है जो पूरा पूरा कोऑपरेशन सबका दिला सके ताकि डेवलपमेंट प्लान्स का जल्दी से जल्दी और अच्छी तरह से वहां इम्प्लीमेंटेशन हो सके। जिला परिषदों और पंचायत समितियां की स्कीम्स को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने के लिये, उनकी स्कीम्स को कामयाब बनाने के लिये और भी अधिक आवश्यकता है, इस बात की कि कलेक्टर की पोस्ट को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाय। यदि इसको कमज़ोर बनाया गया तो इन स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकेगा। तो यह कहना कि डेमोक्रेटिक डीसेंट्रेलाइजेशन हो गया है इसलिये अब कलेक्टर की आवश्यकता नहीं, यह बात बिलकुल गलत रहेगी। यदि इसको कमज़ोर किया गया तो जिला परिषदों और पंचायत समितियों का कोई काम नहीं हो सकेगा। प्लान्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिये जिला परिषदों और पंचायत समितियों को हर डिपार्टमेंट से पूरी पूरी मदद मिल सके, इनकी सारी प्लान्स इम्प्लीमेंट हो जाय हर डिपार्टमेंट से इसके लिये कलेक्टर की बड़ी जरूरत है।

अब मैं यह निवेदन करूंगा कि लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन को दर गुज़र नहीं कर सकते। लॉ एण्ड ऑर्डर का इन्चार्ज कलेक्टर रहना चाहिये, इसके जो पॉवर्स हैं उनको छीन कर लॉ एन्ड ऑर्डर में केऑस पैदा कर दें, यह नहीं हो सकता। फिर तो आप यह भी कह सकते हैं कि एस. पी. की क्या जरूरत है, पुलिस की क्या जरूरत है, और मजिस्ट्रेट की क्या जरूरत है? इस धारणा से सोचें तो बात दूसरी है।

तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि लॉ एन्ड ऑर्डर के लिहाज़ से कलेक्टर की रेस्पोन्सिलिटी है और वह रहेगी। हर एड्मिनिस्ट्रेशन में लॉ एण्ड ऑर्डर को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। इसके अलावा कलेक्टर के पास सिर्फ यही काम नहीं है कि लॉ एण्ड ऑर्डर को देखे, एक तरफ रेवेन्यू ऑफिसर्स पर सुपरविजन और डिस्ट्रिक्ट के ओवरहॉल काम का रेस्पोन्सिबल है, लॉ एण्ड ऑर्डर के मेन्टेनेन्स के साथ साथ लैंड रेकॉर्ड्स का इन्चार्ज अफसर वही है, हर किसान और हर नागरिक के लिहाज से यह बहुत जरूरी है कि लैंड रेकॉर्ड्स का काम वेल मेंटेन्ड, साफ और अपटूडेट होना चाहिये। जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन का काम कलेक्टर करता है, उसके फंक्शन्स अनडिफाइन्ड नहीं, वेल डिफाइन्ड हैं, डिस्ट्रिक्ट मेन्युअल में डिफाइन किये गये हैं और ज्यों ज्यों रिफोर्म्स किये जाते हैं हमने उसके फंक्शन्स को सर्कुलर्स से,

Page No.70

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इन्स्ट्रक्शन से डिफाइन किया है, किस तरह एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से को-ऑर्डिनेट करना चाहिये, इसके लिये इन्स्ट्रक्शन्स जारी की हुई हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि वह तो इनइफेक्टिव है। यह सही नहीं है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशन का काम आता है तो गवर्नमेंट कलेक्टर को पूछती है कि क्यों कमी रही ? कलेक्टर कहता है कि फलां डिपार्टमेंट ने कोऑर्डिनेट नहीं किया, इस कारण यह कमी रही; तो कलेक्टर की रिपोर्ट पर उस डिपार्टमेंट के रेस्पोन्सिबल ऑफिसर के खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन लेती है। प्लान का वर्क पूरा हो, इम्प्लीमेंटशन पूरा हो, डिस्ट्रिक्ट्स के लिये डिपार्टमेंट्स से कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिये कलेक्टर की सख्त जरूरत है।....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जिला प्रमुख के फंक्शन्स क्या हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वे सब कानून में वैल डिफाइन्ड हैं। कलेक्टर के पॉवर्स एज़ ए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर वैल डिफाइन्ड हैं। गवर्नमेंट को मालूम होना चाहिये कि प्लान में एकोर्डिंग टू शिड्यूल काम चल रहा है कि नहीं, इसके अलावा पंचायत समिति में या जिला परिषद में कोई भी कलेक्टर का इन्टरफियरेन्स नहीं है सिवाय इसके कि डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट ऑफिसर के नाते वह गवर्नमेंट को इत्तला दे दे कि यह हो रहा है, इसके अलावा और कहीं उसका दखल हो तो माननीय सदस्य बता दें।

इसके अलावा जैसा कि मैंने आपसे कहा, अभी बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने बम्बई की रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई, वहां एक ऑफिसर को मुकर्रर किया गया था कि वह एग्ज़ामिन करे कि कलेक्टोरेट के किस तरह के फंक्शन्स हैं और उनमें किस तरह से अमेंडमेंट किया जा सकता है। यू. पी. में भी श्री दास गुप्ता को डेप्यूट करके इस चीज़ को एग्ज़ामिन करवाया था। राजस्थान ने भी अपने यहां के सीनियर ऑफिसर मिस्टर मेनन को जो कमिश्नर हैं, जुलाई १९५८ में डेप्यूट किया। वे यू. पी. में जाकर डिस्ट्रिक्ट्स हैड क्वार्टर्स में ठहरे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टोरेट के वर्किंग को देखा है। दास गुप्ता ने जो रिपोर्ट दी है उसको देखिये। और उन्होंने दास गुप्ता की रिपोर्ट को देखा और आर. एस. सेट-अप के लिये वे अपने साथ दूसरे सीनियर ऑफिसरों को ले गये और उन्होंने वहां जाकर देखा और उन्होंने अपनी रिकमन्डेशन दी हैं, वे रिकमन्डेशन्स काफी बाकी हैं। उन्होंने १२० के करीब रिकमन्डेशन्स गवर्नमेंट को दिये हैं और गवर्नमेंट ने उसमें से कुछ पर एक्शन लिया है, जिससे कलेक्टोरेट के वर्किंग में काफी तब्दीलियें हुई हैं।

यह ठीक है कि हमने सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया है। यह भी है कि आगे जा कर हमें जुडिशियरी को और एग्ज़िक्युटिव को अलग करने की सिफारिश को भी मानना पड़े।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अब यह कहा गया कि कलेक्टर की जरुरत नहीं रहे। मगर मैं यह कहूंगा कि कलेक्टर की जरूरत रहती है और रहेगी। चाहे आप उसके नाम को बदल कर कलेक्टर की जगह दूसरा नाम रख दें; जैसे डेवलपमेंट ऑफिसर कर दें, लेकिन कलेक्टर का पद है वह जरूर कायम रहेगा।

यहां से मेनन की रिपोर्ट आपने नहीं देखी होगी। श्री मेनन यू. पी. गये थे और वहां पर ओन दी स्पोट जाकर, स्टडी करके आये और उन रिकमन्डेशन्स को गवर्नमेंट ने जो कमेटी मुकर्रर की, उसने भी पढ़ा और उन रिकमन्डेशन्स को सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेन्स जो हर साल होती है उन्होंने भी पढ़ा और उन्होंने भी अपनी रिकमन्डेशन्स दी हैं There are about 120 recommendations. उनको विस्तारपूर्वक तो बताना नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने जो रिकमन्डेशन्स दी हैं उनका हम धीरे धीरे इम्प्लीकेशन करते जा रहे हैं। इसी तरह से दूसरी जगह भी जहां जहां हमने मुनासिब समझा है सुधार किये हैं।

अब रही यह बात कि यहां पर बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि कहीं पर कलेक्टोरेट बड़ा है, कहीं पर छोटा है। इसलिये इसका रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिये। किसी ने यह कहा कि कमिश्नर की पोस्ट को एबोलिश कर देना चाहिये। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक इस रिज़ोल्यूशन का प्रश्न है कमिश्नर का प्रश्न ही नहीं आता। कमिश्नर के प्रश्न को जब हमने लैन्ड रेवेन्यू एक्ट, जिस वक्त बन रहा था उस वक्त चर्चा हुई थी कि कमिशनरों के रहने की आवश्यकता है या नहीं। मैं समझता हूं कि अब इस रिजोल्यूशन पर, कमिश्नरों के पद रहें या नहीं यह इस विषय की बात नहीं है और इस विषय के बाहर की बात है। अब रहा कलेक्टर रहे या नहीं? गवर्नमेंट के सामने रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट है और उस पर विचार कर रहे हैं। उसमें क्या तब्दीली होगी, उस पर माननीय सदस्यों के विचार यहां पर वक्त ब वक्त इधर या उधर बैठने वालों के आते रहते हैं। जयपुर की १८ लाख कि डिमान्ड रहे तो बूंदी वाले कहते हैं कि वहां पर भी डिस्ट्रिक्ट रहना चाहिये और....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : टौंक वाले भी यही चाहते हैं कि उनके यहां पर भी डिस्ट्रिक्ट रहे।

श्री दामोदरलाल व्यास : तो उधर टौंक वाले भी यही चाहते है कि वहां पर भी डिस्ट्रिक्ट रहे। मगर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीडिएन्सी और कोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर विचार करना होगा।

अब रहा सवाल दूसरी चीज़ों का, जो कही गई। उसमें एक यह कहा गया कि हिन्दी का प्रयोग क्लेक्टोरेट में नहीं होता जब कि राजस्थान सरकार ने हिन्दी को इन्ट्रोड्यूस कर दिया है। मैं यह कहूंगा कि जहां तक जनता का संबन्ध है उनके लिये हिन्दी का प्रयोग होता आ रहा है और कलेक्टोरेट और सेक्रेटेरियेट में कोई पत्र व्यवहार होता है तो वह अंग्रेजी में भले ही हो सकता है। मगर जहां तक पब्लिक का प्रश्न है बराबर हिन्दी में उनको पत्र लिखे जाते हैं; एक्सेप्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिसमें कुछ काम अंग्रेज़ी में

Page No.72

(श्री दामोदरलाल व्यास)

होता है बाकी वहां पर भी जजमेंट हिन्दी में लिखते हैं। इसलिये हिन्दी की जो शिकायत है वह मेरे ख्याल से ठीक नहीं है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि कलेक्टरों का चुनाव होना चाहिये। मैं इस संबन्ध में बता देना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में मिनिस्टर्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का प्रश्न है डेमोक्रेसी में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बिल्कुल इन्डिपेन्डेन्ट पोलिटिकल पार्टीज़ से रहना जरूरी है। हमारे यहां पर इस प्रकार की प्रथा नहीं हो सकती और अगर कलेक्टर इलेक्टेड हों तो फिर दूसरे अधिकारी भी इलेक्टेड होने चाहिये। यह संभव नहीं है और मैं यह निवेदन करूंगा कि सर्विसेज़ पोलिटिकल पार्टीज़ से बिल्कुल इन्डिपेन्डेन्ट होनी चाहिये। They are loyal to the Government, but they are not loyal to the party. सर्विस क्लास को इन्डिपेन्डेन्ट वर्क करना पड़ता है इसलिये यह इलेक्शन का तरीका उचित नहीं है और हमें इसमें नहीं जाना चाहिये और इसके संबन्ध में बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी कह दिया है।

कुछ खर्चा कम करने की बात कही गई। मैं आपकी जानकारी के लिये यह कह देना चाहता हूं कि श्री मेनन ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें काफी सुधार की बातें कही गई हैं। जितनी तब्दीलियें करनी चाहिये, क्या २ मशीनरी में तब्दीलियें करनी चाहिये, उसके लिहाज़ से गवर्नमेंट ने कमेटी बना रखी है, जो हर एक डिपार्टमेंट को एग्ज़ामिन करती रहती है और मैं यह कहूंगा कि पिछले वर्षों में मेनन साहब की रिकमन्डेशन पर काम करने से कलेक्टोरेट में काफी खर्चा कम हुआ है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग केटेगरीज़ कर रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि जयपुर में आई. ए. एस. अधिकारी है तो सिरोही में आई. ए. एस. कलेक्टर है। यह तो है, मगर जयपुर डिस्ट्रिक्ट और सिरोही में स्टाफ बराबर नहीं है। उसके और इसके खर्चे में कमी है।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : यह मैंने कहा था, सिरोही में दो लाख नहीं पड़ता और जयपुर में १५ लाख पड़ता है। एक्सपेन्डीचर पर केपिटा....

श्री दामोदरलाल व्यास: छोटे डिस्ट्रिक्ट में कम खर्च होता है। खर्च कलेक्टर की तनख्वाह से नहीं बढ़ता है। डिस्ट्रिक्ट छोटा है, तो वहां पर थोड़ा स्टाफ होगा। वह तो डिस्ट्रिक्ट सेट-अप में क्या है और क्या नहीं है, इससे मतलब नहीं है।

अब यह कहा जाता है कि कमेटी बनाई जावे जिसमें ऑफिसर हो। आई मीन टु से देट एस्टिमेटस कमेटी और पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी है जो बराबर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप को देखती है कि किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हुआ, इस चीज़ को एग्ज़ामिन करती है। कितना सेविंग होता है और कितना खर्च ज्यादा होता है, इन सारी बातों को देखती है। इसके अलावा जहां तक सदन के माननीय सदस्यों की राय है, बजट और दूसरे अवसरों पर उनकी राय आती रहती है और जहां तक पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी का सम्बन्ध है उनकी राय सरकार के

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पास आती रहती है। इसके बावजूद भी जैसा मैंने बताया श्री मेनन ने दूसरे प्रोविन्सेज़ में जाकर काम को देख कर अपनी राय दी है उस पर बराबर अमल किया जा रहा है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह आपका प्रस्ताव है कि इस प्रकार की कमेटी बनाई जावे, इसकी आवश्यकता नहीं समझता और यह प्रस्ताव उपयुक्त नहीं है। क्योंकि माननीय सदस्य का प्रश्न है कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी और एस्टिमेटस कमेटी के सभापति उनके सदस्य हों सो, वह सूचना हमको समय समय पर मिलती ही रहती है।

यह जो प्रश्न है चेन्जड टाइम के साथ साथ कलेक्टर के फंक्शन चेन्ज करना चाहिये। आज भी यही चाहते हैं कि वे लॉ एण्ड ऑर्डर के इन्चार्ज हैं। लैन्ड रेवेन्यू के संबन्ध में लैन्ड रेवेन्यू एक्ट में उनको पॉवर है।

लेकिन आज सत्ता का विकेन्द्रीकरण होने के बाद जिला परिषद् सर्वोपरि है और जिला ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में डिफरेन्ट डिपार्टमेंट्स का कन्ट्रोलिंग ऑफिसर के तौर पर है। किसी जगह काम नहीं है तो उसके फंक्शन्स चेन्ज हुये हैं। आज वह हालत नहीं है जो पहले थी। पहले कलेक्टर पूरे डिस्ट्रिक्ट के हैड थे, आज वह स्थिति नहीं है Now he is only a member of the Zila Parishad and he has only to advise the Zila Parishad. इसके अलावा उसके पास अधिक काम नहीं है। आज जहां सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्ज़ीक्यूटिव होगा, वहां चेन्ज हो जावेगी।

श्री मूलचन्द डागा : मेनन साहब की रिपोर्ट है....

श्री उपाध्यक्ष : Will not disturb the House. No interruptions at this stage.

श्री दामोदरलाल व्यास : I only informed you that Mr. Menon has submitted his report to the Government and the Government is considering it. It is a report to the Government by its officer. इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो रिज़ोल्यूशन पेश किया है वह ठीक नहीं है, खास तौर पर जैसा कि डिस्ट्रिक्ट के अन्दर एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप रहेगा इसको ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट को एग्ज़ामिन कर लिया है, अमेन्डमेन्ट्स करना हैं कमी बेशी करनी है, उसको हम खुद कर रहे हैं, पी. एस. सी. और एस्टीमेट्स इसको खुद एग्ज़ामिन करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य अपना रिज़ोल्यूशन वापिस ले लें।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : Are you withdrawing it ?

श्री पी. के. चौधरी : I have got five minutes, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : But it cannot create a right of reply.

श्री पी. के. चौधरी : In the case of a resolution, the right of reply exists

Page No.74

श्री उपाध्यक्ष : I don't think. We have our own observation to guide us.

श्री पी. के. चौधरी : That is about cut motions.

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry, Mr. Choudhary. It is equally applicable to the resolution also.

श्री पी. के. चौधरी : Last time everybody was given the right of reply.

श्री उपाध्यक्ष : I don't think.

श्री पी. के. चौधरी : They were given.

श्री उपाध्यक्ष : I have studied the point. I assure you that there is no right of reply.

श्री पी. के. चौधरी : I have not got a right, but with your permission. I may be permitted for five minutes.

उपाध्यक्ष : But how can I make a departure from the rules ? If I make a departure, then it creates a right for the future also...

श्री पी. के. चौधरी : With your permission, Sir.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : That will create a precedent, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry, Mr. Chaudhary. I only want to know whether you are prepared to withdraw or not.

श्री पी. के. चौधरी : I will make up my mind in two minutes, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Then I can wait for two minutes if you like, though I don't think it would be desirable for the House to wait for two minutes till you make up your mind.

श्री पी. के. चौधरी : You will allow me to thank the members who have spoken on the resolution.

श्री उपाध्यक्ष : No, I won't allow such a precedent also. You can thank them outside the House.

श्री पी. के. चौधरी : मुझे इस बात की खुशी है कि....

श्री दामोदरलाल व्यास : Again he has started this. It will be setting a precedent.

श्री उपाध्यक्ष : I think it is just an explanation for withdrawal and it will be within a sentence or two.

श्री पी. के. चौधरी : Yes, Sir, a sentence or two.

मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मन्त्रीजी ने प्रेजेन्ट सेट-अप को चेन्ज करने की उपयोगिता को समझा है और दूसरी बात उन्होंने कही कि सजेशन नहीं दिया । मेरे दो सजेशन्स थे। कि रेवेन्यू को अलग कर दिया जाय । He should be in charge of development work only. जुडिशियरी उससे अलग

(श्री पी० के० चौधरी)

कर दी जावे । The question of revenue is so pernicious that it has been proved to the hilt by the Revenue Minster himself. The reply should have come from the Chief Minister as head of general administration. But the Revenue Miniter has dealt with it. With these words, I beg leave of the House to withdraw my resolution.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री पी. के. चौधरी ने प्रस्तुत किया है उसको उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

संकल्प वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी. के. चौधरी : I withdraw my resolution.

२.५५ म० प०

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प नं० २ ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली को अधिक उपयोगी और सामयिक बनाने हेतु समिति का निर्माण

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संकल्प इस प्रकार है :—

"सदन यह सिफारिश करता है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली को अधिक उपयोगी और सामयिक बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जाये"।

जैसा कि इस संकल्प की भाषा से विदित होगा, मेरी यह मान्यता है, केवल मेरी ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूं, देश के सब ही शिक्षा प्रेमी और देश हितैषियों की यह मान्यता है....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : You will continue till I compose the quorum.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : वर्तमान शिक्षा जो हमारे देश में प्रचलित है वह आज से पूरे १२५ वर्ष पहले अंग्रेजी शासन के चढ़ते हुए समय में लोर्ड मेकॉले द्वारा प्रचलित की गई थी। अंग्रेजी साम्राज्य इस देश में जड़ जमाने आया था, इस देश पर अनन्त काल तक शासन करने को आया था इसलिए यह आवश्यक था कि वह यहां के निवासियों और खास तौर पर जो यहां के युवक हैं और जो देश के भावी नागरिक बनने वाले हैं उनके दिल और दिमाग पर इस प्रकार का असर डाले कि वे हमेशा अंग्रेजों को बादशाह और शासक मानते और समझते रहें। इस दृष्टि से उसने यहां एक शिक्षा प्रणाली प्रचलित की और उसका उद्देश्य यही रखा कि कुछ थोड़े से क्लर्क्स और दुभाषिये पैदा करें और ऐसी श्रेणी इस देश में उत्पन्न करें जो रंग और रूप में भारतीय होते हुए भी वे भाषा, रुचि और

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

भावनाओं में पूरे अंग्रेज़ हों । यही उद्देश्य उस शिक्षा प्रणाली का था जो आज से ठीक १२५ वर्ष पूर्व हमारे इस देश में प्रचलित की गई थी । दुर्भाग्य से हम अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त कर चुके हैं और स्वतन्त्र हुए हमें १२ वर्ष से अधिक हो गये हैं लेकिन जो शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी शासन की जड़ जमाने के लिए आज से ठीक १२५ वर्ष पूर्व यहां प्रचलित की गई थी वह आज भी ज्यों की त्यों प्रचलित है, विद्यमान है । उस शिक्षा का उद्देश्य जैसा मैंने बताया सच्चे नागरिक पैदा करने का नहीं, बहादुर पैदा करने का नहीं, सच्चे लोग पैदा करने का नहीं किन्तु वे कुछ बाबू और क्लर्क्स बनाना चाहते थे, कुछ दुभाषिये बनाना चाहते थे, यह उद्देश्य था और उसका परिणाम भी ऐसा ही निकला ।

श्री उपाध्यक्ष : I think I shall have to ring the bell in the absence of the quorum.

(गण पूरक घंटी के पश्चात पुनः)

(३ म० प०)

वह शिक्षा पद्धति जो लार्ड मैकॉले ने इस देश में प्रचलित की थी उससे हमारा मानसिक, शारीरिक और नैतिक ह्रास ही नहीं, बल्कि पतन हुआ है । न हम शरीर की दृष्टि से उतने सुदृढ़ बन सके हैं और न मस्तिष्क की दृष्टि से और हमारी नैतिकता का पतन तो बहुत भयंकर रूप से हुआ है । लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अब तक भी हम लगातार इस प्रणाली को चालू रक्खे हुए हैं, उसमें कोई विशेष परिवर्तन आज तक हम नहीं कर पाये हैं । यद्यपि हमारे देश से अंग्रेज लोग चले गये हैं, अंग्रेजी शासन चला गया है लेकिन अंग्रेजियत आज भी हमारे देश में उसी प्रकार कब्जा जमाये हुई है । हमारे दिल से आज भी अंग्रेजी का मोह नहीं गया । हमारे अन्दर जो हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली का प्रभाव था वह प्रभाव अभी तक उत्पन्न नहीं हो पाया है । हमारी शिक्षा के अन्दर आज भी वही मैकॉले द्वारा स्थापित पद्धति का ही अनुसरण किया जा रहा है । यह बात मैं ही कह रहा हूं सो ऐसी बात नहीं । हम नित्य प्रति समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधान मन्त्री और बड़े बड़े नेता एक स्वर से इस बात को कहते हैं कि इस देश की शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिये, जो प्रणाली अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाने के लिये चालू की थी उसे समाप्त कर देना चाहिये । लेकिन हम देखते हैं, आज इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है । हां, यह हो रहा है कि हम केवल मानसिक दृष्टि से अभी तक स्वतन्त्र नहीं हो पाये हैं, आज भी हम एक प्रकार से परावलम्बी है, हमारे में परतन्त्रता है, जहां तक हमारी शिक्षा का सम्बन्ध है ।

अभी हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने बड़े फक्र के साथ कहा था कि हमारे यहां सारा काम हिन्दी में होता है, लेकिन जहां व्यवहारिक दृष्टि से देखने का सवाल है मैं जिस जिले से आता हूं वहां के सम्बन्ध में कह सकता हूं, वहां पर आज भी जो कार्य होते हैं अधिकांश अंग्रेजी में होते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : मसलन ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : कलेक्टर के जितने भी फैसले होते हैं सब अंग्रेजी में होते हैं। वह अपने स्टेनों को अंग्रेजी में लिखाता है, मैंने यह सुना है छोटे-मोटे ऑर्डर्स भी ज्यादातर अंग्रेजी में हुआ करते हैं। आप जांच कर सकते हैं। कम से कम राजस्थान के लिये तो कोई कारण नहीं था कि हम १२ वर्ष होने पर भी यहां हिन्दी में काम नहीं कर पाये। किसी न किसी हाल हवाले से आज आशा तो यह की जा रही है कि १ अप्रेल से यहां का कार्य सब हिन्दी में होने लग जायगा, लेकिन जहां तक अधिकारी वर्ग का सवाल है, जहां तक उनकी मनोवृत्ति का प्रश्न है इतनी जल्दी वे हिन्दी में काम करने लग जायेंगे, हिन्दी में रुचि लेंगे, यह मुझे दिखाई नहीं देता। इसलिये मुझे यह भय है कि कहीं हम इसे पूरी तौर से लागू कर पायेंगे भी या नहीं। पराधीनता के लिये किसी कवि ने कहा है :—

परभाषा परभाव परभूषण, पर परिधान
पराधीन नर की अहै, यह पूरी पहिचान।

पराधीन केवल इसी मायने में नहीं कि यहां अंग्रेजों का शासन था इसीलिये हम पराधीन थे, बल्कि आज हमारी भाषा खुद की भाषा नहीं, आज भी हम दूसरों की भाषा पर मोहताज हैं, आज हम हमारी भाषा में अपने भाव प्रगट नहीं कर पाते। हमारा परिधान भी हम देखें तो इसमें भी हम दूसरों की नकल करते हैं, यह भी हमारी पराधीनता का लक्षण है। दुर्भाग्य से यही परिधान और भाषा हमारे देश में प्रचलित है। हमारे जयपुर में कितनी ही शिक्षण संस्थायें हैं जिनको सरकार भी चलाती है लेकिन हम देखते हैं कि हमारे बड़े बड़े अधिकारियों के व मंत्रियों के बच्चे अधिकांश सेन्ट जेवीयर्स में पढ़ने जायेंगे। उनको विश्वास नहीं कि उन्हीं के स्कूलों के अन्दर ठीक प्रकार से पढ़ाई होती है। इसमें सब से बड़ा प्रलोभन है, आकर्षण है, केवल अंग्रेजी भाषा में फ्लुएन्टली बातचीत करने का। वे सोचते हैं इस स्कूल में पढ़ने से हमारे बच्चे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आज हमको अपनी संस्थाओं से जो सरकार द्वारा चलायी जाती हैं या प्राइवेट तौर पर चलायी जाती हैं उनसे विश्वास हटता जा रहा है और बाहर के लोगों द्वारा संचालित संस्थाओं में विश्वास जमता जा रहा है। सबसे बड़ा कारण है, इसमें हमारी गुलाम मनोवृत्ति का। अंग्रेजी के प्रति वही प्रेम आज भी हमारे में विद्यमान है जिससे हमें मुक्त होना चाहिये, उससे हम अधिक निकटता अपनाते जा रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने अन्दर उस तरह की शिक्षा का प्रचलन करें जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता हमारे देश को है। आज की शिक्षा प्रणाली आज के समय के अनुकूल नहीं है। १२५ वर्ष पुरानी शिक्षा पद्धति आज के समय के अनुकूल नहीं हो सकती। शिक्षा का उद्देश्य बतलाते हुए पौरत्य और पाश्चात्य विद्वानों ने कहा है। वे शिक्षा का उद्देश्य बतलाते हैं "harmonious development of mind, body and soul"

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो आपने अंग्रेजी में बतला दिया।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पाश्चात्य विद्वानों का जो कथन है वह मैंने आपके सामने रखा। मैं आपसे पूछना चाहताहूं

Page No.78

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

कि हमारी इस शिक्षा प्रणाली द्वारा मानसिक और शारीरिक विकास कुछ हद तक हमारी इन स्कूलों में होता है चाहे वह मानसिक विकास विकृत अवस्था में ही क्यों न होता हो इससे इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है । जहां तक आध्यात्मिक विकास का सम्बन्ध है मैं शिक्षा मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं हमारे यहां ऐसा कौनसा प्रावधान है आज की शिक्षण संस्थाओं में, जिनसे हम अपने बालक बालिकाओं के आध्यात्मिक विकास को पा सकें। वर्षों से हम जिस प्रणाली को अपनाते चले आ रहे हैं उसमें हमने आध्यात्मिक चेतना पैदा करने का कौन सा प्रावधान रखा है ? पिछली बार जब इसी प्रकार के विचार मैंने रखे थे कि हमारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा का समावेश होना चाहिये; मुझे जहां तक स्मरण है हमारे एक शिक्षा विशारद सज्जन और शिक्षा मन्त्री महोदय ने भी उस बात को पसन्द नहीं किया। उसके उत्तर में उन्होंने कहा था कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में धार्मिकता और नैतिकता का कोई स्थान नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : मैं जरा स्पष्ट कर दूं। मैंने ऐसा नहीं कहा था। शिक्षा में धार्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा का समावेश हो, इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने अपने लेवल पर एक कमेटी का सेट किया था । जो कमेटी रिलीजियस और मोरल एजूकेशन के बारे में क्या नीति अपनायी जाय, इस बारे में रिपोर्ट दे। उस कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है । अभी अभी ऑल इन्डिया एजूकेशनल एडवाइज़री बोर्ड द्वारा उस पर विचार हुआ था, उसके बाद उसको एक एक्सपर्ट कमेटी को उस पर फरदर विचार करने के लिये गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया द्वारा रेफर किया हुआ है । इसलिये इसका विरोध करने का प्रश्न ही नहीं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : शायद यह कमेटी इसके बाद में नियुक्त हुई थी, जब कि यह प्रश्न उठा था। मुझे भी पता है कि बम्बई के राज्यपाल श्री श्री प्रकाश की अध्यक्षता में वह कमेटी बनी थी, उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर हमारे देश का उत्थान करना है, इस देश में जो नित्य प्रति हड़तालें होती हैं, अनुशासनहीनता की बातें होती हैं, जो हमारे बच्चों में उच्छृंखलता और उद्दंडता बढ़ती हुई नजर आती है अगर उसका कोई उपाय है तो वह यह कि हमारे बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाय । अभी अभी केन्द्रीय सरकार की एक मंत्राणी ने भी बरेली कॉलेज में भाषण देते हुए कहा था कि अगर इस देश का भला हो सकता है और अनुशासन रह सकता है तो वह केवल धार्मिक शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है । कितने ही बड़े बड़े विद्वानों ने, डॉ० राधाकृष्णन् जैसे दार्शनिकों ने भी इसी बात पर जोर दिया है। यह विषय शिक्षा का कोई सेन्ट्रल विषय नहीं है, हम अपने यहां जो भी चाहे इस बारे में कर सकते हैं, हमारे पर कोई बन्धन नहीं था। जब हमारी सरकार विकेन्द्रीकरण के मामले में आगे हो सकती है तो कोई ऐसी बात नहीं कि शिक्षा के मामले में वह आगे न हो। केन्द्रीय सरकार कोई कमेटी नियुक्त करे, जिस वक्त सिफारिश आये उस वक्त अमल करें, देर आये दुरुस्त आये आज हमारी जितनी भी शिक्षण संस्थायें हैं उनमें धार्मिक और नैतिक शिक्षा का प्रावधान करें, तभी जाकर हमारे देश का भला हो सकता है।

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

(गणपूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

आज सब तरफ से यह अनुभव करते हैं, सब तरफ से आवाज उठायी जाती है, देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, आज सर्विस क्लास के लिये कहा जाता है, हमारी सेवाओं पर इस प्रकार के आक्षेप लगाये जाते हैं, हमारे व्यापारियों पर आक्षेप हैं, यहां तक कि हमारी पंचायत समितियों के बारे में भी नित्य प्रति अखबार पढ़ते हैं कि वहां पर भी भ्रष्टाचार है। तो इसका कारण यह है, जहां तक मैं समझता हूं कि हमारी शिक्षा के अन्दर वह दूषण है। हमारी शिक्षा प्राचीन परम्परा और प्रणाली के आधार पर नहीं है। जो कुछ भी लोग हमारे सामने आज इस रूप में आये हैं उनकी शिक्षा जिस प्रकार की पद्धति से हुई है उसमें नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं था, न है। उनको किसी भी प्रकार का आत्मा का भान नहीं होता उनको यह भान हो नहीं होता कि वह अपना नैतिक स्तर इस प्रकार का रक्खें कि जो जितना भ्रष्टाचार या इस तरह की जितनी चीजें होती हैं उनसे दूर रहा जाय।

इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारे भावी नागरिक जो आज ऐसी ही शिक्षा संस्थाओं से निकलने वाले हैं उनको हम पहले से ही जिस प्रकार प्राचीन काल में गुरुकुल पद्धति थी और जिस प्रकार नैतिक आचार-विचार की शिक्षा का प्राधान्य होता था, उसी तरह की शिक्षा दें। पहले माता-पिता और आचार्य होते थे इनके ऊपर एक विशेष दायित्व होता था, उस वक्त हमारे यहां इस प्रकार का एक आदर्श स्थापित किया हुआ था कि :

मातृवान्, पितृवान् आचार्यवान् पुरुषो वेद:

बच्चों के जीवन में शिक्षक के रूप में सबसे बड़ा स्थान माता का है। पर आज आप समझ लीजिये कि माता बेचारी कहां अपने बच्चों को बना सकती है और क्या बना सकती है जब कि वह स्वयं अशिक्षित है। तो उनके भी शिक्षित और चरित्रवान् होने की जरूरत है, उनकी भी उसी प्रकार की धार्मिक और नैतिक शिक्षा होनी चाहिये। उनको भी अपने प्राचीन धर्म पर और परम्पराओं पर प्रेम होना चाहिये। इसके बाद स्थान आता है पिता का। पर पिता भी जहां हमारे सत्तर फीसदी, साठ फी सदी अशिक्षित हों वहां वे क्या बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं और क्या असर उन पर डाल सकते हैं?

इसी तरह तीसरा स्थान आता है आचार्य का। पर यहां हमारे आचार्यों की भी यही अवस्था है। एक युग था जब हमारे आचार्य पक्के चरित्रवान् होते थे। वे हमारे देशवासियों को चरित्र-शिक्षा देते थे। उनका चरित्र इतना ऊंचा और आदर्श था कि यहां नहीं, सारे संसार भर में हमारे ज्ञान और चरित्र की धाक थी। अब रहा हमारा शिक्षा का स्तर इसके बारे में प्राचीन काल में मानव धर्म-शास्त्र के प्रणेता भगवान् मनु ने एक डिंडिम घोष किया था कि :

एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः

अर्थात् संसार के सारे लोगों इस देश में आओ, अगर तुम्हें चरित्र की शिक्षा लेनी है, अगर तुम्हें चरित्र का आदर्श देखना है तो यहां आओ, यहां आकर अपने अपने चरित्र की शिक्षा लो। हमारे देश में उस

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

समय सबसे अधिक चारित्रिक नैतिक शिक्षा पर, आध्यात्मिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था, चरित्र-निर्माण पर जोर दिया जाता था। इसी के बल पर हमारा देश उस समय जगत्-गुरू कहलाता था और इसका कारण यह था कि हमारे यहां के लोगों का चरित्र बहुत ऊंचा होता था। इस बात को मनु ने ही कहा हो ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है। जो बाहर से यात्री यहां आये समय समय पर डेढ़-दो हज़ार वर्ष पहले ह्वेनसांग और दूसरे दूसरे लोग, उन्होंने भी इसको सिद्ध किया है। उन्होंने अपने अनुभव अपनी पुस्तिकाओं में इस प्रकार से लिखा है कि यहां के लोग झूठ नहीं बोलते थे, मदिरा नहीं पीते थे, दुराचारी नहीं थे, चोरी नहीं होती थी, यहां मकानों में ताले नहीं लगाते थे लोग। इस प्रकार का हमारा देश का चरित्र था। जिसका गुणगान वे विदेशी यात्री भी करते थे। उस चरित्र के ऊंचा होने के कारण ही हम सारे संसार में बहुत आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। क्या तो हमारे धार्मिक विचार, क्या हमारे व्यवहार, व्यापारिक विचार, यों कि सांस्कृतिक विचार सारे संसार में फैले थे। क्यों हमें संसार याद करता था, क्यों हमारा प्राचीन आर्य धर्म प्रसिद्ध था और इतना विस्तृत फैल गया था; इसलिये कि इसके प्रणेता, इसके आचार्य, इस पर आचरण करने वाले हमारे आचार्य उन उन देशों में जाकर अपने चरित्र के द्वारा शिक्षा और ज्ञान का प्रसार करते थे। उनका आदर्श इतना ऊंचा था कि इतने ऊंचे दर्जे के चरित्रवान् आचार्य होते हुए भी अपने जो अध्येता शिष्य होते थे उनको चरित्र की उच्च शिक्षा अपने आचरण से देते हुए भी यह कहते थे:

"यान्यनवधानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इति शास्त्रे।"

वे यह कहते थे कि हमारा जो भी निष्पाप कर्म है, हमारा जो भी आचार है, तुम उसी को पूर्ण मानकर मत अनुगमन करना, तुम सावधान रहना, यदि हमारे अन्दर भी कोई त्रुटि हो; हमारे आचार में, हमारे चरित्र में कोई खामी तुम देखो तो हमारे प्रति कितनी ऊंची श्रद्धा होते हुए भी उस पर आचरण मत करना, हमारे जो अनावश्यक कर्म हैं उनका अनुकरण मत करना। यह हमारे आचार्यों का उस समय का आदर्श था जो कि हमारे यहां के उस समय के शिक्षित समाज के सामने रक्खा जाता था। लेकिन आज क्या है? वह, आचार्यों का वह युग था जब कि हमारे देश के बड़े बड़े राजा-महाराजा भी उनके सामने नतमस्तक होते थे उनके उच्च चरित्रिक बल के कारण।

पर जैसा आज मैंने बताया अंग्रेजी शासन के बाद में यह स्थिति नष्ट हो गई। अंग्रेजी शासन जब आया तो वे यह चाहते थे कि हमारा चारित्रिक पतन हो, हमारे देश का शारिरिक पतन हो, मानसिक पतन हो, ताकि हम अनन्त काल तक उनके दास बने रह सकें। इसलिये उन्होंने हमारी उस प्राचीन शिक्षा पद्धति को बलात् समाप्त किया और अपनी इस शिक्षा पद्धति को जारी किया जो आज भी चली आ रही है। यह स्थिति हमने अंग्रेजी शासन काल में मजबूरी से बर्दाश्त की। पर आज हमारे देश के स्वतन्त्र हो जाने के बाद हमारी ऐसी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

क्या मजबूरी है ? क्यों नहीं आज वह भावना हमारे में प्रज्वलित होती कि हम अपने देश को फिर उसी शिक्षा के द्वारा ऊंचा उठावें, उसका चरित्र निर्माण करें। हम आज चारों तरफ, भौतिक उन्नति की तरफ दौड़ लगा रहे हैं, बांध बना रहे हैं, नहरें निकाल रहे है, रेलों के इन्जन, मोटर-गाड़ियां, रेलें और हवाई जहाज के कारखाने खोल रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनरियों का निर्माण करने जा रहे हैं। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि चरित्र का निर्माण भी हमने साथ ही साथ नहीं किया तो आज जिस प्रकार की बातें सुनी जाती हैं कि फलां जगह फलां काम में फलां बांध बनाने में, फलां नहर के निकालने में, फलां कारखाने के बनाने में घोटाला हो गया, गबन हो गया, और जिस प्रकार के भ्रष्टाचार की बातों से आज हम परेशान हैं और जितना सरकार इनके द्वारा जनता को लाभ पहुंचाना चाह रही है आज इन भ्रष्टाचारों के कारण उतना नहीं पहुंच रहा है। तो इन सब कामों में जितनी हम भौतिक उन्नति कर रहे हैं और उसी अनुपात से हमने चारित्रिक उन्नति की ओर ध्यान नहीं दिया और समय रहते नहीं दिया तो हमारी यह सारी भौतिक उन्नति निरर्थक हो जावेगी। मुझे डर है कि कहीं इस भौतिक उन्नति का हमारे देश में भी परिणाम वही न हो जो रूस अमेरिका और पश्चिमी दुनियां ने दो महायुद्धों के रूप में देखा है। रूस ने बहुत उन्नति की, अमेरिका ने, जर्मनी ने, इंगलैंड ने बहुत उन्नति की, पर उसमें नैतिक चारित्रिक उन्नति की कमी थी, आध्यात्मिक उन्नति की कमी थी। वह केवल भौतिक उन्नति थी। उनकी उन्नति का उद्देश्य यह था कि एक दूसरे देश को, जाति को, मनुष्य को अपने शासन में लाया जाय, अपने सामाजिक रीति रिवाजों का विस्तार करें और अपने ढंग और सिस्टम पर उनका शोषण करें। यह उनका विशेष उद्देश्य रहा था, इस भौतिक उन्नति में। पर हमारे देश में प्राचीन युगों से लेकर आखिर तक भी यह उद्देश्य कभी नहीं रहा। हमारे देश की यह विशेषता रही। कभी हमने एक दूसरे मुल्क पर आक्रमण नहीं किया, इस दृष्टि से कभी किसी का शोषण नहीं किया, हमारे लोग जब भी वहां गये तो केवल धर्म का प्रचार करने, अपनी सभ्यता संस्कृति और ज्ञान का प्रकाश सबको बांटने के उद्देश्य से गये।

तो मैं कहता हूं कि यदि आज हमें अपनी पुरानी चारित्रिक स्थिति फिर से लानी है, यदि हमें आज महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था उसको साकार करना चाहते हैं और यदि हम पंडित जवाहरलाल-नेहरू अपने देश को बनाने की जिस प्रकार की भावना रखते हुये हैं, उस तरह से अपने इस देश को बनाना चाहते हैं, आज इस भौतिक प्रगति का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जो इसके लिये आवश्यक कदम है वे उठाने होंगे। वह आवश्यक कदम यह है कि हम अपने देश की शिक्षा प्रणाली को ठीक करें। अगर शिक्षा प्रणाली को ठीक न किया, अपने नैतिक चरित्र को ठीक नहीं बनाया और दूसरी तरफ भौतिक उन्नति करते चले गये तो परिणाम देश के लिए अच्छा होगा, यह आशा नहीं की जा सकती। इसलिए सबसे पहली जरूरत जिसकी बतलाई कि हम अपने देश में पुराने आचार्यों के बरा-

(जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

बर आज भले ही हम उनको आचार्य न कहें, प्रिन्सिपल कहते हों, मास्टर कहते हों, लेक्चरार करते हों, अध्यापक कहते हों, पर यह मैं समझता हूं कि इनका भी दरजा और हैसियत वही होनी चाहिये जो हमारे पुराने आचार्यों की थी। उनकी आज की स्थिति को देख कर हमें दुख होता है। हमें यह देखकर भी दुख होता है कि आज हम ।रे अध्यापकों की उतनी कद्र नहीं जितनी कि एक पुलिस के कॉन्स्टेबिल की है। कहीं भी आप जाकर देखेंगे कि एक पुलिस का कॉन्स्टेबिल समाज में चाहे भय से ही हो, चाहे अपने आचार से हो, अपना एक स्थान रखता है लोगों की उनके प्रति कुछ श्रद्धा सी भी होती है, उतनी श्रद्धा भी हमारे अध्यापकों के प्रति लोगों की नहीं होती। यहां आज वैसा भी देखते है कि हमारी सरकार ने जो उनका वेतन स्तर रक्खा है, उससे भी यह भान होता है कि मुझे ठीक किया जावे यदि मैं गलत कहता होऊं तो, कि आज जिस योग्यता के अध्यापक को जो वेतन मिलता है उस योग्यता के एक लोअर डिविजन क्लर्क को कहीं अधिक वेतन मिलता है। यह एक आकर्षण है। यह एक स्थिति है हमा ं अध्यापकों की।

हमारे अध्यापक क्या हैं ? वे प्राथमिक शालाएं हैं। जहां से कि हमारे बच्चे, जहां से कि हमारे भावी नागरिक पढ़ना आरम्भ करते हैं। उन प्राथमिक शालाओं में ये अध्यापक रक्खे जाते हैं और भी ये कैसे हैं ? प्राथमिक शालाओं में वे ही अध्यापक रक्खे जाते हैं उनको कहीं कोई स्थान नहीं मिलता। वे तृतीय श्रेणी के अभागे होते हैं, जिनको न किसी कॉलेज में आगे की शिक्षा के लिये न भरती किया जाता है, न जिनको किसी टेक्निकल और विशेष वैज्ञानिक लाइन में लिया जाता है। उनको केवल बेकारी दूर करने के नाम पर इन स्कूलों में अध्यापक लगाया जाता है। उनकी अध्यापन में रुचि है या नहीं, वे अध्यापन में कोई रुचि लेते हैं या नहीं, इसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। जिनके लिये कहीं और जगह नहीं है उनको अध्यापक बना दिया जाता है। होता क्या है ? वह अध्यापक भी देखते यह हैं कि मुझसे एक क्लर्क अच्छा है, मुझसे एक पुलिस में गया हुआ मैट्रिक पास आदमी जो है वह अच्छा है और उसका हमेशा प्रयत्न रहेगा कि कोई भी मौका मिले और उसे वह छोड़कर दूसरी नौकरी में चला जाये। तो यह एक दृष्टिकोण है। जब हम यह चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को ठीक प्रकार से शिक्षा दें तो सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि उन अध्यापकों को जिनके सुपुर्द हम अपने बच्चों को करते हैं उनके प्रति न्याय हो। जहां दूसरे दूसरे काम करने वाले लोग हैं उनको हम देखते हैं कि एक सुनार जो सोने को बनाता है, एक बढ़ई लकड़ी को बनाता है और एक लुहार लोहे को बनाता है वह बहुत कुशल होना चाहिए, जब कि इस मनुष्य को, इस ईश्वर के पुतले को बनाने वाला अध्यापक है उसकी योग्यता की कोई मियाद नहीं है, वह उस कार्य को तो कर सकता है, यह हमारी आज की मनोवृत्ति है जिसको हम शिक्षा में चला रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे देश की जो राष्ट्रीय आवश्यकता है वह यह है कि देश में शिक्षा को राष्ट्रीय रूप दें

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

और उसमें सबसे पहली चीज़ यह हो कि वह अध्यापक जो कि हमारी प्राथमिक शालाओं में जाते हैं हमारे यहां कोशिश यह होती है कि कॉलेजों की बड़ी बड़ी क्लासेज़ हैं उनमें हम चाहते हैं कि फर्स्ट डिविज़न ही होना चाहिए, अच्छी योग्यता होनी चाहिए लेकिन आज हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी योग्यता की हम आवश्यकता ही नहीं समझते। हम किसी के भी सुपुर्द उनको कर सकते हैं, यह मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे एक शिक्षक रहने की हैसियत से भी अनुभव है और जो मेरे भी शिक्षक थे, वह भी कहा करते थे कि जो अच्छे से अच्छे ट्रेन्ड अध्यापक हों उनको छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम देना चाहिए जो कि उसके मनोविज्ञान को भी समझते हों। आज हम बुनियादी शिक्षा, महात्मा गांधी ने जिसको हमारे देश के लिए रखा था, उसका भी हम प्रचार करते हैं, उसको भी हम आगे बढ़ाने को कहते है और कहते हैं कि उसको हम काफी बढ़ा रहे हैं लेकिन मैं देखता हूँ कि उस बुनियादी शिक्षा का केवल प्रचार ही प्रचार है। उससे भी हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती जो कि हमारे देश के लिए महात्मा गांधी ने रखी थी। महात्मा गांधी चाहते थे कि हम अपने दिमाग और हाथ-पैर का एक समन्वयात्मक उपयोग करें और उसके द्वारा हमारी जो शिक्षा की आवश्यकता है उसका विकास हो लेकिन हम आज क्या देखते हैं कि जो अध्यापक होते हैं उनका प्रशिक्षण भी पूरी तरह से होता है पर वहां भी उसका समावेश पूरा नहीं होता जो कि होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर वहां पर कई तरह की क्राफ्ट्स की शिक्षा दिलाने की व्यवस्था आप करते है, लेकिन मुझे पता है कि जो बेसिक ट्रेनिंग स्कूल्स हैं वहां या तो कारपेन्टरी या कताई बुनाई को सिखाने की व्यवस्था है और वहां पर कहा यह जाता है कि कई शिक्षण है। इसके अलावा जो बुनियादी शिक्षा जहां तक दी जाती है वहीं तक ही सीमित रहती है और उसके आगे कोई संबंध उसका नहीं रखा जाता है। जब हाई स्कूल या हायर सेकेन्डरी में आना पड़ता है तो बेसिक ट्रेन्ड के लिए वहां कोई गुंजाइश नहीं है और वहां पर वह दूसरा ही वातावरण पाते हैं। मुझे ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता कि जिसके द्वारा हम चाहते थे कि हमारे बच्चे स्वावलम्बी बनें, उससे आज कोई भी अर्थ पूरा नहीं होता है। यहां तक कि जो हमारी टेक्निकल संस्थाओं से लोग निकलते हैं, आज एग्रीकल्चर पास करके स्नातक निकलते हैं, बहुत कम हम अपने देश में पायेंगे कि वे स्वयं अपनी कृषि करते हों। उनको भी नौकरी की तरफ भागने की पड़ती है। टेलरिंग सीखे हुए लोग भी टेलरिंग का काम नहीं करेंगे और वह भी नौकरी की तरफ जायेंगे। इसका कारण यह है कि हमारी सरकार बुनियादी शिक्षा में जहां ऐसी व्यवस्था करती है तो उनको किसी न किसी प्रकार का कोई हुनर सीखे लोग जब वह स्कूल या कॉलेजों से निकलते हैं तो उनके पास सारी चीजें मुहैया नहीं होती। उदाहरण के तौर पर कोई टेलरिंग सीखकर निकला, वह सीख तो गया लेकिन सीखने के बाद जिन जिन चीजों की उसे जरूरत है वह उसको नहीं मिलती तो आखिर वह क्या करेगा ? वह अन्ततः नौकरी की तरफ ही भागेगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जहां इस प्रकार की

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

दस्तकारी सिखायें तो दस्तकारी के सीखने के बाद जिन जिन लोगों ने जो काम सीखे है वे यह भी देखें कि उनके लिए उसी प्रकार के साधन जुटायें। मान लीजिए कि किसी ने चमड़े का काम सीखा है तो सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि उसी प्रकार के साधन उसके लिए जुटायें। अगर किसी ने छपाई का काम सीखा है तो उसके लिए उसी तरह के साधन जुटाये। तो जो सबसे बड़ा उद्देश्य हमारी शिक्षा का है वह तो यही है कि लोग स्वावलम्बी बनें और स्वाभिमानी बनें। आज की शिक्षा पाये हुए युवक न तो स्वावलम्बी ही हैं और न स्वाभिमानी ही। मेरे पड़ोस में एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज है, मैं वहां से निकलता हूं तो मेरे दिल में बड़ी पीड़ा रहती है जब कि मैं सैकड़ों शिक्षित नवयुवकों को वहां लाइन में खड़े देखता हूं। जिस किसी भी ऑफिस में वह जाते हैं तो कह दिया जाता है, कोई वेकेन्सी नहीं है। एक गांव का किसान है वह अपनी सारी पूंजी लगाकर अपने बच्चे को पढ़ा देता है लेकिन जब उसको दो-दो और तीन-तीन साल तक काम नहीं मिलता है तो वह समझता है कि मैंने पढ़ा कर गलती की। शिक्षा के प्रति जो प्रेम होना चाहिए उन लोगों को वह नहीं होता है। बल्कि उसकी तरफ से एक घृणा की भावना होती है और कहता है कि इससे तो बगैर पढ़ा-लिखा ही अच्छा था। आज जरूरत इस बात की है कि जो बच्चे पढ़ें वे स्वावलम्बी बनें और स्वाभिमानी बनें और सबसे पहले चीज यह है कि वह जिस लाइन को भी पकड़ते हैं उसको पूरी तरह से नहीं करते हैं। आज हमारे सामने जापान और दूसरे देशों के उदाहरण मौजूद हैं। बेकारी का वहां इस प्रकार विस्तार नहीं है जितना हमारे देश में है। क्या राज्यपाल महोदय का भाषण होता है, क्या बजट के ऊपर वादविवाद होता है हमारे मंत्रीगण बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि अब की से इतने प्राइमरी स्कूल बढ़ा दिये, इतने मिडिल स्कूल बढ़ा दिये और इतने हाई स्कूल बढ़ा दिये, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि बढ़ाने के साथ उन्होंने हो सकता है कुछ साक्षरता का प्रचार किया हो। पर न तो वास्तविक शिक्षा ही उस शिक्षा के द्वारा होती है और न हमारा उद्देश्य ही पूरा होता है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जितना शिक्षा का प्रचार होता है उतनी ही बेकारी का प्रसार होता है। हमारे यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने जो रिपोर्ट निकाली है उन्होंने बताया है कि ५०,००० ग्रेजुएट सालाना यूनीवर्सिटी में बढ़ते चले जायेंगे और बहुत जल्दी ही १० लाख के करीब होने वाले हैं। यह तो हायर एज्यूकेशन की बात है, मैट्रिक और दूसरे दूसरों को देखेंगे तो लाखों की तादाद में जाती हैं। तो जिस रफ्तार से हमारी शिक्षा बढ़ रही है उस रफ्तार से हमारे बच्चों को काम नहीं मिलता है। होगा क्या? मैं समझता हूं कि देश में मुझे भय है कि कहीं किसी प्रकार का उपद्रव न हो। इतनी बेकारी बढ़ती चली जायेगी तो उससे क्रांति उत्पन्न हो सकती है। मैं समझता हूं कि सरकार का सबसे पहला कर्त्तव्य यह है कि वह अपनी शिक्षा को इस प्रकार से करे कि जिस प्रकार की सिफारिश हमारे यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने की है। उन्होंने निश्चय कर लिया है कि आगे से जो उच्च शिक्षा है वह बहुत कम लोगों को मिलेगी, सीमित लोगों को मिल पायेगी और वह

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

केवल हायर सेकन्डरी तक ही रह जायेगी। उसने बताया है, यूनिवर्सिटी वेटिंग रूम है, प्रतीक्षालय है और वह सोचें कि कहीं हमें जगह मिल जाये। हाई स्कूल के बाद लोग इसलिए इन्टर जोइन कर लेते हैं कि उनको नौकरी नहीं मिलती और इन्टर करने के बाद वे बी० ए० पढ़ते हैं और वे इसलिए पढ़ते हैं कि उनको जगह नहीं मिलती, इसलिए वे बी० ए० कर लेते हैं....

(समयसुसमाप्ति–सूचक घंटी)

अभी तो समय है....

श्री उपाध्यक्ष : तीस–पैंतीस मिनट हो गये हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मेरे ख्याल से यह मेरा ही रिज़ोल्यूशन है।

श्री उपाध्यक्ष : समय १५ मिनट का है, पर आपको २० मिनट दिये हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : तो जैसा मैंने बताया कि हमारे देश में जो भी शिक्षा का प्रचार है वह अर्थकुछ विद्या होनी चाहिए। उस शिक्षा से वह अपना अर्थोपार्जन कर सकें, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। यदि आज हमारे शिक्षित युवक बेकारी में फिरते हैं और यही हमारी व्यवस्था रही तो इसका परिणाम भयंकर होगा। जैसा मैंने बताया कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वह कभी भी उपयुक्त नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हमारी जो प्राचीन गुरुकुल प्रणाली थी, जिस प्रकार से हमारे बच्चे पुराने समय में गुरु और आचार्यों के पास रहे और वे गन्दे वातावरण से दूर रहे, सिनेमा और इस प्रकार का कोलाहलपूर्ण वातावरण है उससे दूर जाकर पढ़ते थे, उनकी एक कोड, उनकी एक आचार संहिता होती थी।

श्री पी० के० चौधरी : No Quorum.

(गण पूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री उपाध्यक्ष : आरम्भ रखेंगे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : तो वह सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उसके अन्दर अपनी प्राचीन शिक्षा प्रणाली प्रचलित हो।

एक बड़ा सवाल हमारे देश के सामने जो इस वक्त है वह है लड़कों में अनुशासनहीनता। इस वर्ष जो कन्वोकेशन एड्रेस यहां पढ़ा गया था, उसके पढ़ने वाले ने इस बात पर सबसे ज्यादा ही जोर नहीं दिया बल्कि सारा भाषण ही इसी बात पर था कि यदि हमारी इन यूनिवर्सिटीज़ के अन्दर, इन शिक्षण संस्थाओं के अन्दर इसी प्रकार की अनुशासनहीनता रही तो हमारी इस शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता और अनुशासनहीनता का सबसे बड़ा कारण, जैसा कि मैंने बतलाया, एक तो बच्चों के अन्दर धार्मिक और नैतिक शिक्षा का नहीं देना है उसके साथ साथ हम उनके अन्दर राजनीति ज्यादा घुसाये हुए हैं। जो राजनीति शिक्षित बनाने के लिए होनी चाहिए जैसा कि किसी अंग्रेजी लेखक ने लिखा है कि हमें स्कूलों में "we should teach politics but should not preach politics." उसकी शिक्षा दे सकते हैं पोलिटिक्स की, लेकिन प्रीच नहीं कर

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

सकते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि राजनैतिक दलों के अन्दर जिस तरह के चुनाव होते हैं उस तरह के वहां होते हैं। जो स्टूडेन्ट्स यूनियन हैं वे ट्रेड यूनियन्स बन गये हैं। उनके चुनाव भी इस प्रकार के होते हैं जैसे कि असेम्बली और पार्लियामेंट के होते हैं। वहां पर कांग्रेस के केन्डीडेट्स होते हैं, वहां कम्युनिस्टों के केन्डीडेट्स होते हैं, वहां जनसंघ के केन्डीडेट्स होते हैं। बाहर से लोग जा जाकर उनको उभारते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अनुशासनहीनता का सबसे बड़ा कारण यह है जिसको मिटाना चाहिए। उनके अन्दर जो इतने राजनैतिक भाव भरते हैं उसको नहीं भरें।

इसी तरह से यहां आज राजस्थान के सम्बन्ध में कुछ बात कहनी है...

श्री उपाध्यक्ष : मैं विवश हूं। आपका समय हो चुका है। मैं अधिक समय नहीं दे सकूंगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं ५ मिनट में पूरा करूंगा।

राजस्थान में एक सौभाग्य रहा है कि हमारे शिक्षा मन्त्री लगभग ६ साल से एक ही आ रहे हैं। एक नीति जो बनती है उसी तरह की वह चलती चली आ रही है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या शिक्षा सचिव, क्या शिक्षा उपसचिव और खास तौर से शिक्षा संचालक कितने बदल गये हैं। ऐसा मान लिया गया है कि शिक्षा संचालक, डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन किसी को भी बना सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि शिक्षण सम्बन्धी अनुभव हो, शिक्षण सम्बन्धी कोई विशेषता हो। कोई आई. ए. एस. है, कोई सेक्रेटरी की या कलेक्टर की केडर का है, कोई भी हो, किसी को भी शिक्षा संचालक बना सकते हैं। सौभाग्य से इस समय जो शिक्षा संचालक हैं वे एक शिक्षण संस्थान से आये हुए हैं, लेकिन अभी तक का हमारा इतिहास यही रहा है और उसमें यह चीज़ भी है कि अध्यापकों का जैसा कि मैंने बतलाया जितना मान और सम्मान होना चाहिए वह नहीं होता है। शिकायतें होती हैं सेक्रेटेरियेट में जाते हैं, किसी भी महकमे में जाते हैं वहां अध्यापकों का उतना मान नहीं होता है। उनको एक तरह से वहां पर अपमानित होना पड़ता है। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि उनका मान हो।

अनुशासनहीनता का एक बड़ा कारण यह है कि क्लासेज़ के विद्यार्थियों की कोई सीमा नहीं रही। एक कक्षा में कितने बच्चे होने चाहिए, उसकी कोई सीमा नहीं है। मुझे पता है कि जिस वक्त हम पढ़ते थे वहां ज्यादा से ज्यादा ३५ छात्रों की कक्षा होती थी। आज तो यह स्थिति है कि क्लॉस में पूरा फर्नीचर नहीं होता है तो खड़े हुए हैं, ६०, ७० लड़के होते हैं एक एक क्लॉस में। प्राइमरी स्कूलों में १००, १२५ लड़कों को एक टीचर पढ़ा रहा है। कॉलेजों ५,००० या ७,००० छात्र पढ़ते हैं। वहां का प्रिन्सिपल क्या व्यक्तिगत सम्बन्ध रख सकता है? वहां का प्राध्यापक और अध्यापक किस प्रकार से प्रभाव डाल सकता है? जिस प्रकार से पुराने समय में छोटी छोटी कक्षाएं हुआ करती थीं तो अध्यापक उनसे सन्निकट सम्बन्ध रखते थे उस चीज़ की आज भी आवश्यकता है। उन चीजों को आज हम इस प्रकार से रखते नहीं हैं।

Page No.87

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

और जो बड़ी चीज़ है कि, देश का दुर्भाग्य है कि, शिक्षा का जो पुराना तरीका था उसमें कम से कम पाठ्य पुस्तकों का बोझ बच्चों पर कम डाला जाता। आज क्या होता है कि छोटे छोटे प्राइमरी स्कूलों के बच्चे पढ़ने जाते हैं तो जितना बच्चा नहीं होता है उससे ज्यादा लम्बा चौड़ा बस्ता लटका रहता है। इतनी किताबें, कॉपियां नहीं होती थीं। एक-दो किताबें होती थीं उनको पढ़ लेते थे और विद्वान् और पंडित बनते थे लेकिन आज इतनी किताबें लाद दी जाती हैं। मैं समझता हूं कि किताबों का बोझ कम होना चाहिए।

दूसरी समस्या यह है कि हमारी किताबें हर दूसरे-तीसरे साल बदल दी जाती हैं। २, ४, ५ रुपयों की एक किताब इस साल एक छात्र के माता पिता खरीदते हैं वह अगले साल फिर बदल दी जाती है और फिर अगले साल उसको नई किताब खरीदनी पड़ती है। मुझे याद है कि जो किताब मेरे बड़े भाई साहब ने ली थी उसको मैंने पढ़ा और मेरे छोटे भाई ने भी उसको पढ़ा। पुराने समय में किताबें दादा खरीदता था और पोता पढ़ता था। पुस्तकों में परिवर्तन नहीं होता था इतना अधिक। उस वक्त भी ज्ञान विज्ञान और तकनीकी, जिन बातों को आज कहते हैं उन चौदह विद्याओं के गुण सारे विद्यार्थी में मौजूद होते थे। पुस्तकों में इतना नहीं रहता था जितना गुरु मौखिक रूप से पढ़ाते थे और छात्र भी उसी प्रकार से ग्रहण करते थे। आज इस शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की ज्यादा आवश्यकता है। इस पद्धति को बदल देना चाहिए। उसको देश के वातावरण के उपयुक्त बनाना चाहिये। उसको सामयिक और उपयोगी बनाना है। तभी हम देश की कुछ आगे तरक्की कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला का संशोधन प्रस्ताव है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है उसका समर्थन करते हुए मैं अपने संशोधन प्रस्तुत करती हूं। [संशोधन (i) "के लिये" और "एक" के बीच में "विशेषज्ञों की" शब्द जोड़े जांय।

(ii) संकल्प के अन्त में "जो इसमें सुधार एवं परिवर्तन के लिये सुझाव दें" शब्द जोड़े जाय।] मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय संकल्प की इस भावना से सहमत होते हुए यह स्वयं महसूस करते होंगे कि आज की हमारी शिक्षा प्रणाली उपयोगी और सामयिक नहीं है और इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है।

बताया जा चुका है कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमारे विदेशी शासकों की देन है। उस समय की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने जिस तरह की आवश्यकता समझी वही शिक्षा दी और साक्षरता से अधिक शिक्षा का मतलब उनके लिए कोई नहीं था और उन्होंने उस शिक्षा को बहुत अधिक प्रसारित करने का प्रयत्न भी नहीं किया। इसलिए सीमित संख्या में प्राइमरी

(डॉ० चन्द्रकला)

स्कूल, उसी तरह से मिडिल स्कूल, उसी तरह से हाई स्कूल ये थे । यूनिवर्सिटी तो केवल गिनी-चुनी थी। उन्होंने संस्थाओं की भरमार नहीं की। वह तो केवल जितने बाबुओं की, जितने क्लर्कों की जरूरत थी उतने निकाल लिया करते थे और अपना काम चलाते थे। जब हमारे हाथ में सत्ता आई तब भी हमने उसी शिक्षा प्रणाली को ज्यों का त्यों ही स्वीकार किया । लेकिन इसमें यह नहीं देखा कि यह शिक्षा प्रणाली हमारे देश के लिए कितनी उपयोगी हो सकती है। हम उसी शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ाते जाने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार एक रोग का इलाज उसी के कीटाणुओं से करते हैं कि और रोग को बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे स्कूल दिन प्रति दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे कॉलेजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और आखिर में हमारे शिक्षित बेकारों की पलटन तैयार होती जा रही है और शिक्षित बेकारी का हल भी केवल यही निकालते हैं कि प्राइमरी स्कूल थोड़े और खोल दिये जायं और उसमें लोग लगा दिये जायं । शिक्षा का जो उद्देश्य है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा, उसका नैतिक, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होगा। उसके बदले में हम केवल उसको एक बन्धे हुए ढांचे के पाठ्यक्रम में शिक्षित करके बेकार बना कर निकालते हैं जह।........

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप मन्त्री, शिक्षा) : नौकरी के अलावा शिक्षा का महत्व नहीं है क्या ?

डॉ० चन्द्रकला : हम भूल जाते हैं कि हमारा देश बहुत पुरानी सभ्यता और संस्कृति वाला देश है और न केवल अपने देश का बल्कि दुनिया का गुरू रहा है और लोगों को उसने सिखाया है । तब भी लोग नागरिक होते थे । तब नौकरी का सवाल नहीं था। अपने निर्वाह के साधन के साथ साथ लोग शिक्षा पाते थे । यहां तक कहा है कि यूनान, मिश्र, रोम आदि दूसरी सभ्यता दुनियां के पर्दे से चली गई, मिट गई लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता अब भी रही है ; उसका कारण यह है कि प्राचीन शिक्षा सुशिक्षा रही है और हम उसे ग्रहण कर सकते हैं। भले ही जबाब देने के लिये उधर से जबाब मिल जाय लेकिन मन में हरेक भारतीय नागरिक महसूस करता है कि हमारी आज की शिक्षा उचित नहीं है। हम बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की बाते करते हैं लेकिन हम सब जानते हैं कि इनको सफल करनेवाला कौन है ? हमारा नागरिक है। लेकिन हमारा नागरिक इतना तैयार नहीं है। हम इस बात को महसूस करते हैं कि हमारी योजनाएं एक ओर हैं और नागरिक दूसरी ओर हैं। दोनों में तालमेल नहीं है, दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। जिस तरह से आजादी के बाद हमको सबसे पहले और निर्माण कार्यों को छोड़ कर नागरिक निर्माण की ओर ध्यान देना चाहिए था, शिक्षा में परिवर्तन करके उसे इस तरह बनाना चाहिये था कि हमारा नागरिक उसे ग्रहण करने वाला हो।

हम देखते हैं कि कितने छोटे से देश हैं इंग्लैंड और जापान ! हम यह कह सकते हैं कि वहां के नागरिक वहां की दृष्टि से सुशिक्षित होते है और देशभक्ति की

(डॉ० चन्द्रकला)

भावना से भरे हुए होते हैं, देश के लिये मर मिटने वाले होते हैं। यही कारण है कि उन्होंने न सिर्फ अपने देश को बनाया बल्कि देश को बहुत बड़ी शक्ति के रूप में प्रतिस्थापित किया। आज भी हम देखते हैं कि जापान के लोग शिक्षा और अन्य दृष्टि से न सिर्फ अपने देशको बनाये रखते हैं बल्कि वे बहुत बड़ी ताकत बनाये हुए हैं। इसका कारण यह है कि उनमें सुशिक्षा है। हम जो शिक्षा यहां पर दे रहे हैं वह निरर्थक है। नैतिक दृष्टि से और चरित्र की दृष्टि से भी यह शिक्षा निरर्थक है। आज कॉलेज से जो विद्यार्थी निकलते हैं उनमें नैतिक और आत्मबल और आत्म-विश्वास होना चाहिये। इनके बिना जो विद्यार्थी स्कूलों और कॉलेजों से निकलते हैं उनसे क्या हम आशा कर सकते हैं? हम इस बात को महसूस करते हैं। इसके साथ ही हम यह नहीं देखते हैं कि यह शिक्षा वास्तव में नौकरी दिलाने वाली होगी या नहीं और उसके लिये क्या जरूरी है। स्त्रियों, लड़कियों और दूसरों को सब को एक ही तरह की शिक्षा देते हैं। शिक्षा ही हमारे लिये एक सवाल बनने वाला है। हम क्या करेंगे इन शिक्षकों का? अभी तो ठीक है, जहां स्कूलें नहीं हैं वहां थोड़ी संख्या में स्कूलें खोलिये। लेकिन जब सब जगह स्कूलें खुल जायेंगी तब हम क्या करेंगे इन शिक्षित बेकारों का?

कहने को तो हमारे यहां टेक्निकल शिक्षा भी दी जाती है लेकिन वह लूली लंगड़ी होती है। उनसे निकलनेवाले विद्यार्थी भी विश्वास के साथ नहीं निकलते हैं। कृषि, विज्ञान, कताई, बुनाई और दूसरी तरह की शिक्षा लेकर निकलते हैं लेकिन वे इसलिये नहीं निकलते कि अपना स्वतन्त्र रूप से धंधा चला सकें। वे भी यह विश्वास नहीं कर सकते कि आगे चल-कर उनके लिये यह शिक्षा आर्थिक साधन होगी। टेक्निकल शिक्षा पाने वाले भी नौकरी के लिये सर्टिफिकेट लेकर निकलते हैं ताकि ऑफिसेज़ के फाटक पर जाकर नौकरी मांग सकें। इस तरह की शिक्षा हमारे यहां मिलती है। हम यह भी देखते हैं कि जिसको और कोई जगह नहीं मिलती है वह शिक्षा के क्षेत्र में आता है क्योंकि वहां पर डिविजन की जरूरत नहीं, योग्यता की जरूरत नहीं, पढ़ाने में विश्वास होने की जरूरत नहीं। किसी को कहीं पर जगह नहीं मिले, वह शिक्षा के क्षेत्र में आता है, उसमें रूचि और विद्वत्ता की जरूरत नहीं जो शिक्षा को अच्छा बनाना चाहते हों और विद्यार्थियों के निर्माण की बात करते हैं उसमें आपको और हमको निराश होना पड़े, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है।

हमारे राष्ट्र निर्माता गांधीजी ने रास्ता दिखाया था और उन्होंने बुनियादी शिक्षा या तालीम के नाम से परिवर्तन करने के लिये प्रेरित किया था। लेकिन हमने उसे सही रूप में न लेकर केवल नारा लिया, खाली बोर्ड ही लगाना चाहा, बाह्य रूप में ही उसे लेना चाहा। पाठ्यक्रम और दिन-चर्या के रूप में कोई परिवर्तन न हुआ लेकिन ऑफिस के कागज़ों में बेसिक हो गया। तो इस तरह से हमने उसे सही रूप में नहीं अपनाया और न उसके लिये कोई कोशिश की। हम वही ढांचा रखना चाहते थे जो निराशा और गुलामी की भावना

Page No.90

(डॉ० चन्द्रकला)

भरता है। यदि देश में सच्चे नागरिकों का निर्माण करना है तो हमें इस शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके लिये एक साथ ही हमें यदि बहुत सी संस्थाओं को बन्द करना पड़े तो भी नहीं हिचकना पड़ेगा और गांधीजी के बताये हुए मार्ग पर चल कर बुनियादी शिक्षा को अपनाना पड़ेगा; नहीं तो एक ओर शिक्षितों की बेकारी बढ़ेगी और दूसरी ओर योजनाओं को पूरा करने के लिये योग्य व्यक्तियों का अभाव रहेगा और योजनाएं धरी की धरी रह जायेंगी। इसलिये इस बात की जरूरत है कि नागरिकों को इस दिशा में तैयार करें। इस संकल्प की भावना को देखते हुए मैं आशा करती हूं कि शिक्षा मन्त्रीजी महसूस करेंगे कि इसकी सच्चे माने में आवश्यकता है। यदि वे इस बात को नहीं सोचेंगे तो मैं नहीं समझती किस तरह की मुसीबत का हमें सामना करना पड़ेगा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो यहां उपस्थित है कि हिन्दी के अन्दर और नई भावना और धारणा से शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करके आगे बढ़ना चाहिये, इसके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि भाषा का जो हिसाब है और मातृभाषा में जो चीज है वह बहुत ही उचित समझी जानी चाहिये। जैसे जापान और जर्मनी ने अपनी भाषा की वजह से काफी तरक्की की है और काफी अच्छा सवाल रहा है; आज के समय में जिस वक्त भारत हमारे हाथ में है और भाषा के वास्ते भी इसकी अत्यन्त आवश्यकता महसूस होती है लेकिन साथ ही इस बारे में थोड़ा सा यह जरूर निवेदन करूंगा कि इस सब ढांचे को एक साथ बदलना, मेरे ख्याल से नितान्त असम्भव नहीं तो कठिन तो अवश्य हो जावेगा। भारत के अन्दर करीब करीब दूसरे हिस्से के लोग हिन्दी को कठिन नहीं बना दें....

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन कर दूं कि संकल्प हिन्दी भाषा से सम्बन्धित नहीं है बल्कि शिक्षा प्रणाली को अधिक उपयोगी बनाने के बारे में सारी शिक्षा प्रणाली को लेकर है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : भाषा और शिक्षा प्रणाली का सवाल आया था, हिन्दी की भी बात आई थी। मैं निवेदन करूंगा कि यह जो शिक्षा प्रणाली है उसके लिये जो तरीका बदलना है, यह भी जो हिसाब है यह भी समय लेगा और समय के साथ दोनों को मिश्रित करके आगे चलना होगा। तो जैसे विद्यार्थियों के वास्ते कहा जाता है कि बहुत ज्यादा विद्यार्थियों की बाढ़ आ रही है और इसके अतिरिक्त कुछ ज्यादा कार्यकुशल और ठीक होने देने की आवश्यकता है और इनका लक्ष्य सेवा-भाव का ही हो तो भी यह निवेदन करने की आवश्यकता जरूर है कि राज्य के अन्दर यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रत्येक बालक, बालिका को शिक्षित...

श्री उपाध्यक्ष : मेरा ख्याल है, कोरम नहीं है ...

(गणपूरक घंटी)

ठहरिये। मैं संकेत देना उपयुक्त समझता हूं। यदि सदन की कार्यवाही को आरम्भ रखने की

(श्री उपाध्यक्ष)

इच्छा सदन की नहीं है तो उपयुक्त है कि एडजोर्न कर दें हाउस को। आज घंटी अधिक बजानी पड़ी है । इसका मतलब है कि सदस्यों को कार्य में दिलचस्पी नहीं है । मैं उम्मीद रखता हूं कि सदस्य सदन के कार्य में सहयोग देंगे व दिलचस्पी लेंगे। Yes, now ring the Bell please.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरा निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष : अभी कोरम का प्रयत्न कर रहे हैं हम, ठहरिये।

(गणपूरक घंटी के पश्चात पुनः)

श्री उपाध्यक्ष : This is the duty of the whips on both the sides. I expect co-operation from them.

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : Both are absent.

श्री उपाध्यक्ष : It is so sad. आरम्भ करिये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : इसके वास्ते सभी भाषाओं का समावेश कर और इसके साथ जो पद्धति है, इसको धीरे धीरे बदल सकते हैं। अगर इसमें ज्यादा शीघ्रता और तेजी की गई तो थोड़ी बहुत दिक्कत पैदा होने की सूरत हो सकती है। यह योजना चल सके, इसके वास्ते विचार बना कर आगे कदम बढ़ायें तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग-सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो एक संकल्प प्रस्तुत किया है उसकी भाषा को देखते हुए आपने इतना तो मान लिया है कि वर्तमान प्रणाली उपयोगी है और सामायिक है लेकिन उसको और अधिक उपयोगी और सामयिक बनाने के लिए आपने यह संकल्प रखा है और भाषण में वादविवाद करते समय जो युक्तियां दीं और इस शिक्षा को अधिक उपयोगी बनाने के लिये और सामयिक बनाने के लिए जो सुझाव दिये, मैं आपके उन विचारों से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा क्यों दी जानी चाहिये, पहले हमें यह समझ लेना चाहिए। शिक्षा से केवल हमारा अभिप्राय यह है कि बच्चों का विकास तथा जीवन इस प्रकार से घटित किया जाय कि वह भविष्य में सोसाइटी में एक साथ में रह कर अपना जीवन सुखमय व्यतीत करें। शिक्षा का मूल अभिप्राय यह है कि वर्तमान समय में जिस प्रकार की हमें सोसाइटी चाहिये उस सोसाइटी को ध्यान में रख कर यदि हम अब से हज़ार दो हज़ार वर्ष पूर्व की सोसाइटी को ध्यान में रख कर और वैसी सोसाइटी के अनुसार हम बच्चों का इस वक्त जीवन स्तर ढालने का अगर हम कोई प्रयत्न करें तो मेरी समझ से यह बात कोई उचित मालूम नहीं होगी। आपने अपने भाषण में इस बात के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया कि हमारी शिक्षा अधार्मिक और अनैतिकता की ओर जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चों का जीवन काल अधिकतर परिवार में गुजरता है अर्थात स्कूल में तो प्रति दिन बच्चा मुश्किल से पांच-छः घंटे व्यतीत करता है, बाकी

(श्री रामचन्द्र)

के १८–१९ घंटे तो उसे अपने परिवार में गुजारने पड़ते हैं। इसलिए शिक्षा की जिम्मेदारी जितनी परिवार के ऊपर है उससे ज्यादा हमारी पाठशालों के अध्यापकों के ऊपर नहीं पड़ सकती। यह देखता हूं कि आजकल पुस्तकों में कहीं भी यह पाठ नहीं पढ़ाया जाता है जो उनको अधार्मिकता और अनैतिकता की तरफ ले जा रहा हो। आज बच्चों की टेन्डेन्सी इस प्रकार की हो रही है जिसको अधार्मिक और अनैतिक कहते हैं, इसमें हमारे शिक्षकों का या हमारी शिक्षणशाला का मैं समझता हूं कोई दोष नहीं है। यदि दोष है, तो उन बच्चों के गार्जियन्स का है और इस जमाने के उन नेताओं का है। अलबत्ता उनकी शिक्षा जिस प्रकार की होनी चाहिए, शिक्षा के विचार से उसमें बहुत खामियां हैं और उसकी तरफ गवर्नमेंट को विशेष ध्यान देना चाहिए।

हम देखते हैं कि शिक्षा देने के जो भिन्न २ स्टेजेज़ रखे गये हैं अर्थात् प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और यूनिवर्सिटी शिक्षा और इससे आगे भी जो टेक्निकल शिक्षा है, ये सब अलग अलग भाग हैं। शिक्षा तो एक शरीर रूप है, उसके ये भिन्न २ अंग हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज कल जो शिक्षा प्रणाली सरकार ने निर्धारित की है उसमें ताल–मेल नहीं है। ये शरीर के अंग अलग अलग पड़े हुए हैं। प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध माध्यमिक शिक्षा से नहीं है और माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध यूनिवर्सिटी शिक्षा से नहीं है। मैं तो यह देखता हूँ कि स्टेजेज़ में जो प्रणाली के बीच में या दो स्टेजेज़ के बीच एक गेप रहता जा रहा है, उसकी वजह से हमारी शिक्षा का स्तर जितना ऊंचा बनना चाहिये उतना ऊंचा नहीं जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा के बाद जब बच्चा माध्यमिक शिक्षा में जाता है तो बच्चे के विकास में ऐसा गेप रह जाता है कि उसकी वजह से प्राथमिक शिक्षा द्वारा शिक्षित साधारण लड़का माध्यमिक शिक्षा की कक्षाओं में जाकर वहां का पाठ्यक्रम भली प्रकार नहीं चला सकता। मैं कहूँगा इस ढांचे में कुछ न कुछ ऐसी त्रुटि रह जाती है जिसकी वजह से एक सीढ़ी पर चढ़ा हुआ लड़का जब दूसरी सीढ़ी पर पहुंचता है, तो शिक्षा में सरलता अनुभव नहीं करता बल्कि उसे रुकावट मालूम होती है। इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करके जब बच्चा यूनिवर्सिटी स्टेज पर जाता है तो वहां पर भी उसे गेप नजर आता है और हाई स्कूल में पढ़ा हुआ लड़का इन्टर और प्री–यूनिवर्सिटी कक्षा में जाता है तो ज्यादातर वह अयोग्य साबित होता है। नतीजा यह होता है कि बच्चे का जीवन नष्ट होता है, वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, वह असफल हो जाता है। यदि सफल भी हो जाता है तो तीसरी श्रेणी में। जब वह तीसरी श्रेणी में सफल होता है तो उसके लिये गोया पास होना या न होना बराबर हो जाता है। क्योंकि सरकार ने यह नियम बना दिया है कि तीसरी श्रेणी में जो बालक सफल हो उसको आगे भर्ती नहीं मिल सकेगी। यह दोष बालक का या बालक के माता–पिता का नहीं है बल्कि सरकार ने स्टेज बाई स्टेज शिक्षण प्रणाली में जो गेप छोड़ दिया है उसका दोष है। इसलिए मैं कहूंगा कि सरकार पढ़ाने की जो पद्धति है अर्थात् शिक्षा की पद्धति निर्धारित की है इसकी एक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा अच्छी तरह जांच कराये, फिर देखे कि भिन्न भिन्न स्टेजेज़ में ताल-मेल है या नहीं। अगर नहीं है तो ताल मेल

(श्री रामचन्द्र)

लाने के लिए जरूर प्रयत्न करना चाहिए। आज हमारी शिक्षा के स्तर गिरने का यही मूल कारण है कि शिक्षा के भिन्न भिन्न स्टेजेज़ में ताल-मेल नहीं है। एक कक्षा का बालक मान लीजिये कि जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर पहुंचता है तो ताल-मेल न मिलने के कारण वह नहीं चल सकता। नतीजा यह होता है कि उसको बीच में ही अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ती है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को इस पर पूरी सतर्कता के साथ ध्यान देना चाहिए क्योंकि आज-कल के समाज का जो गठन है, वह बच्चों की शिक्षा के ऊपर ही निर्भर है। हर एक माता-पिता चाहता है कि उसका बच्चा योग्य से योग्य शिक्षा प्राप्त कर, सरकार के ऊंचे से ऊंचे विभाग में या अच्छे से अच्छे उद्योग धन्धों में या व्यापार में सफलता प्राप्त करे और यदि शिक्षा की यही दशा रही तो मुझे डर है कि हमारी माध्यमिक श्रेणी का जो समाज है, उनके बच्चे इसी तरह अयोग्य रहते जा रहे हैं। तो भविष्य में बहुत से परिवार जो इस समय ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं उनके बच्चों की शिक्षा भली प्रकार न होने से उनका जीवन-स्तर नीचे गिरता जावेगा और इस दोष के भयंकर परिणाम भविष्य में निकलने वाले हैं। जो उनके जीवन को और खास कर के उनके पारिवारिक जीवन को नष्ट करने का कारण बन जावेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारी शिक्षा का जो तरीका चल रहा है, वास्तव में उस प्रकार का नहीं है जैसा कि हमारी सोसाइटी के गठन के लिये चाहिये, वह इसको उस लक्ष्य की ओर तो जरूर ले जा रहा है पर बीच बीच में कुछ दोष रहते हैं, उनको दूर करना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

४. १. म. प.

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष, यह प्रस्ताव डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसका मैं तीव्र विरोध करता हूं, उनकी जो सही मंशा इस प्रस्ताव की मार्फत है, एक समिति बनाना उसका भी विरोध करता हूं ....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : वह भी कर लीजिये।

श्री मोतीलाल : साथ ही साथ हमारी शिक्षा प्रणाली उपयोगी और अधिक लाभप्रद बने, इसके लिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना जरूर चाहूंगा। आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि इन पांच छः सालों में सरकार ने जो समय समय पर शिक्षा के सम्बन्ध में प्रगतिशील कदम उठाये हैं उनको देखते हुए और इस प्रस्ताव में जो भावना है उसको देखते हुए शिक्षा के सम्बन्ध में कदम उठावें।

समितियों का विरोध इसलिये करता हूं कि शिक्षा के सम्बन्ध में कई समितियां हैं; सबसे बड़ी समिति यूनिवर्सिटी है जो शिक्षा के सम्बन्ध में सबसे ऊंची बोडी है, वह भी एक समिति ही है। दूसरी समिति है गवर्नमेंट, मैं तो गवर्नमेंट को भी एक समिति ही मानता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट खुद पीपल्स इलेक्टेड है, इसके बाद गवर्नमेंट का एज्यूकेशन एडवाइजरी बोर्ड है, फिर सेकन्डरी एज्यूकेशन बोर्ड

(श्री मोतीलाल)

है। शिक्षा के कन्ट्रोल के लिए सम्पूर्ण देश का ढांचा देखते हुए, देश की प्रगति देखते हुए,सरकार की खुद की गति विधि और प्लान को देखते हुए, अलग अलग जो कमीशन और समितियां बनी हुई हैं, बोर्ड्स बने हुए हैं उनको देखते हुए और एक नई समिति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि समितियां आगे ही बहुत बनी हुई हैं। यूनिवर्सिटी, बहुत से बोर्ड बने हुए हैं और फिर सरकार स्वयं भी तो समिति है, एज्यूकेशन मिनिस्टर इलेक्टेड है, डिप्टी मिनिस्टर इलेक्टेड है।

हां, मैं सरकार का ध्यान शिक्षा प्रणाली की तरफ दिलाना चाहता हूँ। हम देश में समाजवाद लाना चाहते हैं और वह नॉन वायोलेंट तरीकों से डेमोक्रेटिक स्तर पर। डेमोक्रेटिक स्तर में शिक्षा का स्थान बहुत ऊंचा है, इसको देखते हुए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में जरूर परिवर्तन होना चाहिये। आज बी. ए. पास लड़के को पता नहीं है कि सहकारी मूवमेंट क्या चीज़ है, कोऑपरेटिव कॉमन वेल्थ जिस पर हम समाजवाद लाना चाहते हैं वह क्या चीज़ है, इसका पता बी. ए. पास को नहीं है। आज डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाईजेशन को इम्प्लीमेंट किया गया है, विकेन्द्रीकरण का मूवमेंट लिया है, एक मेट्रिक पास या बी. ए. पास लड़का है उसे विकेन्द्रीकरण का सही रूप मालूम नहीं है, जिसकी ओर हम जाना चाहते हैं, जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसका क्लीयर पिक्चर एक बी. ए. पास के सामने नहीं आता, इसलिये वह नौकरी की तरफ दौड़ता है। मैं कोई नौकरी के खिलाफ नहीं, दूसरे देशों में भी अलग अलग स्तर जरूर हैं, पर सिलेबस जो है उनके देश का सब मिलावटी है।

एग्रीकल्चर सम्बन्धी प्रगति करने के लिए हम बहुत से प्लान्स बनाते हैं पर एक मेट्रिक पास लड़के को यह तक पता नहीं कि गेहूं किस मौसम में बोये जाते हैं, कब बोये जाते हैं। बी. ए. पास लड़के इन्टरव्यू में आये, १०१ लड़के इन्टरव्यू के लिए आये थे उनको पूछा कि राजस्थान के जिले कितने हैं तो उसमें से जवाब नहीं दे पाये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप मंत्री शिक्षा) : आप तो जानते हैं।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को तो आपने नहीं पूछा ?

श्री मोतीलाल : तो इस सम्बन्ध में ध्यान देना चाहिये कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली है उसकी तरफ सरकार ध्यान दे। आज बी. ए. पास लड़के को पूछा जाय कि सहकारी आन्दोलन क्या है तो वह नहीं बता सकता।

मुझे विश्वास है कि डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाईजेशन के बाद जो पंचायतें, पंचायत समितियां, जिला परिषदें बनाई हैं और उनको जो अधिकार दिये हैं उनसे तरह तरह के विकास कार्य होंगे, कई प्लान्स और कई स्कीम्स उनके द्वारा इम्प्लीमेंट की जावेंगी, वैसी दशा में हर एक को नौकरी की ही तरफ आने की जरूरत नहीं। तो आज शिक्षा देते समय इस प्रकार की भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिये; जैसे पशु पालन की ट्रेनिंग मिलनी चाहिये। वेटरनरी कॉलेज है वहां ट्रेन्ड हो-

Page No.95

(श्री मोतीलाल)

कर निकलते हैं जरूर, पर वह इतने ही निकलते हैं जितनों की कि गवर्नमेंट को जरूरत है, प्राइवेट में कोई चाहे कि मैं एग्रीकल्चर पढ़ा कर घर के काम में लगाऊं तो इसके लिये स्कूल नहीं है। कोआॅपरेटिव फॉर्मिंग बनाना चाहे, जैसे सूरतगढ़ का फार्म है, वैसा कोई बनाना चाहे तो उसके लिए एज्यूकेशन का प्रबन्ध नहीं, ट्रेनिंग का प्रबन्ध नहीं। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार सरकार ने इन पांच छः वर्षों में, इन्जीनीयरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, वेटरनरी कॉलेज खोलकर शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की की है तो इस ओर शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में भी सरकार ध्यान दे।

मैं चाहता हूं कि शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार का सुधार किया जाय, परिवर्तन किया जाय कि एग्रीकल्चर ट्रेनिंग भी मिल जाय, पशु पालन की ट्रेनिंग मिल जाय, तो अच्छी तरह खेती कर सकता है, उसको नौकरी की ही तरफ भागने की जरूरत नहीं। कोआॅपरेटिव की ट्रेनिंग दी जाय तो वह कोआॅपरेटिव चला सकता है। आज सर्विस कोआॅपरेटिव फेल इसलिए होती है कि इसके आॅफिस बीयरर्स अनपढ़ होते हैं, वे नहीं जानते कि किस तरह रेकॉर्ड रखना चाहिए, किस तरह आॅडिट करवाना चाहिए। हर सर्विस कोआॅपरेटिव के लिए काम करने वाले चाहिए, पर इतने मैट्रिक पास हर साल निकलते हैं फिर भी सर्विस कोआॅपरेटिव का काम करने वाले नहीं मिलते हैं क्योंकि मैट्रिक वालों को इस दिशा में ट्रेनिंग नहीं मिलती। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो जो प्लान के काम हैं, उनकी ट्रेनिंग दी जाय, शिक्षा प्रणाली इस तरह की रखी जाय। आज सर्विस कोआॅपरेटिव में काम करने के लिए, पंचायतों में सेक्रेटरी का काम करने के लिये आदमी चाहिये, पशु पालन और पौल्टरी के लिए, खेती के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाय। जो सिलेबस है उसके लिए गवर्नमेंट ध्यान दे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद एक बात रहती है कि जो लोग न तो कॉलेज जाते हैं और न स्कूल जाते हैं उनके लिए क्या प्रबन्ध किया गया है। जो सारे समाज के ८० प्रतिशत लोग हैं, जब तक उनको आप शिक्षित नहीं करावेंगे तब तक आपके प्लान में रुकावट आती रहेगी। हमने पहले एडल्ट एजूकेशन की स्कीम बनाई थी मगर फिर भी हम उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों? वह इसलिए कि यह तरीका जो हमने अपनाया है उनको शिक्षा देने का, वह गलत है। मैं यह चाहता हूं कि इसमें ऐसा परिवर्तन लाया जावे जिससे उन लोगों में सामाजिक ज्ञान पैदा कर सकें। जो सबसे जल्दी और सबसे अच्छा सामाजिक ज्ञान देने वाला और दूसरे ज्ञान देने वाला तरीका है वह सबसे अच्छा सिनेमा का तरीका है। उपाध्यक्ष महोदय, आप मानेंगे कि आज सिनेमा की यह स्थिति है कि लोग सिनेमा देखने जाते तो हैं, मगर जिस पर्पज़ के लिये यह होना चाहिये कि इससे लोगों को ज्ञान और रिक्रिएशन मिले यह मक्सद दोनों पूरे नहीं होते। समाज के लोगों को रीक्रिएशन तो मिलता है, मगर ज्ञान नहीं मिलता है, जिससे समाज के व्यक्ति चरित्रवान बनें। हालांकि आज हजारों मज़दूर

(श्री मोतीलाल)

और पढ़े लिखे लोग सिनेमा देख कर आते हैं, इसलिए इस सम्बन्ध में मेरी तो सरकार से यही प्रार्थना है कि शिक्षा के साथ यह भी जोड़ दिया जाय क्योंकि स्कूलों का इतना महत्व नहीं है जितना कि सिनेमाओं का, जो अनपढ़ व्यक्तियों को ज्ञान दे सकता है। हजारों लोग राजस्थान में सिनेमा देखने जाते हैं और अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूं और नहीं करूं तो हमारे यहां पर १६० सिनेमा हाउसेज़ हैं। अगर एक सिनेमा हाउस में हमेशा एक हजार आदमी सिनेमा देखते हैं तो दो लाख आदमी एक दिन में सिनेमा देखते हैं। तो इस तरह से सिनेमा से दो लाख आदमियों को शिक्षा मिल सकती है जितनी एडल्ट एजुकेशन में नहीं मिलती। सिनेमा वाले जो लोग हैं वे अपनी इन्डिविजुअल कम्पनी चलाते हैं और उनका मूल उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है। सिनेमा वालों के मालिकों का यह उद्देश्य कभी नहीं रहा है कि लोगों को शिक्षा मिले, मगर उनका तो यही विचार रहता है कि जितना मुनाफा मिल सके, लिया जाए। तो उनकी इस भावना को बदल कर मैं यह चाहता हूँ कि जिस प्रकार सरकार ने किताबों का राष्ट्रीयकरण किया है उसी प्रकार सिनेमाओं का भी राष्ट्रीयकरण कर दे तो लोगों का बहुत भला होगा और सरकार ऐसा करके जनता का बहुत भला करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम जिस उद्देश्य पर चलते हैं उस समय पूंजी-पतियों की ओर नहीं देखना चाहिये। सोवियट रूस में क्रांति के बाद सबसे पहले जो कदम उठाया गया वह था सिनेमा, ड्रामा और थियेटर, जिनके मार्फत जनता को शिक्षा देने का प्रोग्राम किया गया था और जनता को शिक्षा देने की बात और लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था। तो सिनेमा, थियेटर और पीपल्स ड्रामा की मार्फत ही अनपढ़ आदमियों को ज्ञान कराया गया था। सिनेमा और ड्रामा को देख कर अनपढ़ आदमी भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है और वहां पर इसी से लोगों को ज्ञान कराया गया।

मुझे कुछ दिनों पहले अमेरिका जाने का सौभाग्य मिला। मैंने देखा एक स्टेट जो २५ वर्ष पहले मुस्लिम स्टेट थी वहां पर अनपढ़ बहुत थे, मगर अब वहां पर एक भी अनपढ़ नहीं दिखाई देता। यह सब कार्य सिनेमा ने किया। वहां पर ऐसी पार्टी के लिये, मजदूरों को ट्रेनिंग देने के लिये सिनेमा हाल रखे हुए है और इससे जनता के मस्तिष्क को बदल सके हैं। जनता को शिक्षित कर सके हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि आप युनीवर्सिटी बोर्ड आदि सभी बनावें मगर मेरा तो यही निवेदन करना है कि देश को वास्तविक फायदा पहुँचाना है और लोगों को सामाजिक ज्ञान देना है और देश में समाजवाद लाना है, अच्छे समाज का निर्माण करना है तो सबसे पहले देश के अनपढ़ समाज के लोगों को शिक्षित बनावें और जब आप जनता को शिक्षित बनावेंगे तो लोगों को जानकारी मिलेगी कि इससे हमको क्या लाभ हो सकते हैं और इससे क्या नुकसान

(श्री मोतीलाल)

होते हैं। अतः वे पूरी फ्रीडम का लाभ उठा सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो मंशा है समिति बनाने के लिये, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ और न इसकी जरूरत ही है। हम समितियें ही समितियें बना कर समय बर्बाद करते हैं। हमारे यहां यूनीवर्सिटी है, एज्यूकेशन एडवाइज़री बोर्ड है, फिर दूसरी समितियों से कोई फायदा नहीं। मैं तो यह कहूंगा कि मैथड में चेन्ज होना चाहिये जिससे कि हम सारे समाज को शिक्षित कर सकें और समाज को जिस चीज़ की जरूरत आज है उस चीज़ का निर्माण कर सकें। इतना ही कह कर मैं प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस बात पर जोर न दें और मेथड्स के बारे में सुधार सरकार करे।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, आज काफी देर से इस संकल्प पर विचार हो रहा हैं। मेरे मन में, जब इस पर विचार हो रहा था यह आ रहा था कि जैसा एक जगह गीता में लिखा है कि :

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

जब जब धर्म का लोप होता है तो कोई न कोई महान् पुरूष आते हैं और धर्म को नाश होने से बचाते हैं। जब शिक्षा की सीमा इस स्तर पर पहुंची तो श्री चतुर्वेदीजी ने वास्तव में यह प्रश्न उठाया। आज यह तो सभी जानते हैं कि शिक्षा का स्तर कितना नीचे गिर गया है।

४. १७ म० प०

(श्री मोतीलाल चौधरी, सभापति, पदासीन)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस देश की शिक्षा गिर जाती है वह देश पतन की ओर चला जाता है। एक मन्त्र हैं:

अपूज्याः यत्र पूज्यन्ते,
पूज्य पूज्यां: व्यक्तिक्रमा:
तत्र त्रिणि वर्तेन्ते,
दुर्भिक्षम्, मरणं, भयम् ॥

इसका आशय यही है कि जिस देश में जो लोग पूजनीय हैं उनकी तो पूजा नहीं की जाती और जो लोग अपूज्य हैं उनकी पूजा की जाती है। शिक्षा का आदर नहीं होता, उस देश में तीन बातें उत्पन्न होती है; एक तो दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय। इस तरह उनका क्या हाल होता है यह साफ़ जाहिर है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज दो तरह की स्कूलें हैं, उनमें दो तरह के लोग पढ़ते हैं; किसानों के लड़के और शिड्यूल्ड कास्ट के। किसानों के लड़कों को कहा जाता है कि खेती का काम और किसी को कहा जाता है कि तुम यह काम करो। मेरे पास सेन्ट जेवियर स्कूल है और शांतिभाई जी की भी स्कूल है। उसमें गरीब लोगों को भर्ती होने की जरूरत नहीं है और न किया जाता है। अगर किसी की सिफारिश हो तो

Page No.98

(श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री)

यह कहा जाता है कि यह खर्चा बरदाश्त नहीं कर सकता । मैं आपसे यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि वहां पर क्या सिखाया जाता है और इस शिक्षा का नतीजा क्या होता है, यह भी आप सोच लें । हमारे यहां का महान् उद्देश्य था और शिक्षकों को हम गुरु कहते थे, उनको महान् नेता कहते थे और वे इस बात की शिक्षा देते थे कि हम सबको मिल कर एक रहना हैं भाई–भाई की तरह रहना चाहिए, राम और लक्ष्मण की तरह रहना है ।। मगर वहां क्या होता है, आज आपने वहां उपदेशक का क्या नाम रखा है; उसका नाम रखा है "मास्टर" । कई मास्टर हैं, एक स्कूल मास्टर है, तो दूसरा टेलर मास्टर है सब बराबर हैं । हमने गुरू के स्तर को इतना नीचे गिरा दिया है ।

यही नहीं, मैं और बताता हूं आप सुन लें । मैं जब छोटे आदमियों में जाता हूं तब जाकर सुनता हूँ कि एक बच्चा अपनी माता को क्या कहता है, जीजी कहता है या मा कहता है । मगर वहां पर बड़े लोगों में जाकर सुनता हूं तो क्या कहते हैं कि "मम्मी" । अर्थात् मामी यानी माता को मामी का स्थान दिया गया है । पिताजी के स्थान पर वे क्या कहते हैं "पापा" । पिता का स्थान पापा को दे दिया । माता का नाम मम्मी । जब यह हालत है तो मैं यह कहूंगा कि क्या होने वाला है, आप ही समझ लें। जो होनेवाला है वही होगा ।

एक मिसरा है:—

"लगायेगी जी चश्मे,
भली चंगी जी आँखोंपर
तो भला संतान उनकी क्यों न
डबल चश्मे में होगी ।"

आज औरतें चश्मा लगाती हैं और जब देखते हैं और पूछते हैं कि आंखें तो अच्छी हैं तो वे कहती हैं कि यह सब फैशन है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इसमें अच्छा क्या होगा....

श्री शंकरलाल (रायपुर) : सब बातें फैशन के लिए नहीं होती और सब फैशन के लिये ही चश्मा नहीं लगाते ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : आज कल शिक्षा में आता है ।

सिगरेट लेकर आ जाते हैं । चाहे कमाओ दो पैसा । पर फैशन में मरे जा रहे हैं यह शिक्षा का आधार है । कहा गया है:—

कोड़ी के जहान में यह नकशे नगीन हैं ।
कोड़ी नहीं पास तो कोड़ी के तीन तीन हैं ।।
कोड़ी थी पास, जब करते थे लम्बी चोडियां ।
कोड़ी रही न पास अब मियां खाते हैं पकौड़ियां ।।

उनका स्वास्थ्य देखिये, यही गनीमत है, भगवान् भला करे, बिजली घर वाले आटे की चक्कियां चला रहे हैं; नहीं चलायें तो फिर घरों में ग्यारस करनी पड़े । मैं आज के पढ़े–लिखों से कहता हूं कि घर का धन्धा करो । पढ़ने से घर का धन्धा छूट जाता है । एक बाबू सेक्रेटेरियेट में नौकरी करता है तो उसकी बीबी भी वहां नौकरी करती है । अब घर का झाड़ू कौन निकाले । बाबूजी को ६०,७० बीबीजी को ७०,८०) मिलते हैं । फिर नौकर नौकरानी की तलाश करते हैं ।

(श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री)

खुद का ही पूरा नहीं पड़ता है वे नौकरानी को क्या खिलायेंगे ? पहले जमाने में बीबी जो है काफी इज्ज़त करती थी अपने बड़ों की आज तो यह कह देते हैं कि क्या पढ़-लिख कर हम झाड़ू निकालेंगी ?

मैं यह सत्य कहता हूं कि इस प्रकार की शिक्षा-प्रणाली रही तो वह दिन दूर नहीं है जब कि सब स्त्रियां सेक्रेटेरियेट में जाकर काम करेंगी और पुरूषों को बच्चे रखने पड़ेंगे । एडवरटाइज़मेन्ट्स होते हैं कि एक अच्छे रसोई बनाने वाले की जरूरत है । फिर वे स्त्रियां अपने पतियों से कहेंगी कि तुम में बच्चे रखने की भी तमीज़ नहीं है इसलिए तुम्हें रिजेक्ट करती हूं । मैं आजकल कई स्कूलों में देखता हुआ चाला जाता हूं और वहां देखता हूं कि उन स्कूलों में ऐसे मास्टर भेज दिये जाते हैं जिन्हें खुद को तो दुनियां का ज्ञान ही नहीं है वे बच्चों को क्या बतायेंगे और पढ़ायेंगे ? खुद ही का कल्याण नहीं हो रहा है तो दूसरों का क्या कल्याण करेंगे ? मैं आपको यह गूढ़ रहस्य बता रहा हूं कि जो खुद का ही कल्याण न कर सकें वे दूसरों का क्या कल्याण करेंगे । मैं एक बार एक स्कूल के पास से जा रहा था, मैंने देखा कि कुछ लड़के लड़कियों को सिलाई बुनाई सिखायी जा रही है । मैंने पूछा तो बताया कि दरी, निवार, टॉवल बनाना सिखा रहा हूं । मैंने कहा, यह तो अच्छा काम है । मैंने कहा कि उनको सिखा रहे हैं, मास्टर को तनख्वाह दे रहे हैं लेकिन उनके बजाय सीखे सिखाये को बिठा दें तो कैसा रहे । जो लोग सीखे सिखाये हैं, आप कोलियों के मोहल्ले में चले जाइये, अच्छी से अच्छी चीजें बना देंगे, लेकिन वे आज भूखों मर रहे हैं । नये नये लाकर भर्ती कर रहे हैं, उनसे अच्छा वे कर देंगे काम । उनसे तो अपना झाड़ू ही नहीं निकलता, वे क्या देश का कल्याण करेंगे ।

" माताओं के सिखाये पुत्र पूर्ण बलवान होत,
माता के सिखाये पुत्र कायर और क्रूर हैं "

इसमें माता ही मुख्य कारण है । एक छोटा बच्चा है । उसकी माता शिक्षिता है और वह कहती है कि किसी से नहीं डरना और एक माता कुपढ़ है, खुद दो दो चश्मा लगाये हैं और यदि चलेगी तो जैसे कोई मुर्दा चल रही है, वह अपनी संतान को क्या अच्छी शिक्षा दे सकती है ? आज हम और आप देखते हैं कि कॉलेज और होस्टलों में मंत्री बनने के लिए आपस में झगड़े होते हैं । उसमें रखा क्या है, मंत्री बन जाने से ही क्या हो जायेगा ? लेकिन उनको यह बात पहले सिखायी जाती है, आगे जाकर एक युद्ध बन जायेगा । आज जिस चीज़ की शिक्षा दी जा रही है उससे आगे हानि होने वाली है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश का हित करना है तो इस पढ़ाई को बन्द करना पड़ेगा । जो अच्छे शिक्षक हैं, शास्त्री हैं, वेद के जानकार हैं उनको लाना पड़ेगा । वे इस बात को जानते हैं :-

त्वमेव माता च पिता त्वमेव ,
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव ,
त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥

जो इस पाठ को देना जानते हैं उनको रखना चाहिए ! चतुर्वेदीजी जो चारों वेद के ज्ञाता हैं, उन्होंने यह संकल्प रखा है और मैं इसका

(श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री)

पूर्ण समर्थन करता हूं । मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि बीमारी को अब आगे न बढ़ने दें, नहीं तो जो आज दूसरे देशों की हालत है वह अपने देश में भी हो जायेगी ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : चेयरमैन महोदय, मैं थोड़े शब्दों में ही अपने विचार रख रहा हूं । शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में बहुत से विचार लोगों ने रखे और सबसे बड़ा सुझाव तो इसमें एक है कि कोई प्रकार की कमेटी हो जो राजस्थान में शिक्षा का विकास किस प्रकार से हो, उस पर विचार कर सके । इसके लिए बहुत सी दलीलें दी गई । यों तो सरकार स्वयम् अपने आप में शिक्षा विभाग है और बहुत से क्षेत्रों में बोर्ड्स बना कर शिक्षा का विकास किया जा रहा है और ऐसी हालत में इसमें कोई विशेष परिवर्तन की आवश्यकता नहीं । इस प्रकार से जिन्होंने दलीलें दी हैं उन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षा में कमियां हैं, त्रुटियां हैं, बोर्ड आदि कुछ हैं, लेकिन इसमें सुधार हो और यह भी हो । देखने में तो मालूम होता है त्रुटियां बहुत हैं, शिक्षा में विकास की आवश्यकता है । मुल्क की आजादी के बाद शिक्षा के माने में जो दृष्टिकोण रखा जाना चाहिये था वह नहीं रखा गया । सही माने में विचार करें तो जब यह मुल्क गुलाम था उस समय देश की शिक्षा के बारे में विचार करते थे और सबसे पहले महात्माजी ने शिक्षा के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए एक अखिल भारतीय शिक्षण संघ का निर्माण किया था । मुझे जहां तक मालूम है यह वर्धा में हुआ था । हिन्दुस्तानी तालीम संघ के नाम से वर्धा में शुरू किया था । सन् १६३७ के समय की यह बात है । उससे पहले योजना बनी थी और उसके बाद सन् १६३७ में, जब हमारे देश के कुछ प्रान्तों में हमारी सरकार बनी थी तो उस योजना के आधार पर सारे प्रान्तों में कमेटियां बनी थीं और अखिल भारतीय स्तर पर किस प्रकार से तालीम दी जाय, उस आधार पर नयी शिक्षा प्रणाली का आरम्भ हुआ था । वर्धा प्रणाली या गांधी प्रणाली के नाम से यह योजना थी और वह चली थी । शिक्षा समिति इस प्रकार की हो कि यह सोचे कि इस शिक्षा की आवश्यकता है या नहीं ? जिन लोगों ने इसकी आवश्यकता प्रकट की है उन्होंने यह भी दलील दी है कि हमारी शिक्षा स्वावलम्बी नहीं है और हमें इसको हर माने में स्वावलम्बी बनाना है जिससे देश में जिस शिक्षा की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके । आज चाहे माने या न माने, अंग्रेजों के जमाने में लार्ड मेकॉले ने जिस शिक्षा पद्धति को कायम किया उसका उद्देश्य यही था कि अंग्रेजी व्यवस्था में ऐसे पढ़े लिखे लोग मिल जायं जो कि प्रशासन को ठीक चला सकें और उसके काम आ सकें । उनका उद्देश्य यह था कि मुल्क की आजादी के बाद हमने अपनी शिक्षा प्रणाली में ऐसा कौन सा परिवर्तन किया जिससे हम कह सकें कि जिस शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य अंग्रेजी शासन में जो था क्या वही उद्देश्य आज की शिक्षा प्रणाली का आज के शासन में नहीं है ? आज हमारा भी उद्देश्य वही है । आज जब हम यह हालत देखते हैं, पढ़े लिखे आदमी नौकरी की तलाश में जाते हैं, पहले अंग्रेजों के लिये काम करते थे, आज आपके लिये काम करते हैं, मूल उद्देश्य तो वही रहा जो पहले था । मूल उद्देश्य पहले था सो आज भी है और रहेगा । हमें अब सोचना यह है कि इसमें परिवर्तन किस प्रकार से

(श्री मुरलीधर व्यास)

किया जाय ? जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होता तब तक इसमें परिवर्तन किसी प्रकार भी नहीं हो सकता। जब बालक अच्छे नहीं होंगे उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी प्रकार से नहीं होगी तो वे आगे जाकर देश की बागडोर किस प्रकार संभाल सकेंगे और किस प्रकार देश को आगे ले जा सकेंगे ? यह बात माननी पड़ेगी कि शिक्षा का मसला है इसे हमें बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा। इसका विकास किस प्रकार से हो, अच्छे नागरिक हमारे देश में किस प्रकार पैदा हो सकें, यह हमें सोचना है। आज हम प्राचीन शिक्षा की ओर जाते हैं तो हमें अनुभव होता है और पता चलता है कि उस समय गुरू और शिष्य का सम्बन्ध हुआ करता था। आज के जमाने में अध्यापक और लड़कों में सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं क्योंकि आज पैसा देकर शिक्षा लेते हैं। इसमें किसी प्रकार परिवतन आवे, यह हमें सोचना होगा। डॉ० मजमूदार ने इस तालीम के ऊपर बहुत अच्छी किताब लिखी है, उनकी सारी चीजों में जाते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि जब तक शिक्षा में परिवर्तन नहीं आयगा, अच्छे नागरिक तैयार करना और देश का निर्माण करना असंभव हो जायगा। उन्होंने सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा में परिवर्तन को माना है।

मैं मानता हूं कि हायर एजूकेशन के बारे में यूनिवर्सिटी है, हायर सेकेन्डरी बोर्ड है लेकिन जो मूल उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का है, जिस ओर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जिसके द्वारा हमारे बच्चों का विकास होता है उस मामले के अन्दर किसी प्रकार का बोड या संस्था नहीं है; आज हमें यह देखना चाहिये कि हमारी प्रारम्भिक शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिये इसके लिये कोई बोर्ड नहीं है।

दूसरी बात यह है कि हायर सेकेन्डरी बोर्ड का गठन हुआ था उस समय यह तय किया गया था कि अच्छे अच्छे सेमीनार्स होंगे जिसमें बड़े शिक्षा विशारदों को बुलाया जायगा और शिक्षा पर विचार किया जायगा, लेकिन इस बारे में विचार ठप्प है। जो सरकारी मशीनरी है वह एडमिनिस्ट्रेटिव हो रही है, उसका शिक्षा के विकास से संबंध नहीं है। उसका काम तो केवल किसका ट्रान्सफर किस जगह करना, किसकी नियुक्ति किस जगह करनी, केवल इन्हीं बातों तक रह गया है। राजस्थान में इस बात पर कि शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन करना है, कभी विचार नहीं किया गया ताकि हम सही मायने में मिल कर देश को आगे बढ़ा सके इस प्रकार की राजस्थान-व्यापी कोई कमेटी नहीं। हिन्दुस्तान व्यापी एक कमेटी जरूर है लेकिन उससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं। जहां तक स्टेट का मामला है इस बारे में हमारे यहां एक कमेटी होनी चाहिये। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, आखिर इस सुझाव के अन्दर कौनसी ऐसी चीज़ है जो आपको बुरी लगती है। सुझाव इस प्रकार का है, जिसमें हम शिक्षा के क्षेत्र में स्वावलम्बी हो सकें। शिक्षा में स्वावलम्बी बनने के लिये यदि कमेटी बनती है तो उस पर विचार किया जाना चाहिये। प्रान्तीय स्तर पर परीक्षण करके सुझाव दिये जा सकते हैं. उन्हीं सुझावों के आधार पर अगर सरकार कुछ परिवर्तन करना चाहती है तो मैं समझता हूँ उसमें किसी प्रकार की

(श्री मुरलीधर व्यास)

हिचक नहीं होनी चाहिये । शिक्षा के मामले में चाहे कुछ भी हो जो बड़े बड़े लोग सोचते हैं उनका स्पष्ट मत है कि शिक्षा के क्षेत्र से सरकार को बिल्कुल अलग हो जाना चाहिये, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये । प्रजातान्त्रिक तौर पर हमें अलग बैठकर इस क्षेत्र में क्या क्या होता है, उसको देखना चाहिये । उसको केवल राज्य के विकास की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिये और देखना चाहिये कि जिस उद्देश्य को लेकर हम चलना चाहते हैं क्या वह उद्देश्य इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से पूरा होता है या नहीं ? इसलिये जहां तक मैं समझता हूं प्राथमिक शिक्षा के लिये इस प्रकार के एक बोर्ड का गठन अवश्य होना चाहिये या चुनी हुई कमेटी हो जो शिक्षा में दिलचस्पी रखते हों उन्हीं को उसमें लें, ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के बारे में उसको स्वावलम्बी बनाने के बारे में सुझाव दे सके । मैं कहना चाहता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा के बारे में कोई दृष्टिकोण नहीं है । ७० रूपये मासिक पर काम करने वाला नौकर है, उसी को हम चाहते हैं कि वह इस प्रकार का कार्य करे । महात्मा गांधी की स्कीम थी उन्होंने एक योजना रखी थी; सारे हिन्दुस्तान के अन्दर, एक शिक्षक को जहां पढाता है उसको जमीन देनी चाहिये, जहां पर शिक्षक उन बच्चों को पढ़ा सकें और उस जमीन पर वे बच्चे काम करें और उस जमीन पर जो उत्पादन हो उससे वह शिक्षक अपना भरण-पोषण करें । इस तरह से उनका यह ख्याल था कि प्राइमरी स्कूल स्वावलम्बी बन सकें । सरकार का शिक्षकों पर खर्चा होता है उस खर्चे को कम करना है तो हमें प्राइमरी शिक्षक को स्वावलम्बी बनाने के लिये और साथ साथ इस शिक्षा में नई प्रेरणा देने के लिये अगर इस प्रकार से अलग संगठन होगा, इस प्रकार के काम में उसका हिस्सा होगा तो मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा । इसमें किसी प्रकार की खामियां हैं तो उसको अलग ढंग से विचारा जा सकता है । जहां तक कमेटी का सुझाव है वह सर्वमान्य सुझाव है इसको महात्मा गांधी ने भी अपनाया है । राजस्थान में इस प्रकार की कमेटी का सुझाव यदि किसी माननीय सदस्य ने रखा है तो वह सुझाव अच्छा है । इसको अमान्य करते हैं तो यह हमारी शिक्षा के संबन्ध में उपेक्षित नीति होगी । अतः इस पर जरूर विचार होना चाहिये ताकि शिक्षा के मामले में जो खामियां हैं उसको दूर करके शिक्षा के मार्ग को प्रशस्त कर सकें ।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री, महोदय ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उप मंत्री, शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, हमारे सामने जो विचारार्थ संकल्प है उसके अन्दर यह कहा गया है कि एक समिति का संगठन किया जाय जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली को ज्यादा उपयोगी बनाने के लिये और सामयिक बनाने के लिये सुझाव दे सके । जिन माननीय सदस्य ने संकल्प रखा है उन्होंने कहा है कि आधुनिक प्रणाली आज से १२५ साल पहले लागू की गई है उस वक्त जो शिक्षा का उद्देश्य था स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उस

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

शिक्षा का उद्देश्य बदल जाना चाहिये था। मैं इस बात से सहमत हूं कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली उनकी दी हुई है जिनका साम्राज्य १२५ साल पहले इस देश पर था। लेकिन इसके साथ साथ जो यह कहा गया कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमने शिक्षा प्रणाली को बदलने का प्रयास नहीं किया, मैं इससे सहमत नहीं हूं। माननीय सदस्य ने बहस की, किन्तु हमारे देश में शिक्षा-पद्धति बदलने का बड़े पैमाने पर प्रयास किया गया, उनको देखने की कोशिश नहीं की गई। यह देश जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद यूनिवर्सिटी स्तर पर, सेकन्डरी एजूकेशन के स्तर पर और प्राइमरी शिक्षा, इन तीनों को बदलने के लिये शिक्षा संस्थाओं का कमीशन गठन किया गया, उनकी रिपोर्ट भी पेश हुई, उन रिपोर्ट्स पर अलग अलग राज्यों ने और सामुहिक तौर पर सभी राज्यों ने विचार किया। जहां तक राजस्थान का ताल्लुक है इस बारे में जितनी भी सिफारिशें थीं उन सब को स्वीकार किया और इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा, उनको कार्यान्वित करने में राजस्थान सब से आगे है, पीछे नहीं, यह कहता हुआ मैं कोई गलती नहीं करता हूं।

यूनीवर्सिटी शिक्षा के बारे में, यूनीवर्सिटी एजूकेशन के बारे में जो सिफारिशें थीं उनको हमने मान्य किया। उसके अनुसार यूनीवर्सिटी स्तर की शिक्षा वे ही विद्यार्थी हासिल करें जो यूनीवर्सिटी शिक्षा के योग्य हैं, जिनको यूनीवर्सिटी की शिक्षा के सही मायने में फायदा हो सके, देश को उन्हीं लोगों की जरूरत है। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने इस ओर बराबर कदम उठाया है।

हमने इस माने में यूनीवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार किया और हमारे हायर सेकन्डरी और यूनीवर्सिटी इन दोनों को मिलाकर नई प्रणाली काफी अर्से पहले लागू कर ली है और मैं समझता हूं कि तीसरी योजना के अन्त तक हम नई शिक्षा की प्रणाली को राजस्थान में काफी माने में लागू कर सकेंगे।

यूनीवर्सिटी का जहां तक प्रश्न है यूनीवर्सिटी शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिये कि इस तरह के नौजवान आगे निकलें जिससे देश को फायदा हो। अच्छे पंडित, विद्वान् प्रोफेसर हों, प्रशासक हों। इसके लिये जैसे आप सब जानते हैं हमने उनको प्रोत्साहन देने के लिये अच्छे लोगों को आगे लाने के लिये, आर्थिक स्थिति के कारण कोई व्यक्ति पीछे नहीं रह जाय, इस दृष्टि से हमने यह योजना लागू की है कि जितने भी प्रथम श्रेणी में आते हैं उनमें जिनको आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती या जिनकी २००) से कम आमदनी है, उन सब को अनिवार्यतः स्कॉलरशिप देते हैं। इस तरह से ये तीव्र बुद्धिवाले लोग आगे आ सकें, प्रशासकीय सेवाओं में वे आगे बढ़ सकें, इसके लिये हमने राजस्थान कॉलेज को एक्सटेन्ड किया है। इसी तरह से अच्छे से अच्छे प्राध्यापक हमारे कॉलेजों में रहें, इस दृष्टि से हमने उनका वेतन स्तर राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं के समकक्ष कर दिया है क्योंकि पिछले अर्से में हमने देखा कि उनका वेतन स्तर कम होने के कारण वे इनकी कम्पीटीटिव परीक्षाओं में बैठते थे और चूंकि उनका स्तर ज्ञान का अच्छा होता था तो वे उधर से इधर आ जाते थे, तो शिक्षा में उनको बनाये रखने के लिये हमने उनका जो इधर के वेतन का जो आकर्षण था वह समाप्त

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

करके उनका वेतन भी उसी स्तर का कर दिया है ।

इसी तरह यूनीवर्सिटी एजूकेशन कमीशन ने जो एक साल, डेढ़ साल पहले अपनी रिपोर्ट दी कि विद्यार्थियों की संख्या कालिजों में निश्चित संख्या से अधिक न रक्खी जाय ताकि यूनीवर्सिटी का सही स्तर बना रहे, हमने उसे स्वीकार किया । मैं खुद उस अवसर पर एजूकेशन मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में मौजूद था और मैं कहता हूं कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने उनकी इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और हम अमली रूप में इसको ला रहे हैं । हमने यह तय कर लिया है कि नो डिविजन के स्तर पर कॉलेज हैं, उनमें १।। हजार और डिस्ट्रिक्ट स्तर के कॉलिजों में एक हजार से ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिये । क्योंकि यूनीवर्सिटी के स्तर एग्ज़ामिनेशन वगैरह में, एकेडेमिक स्तर नीचे जा रहा था इसलिये यह भी तय किया कि ज्यादा से ज्यादा ट्यूटोरियल और ज्यादा से ज्यादा प्राध्यापक और विद्यार्थियों में सम्पर्क बना रहे, ताकि शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाया जा सके ।

दूसरी बात सेकन्डरी एजूकेशन के बारे में है । इसमें उसका उद्देश्य यह था कि सभी लड़के जो हायर सेकन्डरी और हाई स्कूल पास करते हैं वे आज इन्डिपेन्डेन्ट तौर पर काम के लायक नहीं होते, इसलिये यूनीवर्सिटी की लगी हुई कक्षाएं मानी जाती हैं और सभी लोग यूनीवर्सिटी की कक्षाओं के लिये जाते हैं, पर ज्यादातर लोग उनके उपयुक्त नहीं होते इसलिये तय किया कि हायर सेकन्डरी स्तर पर कोर्स का डाइवर्सिफिकेशन हो जाना चाहिये । इसके अनुसार मल्टी पर्पज़ हाई स्कूल खोले गये । मैट्रीक्यूलेशन के बाद में सेक्रेटेरियेट ट्रेनिंग के लिये एक नयी योजना बनाई गई और उसका भी परीक्षण किया जा रहा है और हमारे जो एग्ज़िस्टिंग हाई स्कूल्स हैं उनको हम हायर सेकन्डरी में परिवर्तित कर रहे हैं, जिससे बच्चे जो नई सेकन्डरी एजूकेशन कमीशन ने प्रणाली रक्खी है उसके माफिक शिक्षा लें ।

शिक्षा-शास्त्रियों का यह ख्याल है कि हरेक बालक हर काम के लायक नहीं होता और हरेक बालक हर काम के लिये नालायक भी नहीं होता । इसलिये आवश्यक है कि बच्चे की उनके मेन्टल एप्टीट्यूट (aptitude) के अनुसार जांच की जावे और जो जिस सब्जेक्ट में अच्छी तरह चल सकता हो, जैसा उसका टेस्ट हो, जैसा उसका इन्टेलेक्चुअल डवेलपमेंट हो उसके अनुसार आगे अच्छे विषय उसको दिये जाने चाहिये । तो हमने वोकेशनल गाइडेन्स की भी यूनिट स्थापित की है । हालांकि इसकी शुरूआत ही है पर फिर भी एक कदम उठाया गया है और आगे वहां अध्यापकों को भी शिक्षण दिया जावेगा ताकि मिडिलस्टेज के बाद में बच्चों को सही माने में वाकेशनल गाइडेन्स दिया जा सके और उनको कौंसिलिंग किया जा सके ।

हमारा जहां तक सेकन्डरी या हायर सेकन्डरी में परिवर्तन करने का प्रश्न है, तीसरी योजना के अन्त तक काफी हाई स्कूल जो आज हैं उनको हम हायर सेकन्डरी में परिवर्तित कर देंगे, और जितने भी अभी हायर सेकन्डरी स्तर पर स्कूल खोले जा रहे हैं वे नई पद्धति के अनुसार ही खोले जा रहे

(श्री पूनम चन्द बिश्नोई)

हैं। इस तरह से हमारी खास समस्या प्राइमरी एजूकेशन की थी।

पहले ऐसा समझा जाता था कि बच्चे साक्षर बनें और उनको केवल किताबें पढ़नी दी जावें। लेकिन स्वतन्त्रता के बाद में जैसा कि माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि हमारी इस प्राइमरी शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं हो कि किताब पढ़ करके वह एक बाबू बने। स्वतन्त्रता के बाद में पढ़ने-लिखने का उद्देश्य विस्तृत हो गया है। हमारा उद्देश्य यह है कि युवक पढ़-लिख कर अच्छा नागरिक बने, श्रम से उसे मोहब्बत हो और वह अपने में जो योग्यता हो उससे देश का उत्पादन बढ़ावे। इसलिए अगर काश्तकार का लड़का पढ़े तो अच्छा काश्तकार बने, सुनार या लोहार का लड़का पढ़े तो अच्छा सुनार और लोहार का काम करने वाला बने, अच्छे कृषि पालक का लड़का पढ़ता हो तो वह अच्छा कृषि पालक बने। तो इसके लिए हमने बेसिक को, हमारी प्राइमरी शिक्षा के स्तर पर हमने राष्ट्रीय प्रणाली मानी है और इसमें जितनी प्रगति होनी चाहिये उतनी नहीं है, पर तीसरी योजना में हम जितनी भी नई प्राइमरी स्कूलें खोलेंगे बेसिक प्रणाली की खोलेंगे। अब भी जो योजना चल रही है उसके अनुसार भी पुरानी स्कूलों को, ट्रेडिशनल को बेसिक में परिवर्तन किया जा रहा है। पहले से हम जिनको परिवर्तित नहीं कर सकते उनमें क्राफ्ट्स इन्ट्रोड्यूस किया जा रहा है और इसके साथ साथ आज हमारे राजस्थान में करीब ३७ ट्रेनिंग स्कूलें हैं जो बेसिक पद्धति से शिक्षकों को ट्रेनिंग देती हैं। लेकिन यह कहना कि बेसिक केवल नाम का है और केवल नाम के लिये चलाया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। पूरी शिक्षा को, इतने बड़े काम को और पुराने ढांचे को एक दिन में बेशक बेसिक में बदल देना एक बड़ी मुश्किल चीज़ है। पर यह कहना कि कोशिश नहीं की जा रही है और इसके लिये कमेटी का गठन होना चाहिये इसको मैं ठीक नहीं मानता हूं।

जहां तक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का सवाल है और उसको नये तरीके में बदलने का सवाल है राजस्थान में काफी तेजी से काम हो रहा है और मैं आशा करता हूं कि कुछ समय के बाद में शिक्षा का नया स्तर और नई शिक्षा हमारे सामने आवेगी।

साथ साथ में यह भी प्रश्न उठा कि आज नैतिक स्तर हमारा गिर रहा है, देश का नैतिक स्तर गिर रहा है। मैं मानता हूं कि नैतिक स्तर देश का गिर रहा है; पर इसका कारण केवल एक शिक्षा की प्रणाली ही नहीं है। देश में आप जानते हैं बड़ा भारी रद्दोबदल हो रहा है। आप यह भी जानते हैं कि जब गरम पानी की धारा और ठंडे पानी की धारा मिलती है तो कोहरा छा जाता है।

पहले यह भी एक धर्म समझा जाता था कि जब कभी ब्राह्मण मिले तो सलाम करना चाहिये, नमस्कार करना चाहिये। हम लोगों में से ही अब बहुत से कहने लगे हैं कि अब हरिजन को भी अपने समान मानना चाहिये, यह भी एक नमूना हमारे सामने है। यह भी एक बात आई है कि बड़े बुजुर्गों को भी सलाम करना चाहिये। पर यह भी एक बात आज आ गई है कि बड़े बुजुर्गों

Page No.106

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

को भी सलाम नहीं करें। एक बात चालू होती है। आज हम समझते हैं कि जाति पांति का बन्धन नहीं होना चाहिये, जब कि पहले हम कुछ और मान कर चल रहे थे। धर्म के हिसाब से भी भेदभाव नहीं करना चाहिये, यह भी आज आ गया। यह आधुनिक युग के अनुकूल है। पर साथ साथ धर्म की बहुत सी पुरानी बातों का विवेक आज लोग करने लग गये हैं। आधुनिक युग में बहुत सी पुरानी बातें लोगों के सामने प्रत्यक्ष बन कर सामने आई हैं। जैसे हम कहते थे कि कैलाश पर शिवजी रहते हैं। आज लोग कैलाश पर चले गये और साबित कर दिया कि कोई शिवजी वहां नहीं हैं। तो आज हम कैसे उनको कह सकते हैं कि पुरानी धर्म की बातों को उसी रूप में मानो। पुराने धर्म में हम पुनर्जन्म को मानते हैं पर आज के विज्ञान ने साबित कर दिया, फिज़िक्स और केमिस्ट्री कहती है कि पुनर्जन्म नहीं होता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : किस विज्ञान ने बताया कि पुनर्जन्म नहीं होता ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : थोड़े व्यक्तियों की यह राय होगी, इस वैज्ञानिक युग में ज्यादातर यह राय है कि कन्टीन्यूटी ऑफ सोल नहीं है और बहुत सी बातें हैं, उनका अस्तित्व वे नहीं मानते। आज एथीज़्म का प्रचार भी है, खुले तौर पर कम्यूनिज़्म का और एथीज़्म का प्रचार किया जा रहा है। विधवा विवाह जिसको बहुत से खराब समझते थे अब बहुत से उसे अच्छा मानकर चलते हैं और देश के सुधार की चीज मानते हैं इसको। आज एक जाति से दूसरी जाति में विवाह होता है तो उसको भी बुरा नहीं लेते और वह इस जमाने के अनुकूल है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो पुरानी अच्छी बातें हैं वे बातें इसके साथ चली जाती हैं, मैं मानता हूं। साथ ही यह भी बात है कि जो पहले के धर्म गुरु थे या जो फिलॉसॉफर थे वे आम दुनियां से बहुत आगे थे, लेकिन जो आज का धर्मगुरु और फिलॉसॉफर है वह बहुत पीछे रह गया है। इसलिए एक शिक्षा का ही दोष नहीं है, यह विज्ञान का बड़ा भारी चेलेन्ज है धर्म को और फिलॉसॉफी को, और अगर इस फिलॉसॉफी और इस युग का आदमी है, अगर वह मैटाफिज़िकली अपने को उससे आगे बढ़ा ले जाये तो सुधार हो सकता है। लेकिन शिक्षा का भी बहुत बड़ा कर्त्तव्य है, ऐसा मैं मानता हूं। धर्म की शिक्षा के स्थान पर तो अगर नैतिक शिक्षा दी जाये तो ज्यादा अच्छा रहे और यह अधिक आवश्यक भी है। इसके लिए बराबर कोशिश हो रही है, लेकिन इसमें सफलता कितने समय में मिलेगी उसके बारे में निश्चित नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं निवेदन कर दूं कि भारत सरकार ने कुछ समय पहले एक कमेटी का गठन किया था कि नैतिक शिक्षा या धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए या नहीं ? लेकिन इसमें धर्म शास्त्रियों का बड़ा भारी मतभेद है क्योंकि इसमें यह भी हो सकता है कि धर्म की शिक्षा देने पर संकीर्ण भावना का भी प्रचार होने लगे, आज जो कि देश में आगे चलकर अच्छी चीज न हो। तो यह एक ऐसा विषय बना हुआ है। लेकिन एक मॉडर्न एथिक्स जो कि सबके लिए लागू है उसकी अवश्य-

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

कता है। आज जो शिक्षण संस्थायें हैं उनको कोशिश करनी चाहिए लेकिन आम तौर से दुनियां में हवा चल पड़ी है अमेरिका में भी है, रूस में भी है, इंग्लैंड में भी है बहुत से देशों में है, जो कि धार्मिक युग का चेलेन्ज है, पुरानी परम्पराओं के खिलाफ जिसमें अच्छी परम्परायें भी साफ होती जा रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए।

उसके बाद में प्रश्न आता है अनुशासनहीनता का। राजस्थान में जहां तक अनुशासन हीनता का सवाल है, यह मैं नहीं कहता कि राजस्थान के बालकों में अनुशासनहीनता नहीं है लेकिन फिर भी दूसरे राज्यों के मुकाबले में राजस्थान में अनुशासनहीनता के पिछले दो साल में बहुत कम केसेज़ नज़र आये हैं, जिसमें उन्होंने अनुशासनहीनता की हो। फिर भी जो कुछ थोड़ी बहुत अनुशासनहीनता है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। अभी थोड़े दिन पहले ही प्रिन्सिपल्स कॉन्फ्रेन्स हुई थी, उसमें यह किया था कि हर एक विद्यार्थी को खेल-कूद और केरीकुलर एक्टीविटी में जरूर लगाना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले नेशनल डिसिप्लिन स्कीम है उसको लागू किया है। आजकल एन० सी० सी० और ए० सी० सी० पर भी बहुत जोर दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि बच्चे इस तरह के स्वच्छ वातावरण में रहें ताकि शाम को गाना गाते हुए या पार्क में घूमते हुए और होटलों में मिलते हैं, उस वातावरण में से उनको हटाकर अच्छे से अच्छे वातावरण में रखा जाये और उनका अधिक से अधिक खेलकूद की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाये ताकि अच्छी परम्परा बन सके, उसके लिए बराबर कोशिश की जा रही है और उस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज के बालकों को हमारी स्कूलें केवल शिक्षा ही नहीं देती हैं, आज उनको अखबार भी शिक्षा देते हैं, हम राजनीतिज्ञ हैं हम भी कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं, जो सिनेमा हैं वे भी शिक्षा देते हैं और समाज के वातावरण का भी असर पड़ता है। इसलिए सामूहिक प्रयत्नों से ही ये खराबियां दूर की जा सकती हैं और ये खराबियां केवल शिक्षा से ही दूर की जा सकती है, ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम इस ओर सतर्क नहीं हैं, बराबर इस ओर ध्यान दिया जा रहा है और मैं मानता हूं कि हमारी केरीकुलर एक्टीविटी में काफी फर्क आया है और अगले दो एक सालों में इस ओर ज्यादा फर्क आयेगा।

फिर यह कहा गया कि आज की शिक्षा केवल नौकरी के लिए ही लोगों को तैयार करती है और वह दूसरे कामों में जाना पसन्द नहीं करते, बेकारी बढ़ रही है। मैं निवेदन करूंगा कि इसका भी अकेला दोष शिक्षा पर डालना ठीक नहीं है। हमारे देश की परम्परायें ऐसी रही हैं कि क्योंकि हमारा देश गुलाम देश था और उसमें नौकरशाही का बहुत ऊंचा हाथ था और छोटी सी भी नौकरी होती है तो उसका ओहदा ऊंचा माना जाता था, इसलिए लोग आज भी उसकी तरफ बढ़ते हैं। फिर इसके अलावा उनको शहरों की ओर भी कई तरह की सुविधायें नजर आती हैं। शहरों में नौकरी करते हैं तो उनके लिए अच्छी सड़कें हैं, सिनेमा हैं, उससे दूर हटकर नहीं जाना

Page No.108

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

चाहते हैं, लेकिन मैं एक बात निवेदन कर दूं कि जब कि राष्ट्र के सभी बालकों को हम शिक्षा देना चाहते हैं तो छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम पढ़े लिखों को करना पड़ेगा। आज विदेशों में झाड़ू निकालने का काम करते हैं तो भी पढ़े लिखे करते हैं और कुलीगिरी का काम करते हैं तो भी पढ़े लिखे करते हैं, कृषि का काम करते हैं तो भी पढ़े लिखे करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं तो भी पढ़े लिखे करते हैं, पर यह मनोवृत्ति आज हम हमारे देश में नहीं पाते हैं। पहले नौकरी का छोटा सा ओहदा होता था कि उसको बहुत बड़ा मानते थे और सोचते थे कि नौकरी कर लो, उसमें आराम मिलेगा। यह बात नहीं है कि उनको अवसर नहीं है और उनको काम करने के लिए काफी गुंजाइश नहीं है। आज मैं आपको बताऊं कि नागौर जिले में दो, डेढ़ सौ टीचर्स की जगह खाली पड़ी है, बाड़मेर में पड़ी है, डूंगरपुर में है, जालोर में है, कोई नहीं आता। लेकिन सब नौकरी चाहते हैं। नौकरी में भी सब चाहते हैं कि अच्छी जगह मिल जाये और कपड़े साफ रह सकें। इस भावना को सही माने में हमें छोड़ना पड़ेगा। वैसे हम श्रमदान आदि से भी बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हैं। लेकिन जब हाथ से मेहनत करने की आदत नहीं बनेगी तब तक यह काम पूरा नहीं हो सकता। लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के साथ भी मैं इस तरह से जोड़ता हूं कि पहले जो पटवारी और ग्राम सेवक थे वह अपने पास काफी अधिकार रखते थे, पर गांव वाले ही सोचते हैं कि इनके ऊपर भी हमारे सरपंच हैं। तो मेरे ख्याल से पढ़े-लिखे लोग चाहेंगे कि वह पंच बनें और इस तरह से वे गांवों में जाने लगेंगे और वहां जाकर हो सकता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइज करें। लेकिन जनतंत्रवाद कोई हांक करके एक तरफ नहीं ले जाया सकता। जिस तरह से हवा देश में बदलती है, धीरे धीरे पढ़े-लिखे लोग हैं वे भी उसकी तरफ जाने लगेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

फिर यह कहा गया कि हमारे यहां पर शिक्षकों का आदर बहुत कम है, शिक्षकों को वेतन बहुत कम मिलता है और दूसरों को ज्यादा मिलता है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

चेयरमैन महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जो राजस्थान का वेतन स्तर है वह दूसरे राज्यों से यूनीवर्सिटी स्टेज और हायर सेकेन्डरी स्टेज पर तो बहुत अच्छा है और जो प्राइमरी स्टेज का वेतन स्तर है वह बहुत से राज्यों से अच्छा है। पिछली साल ही ६,००० अध्यापकों को जो मिडिल ग्रेड के थे उनको मैट्रिक ग्रेड दिया है और इसी साल जो वेतन श्रृंखला लेक्चरार की है उसको बढ़ाया है और बराबर इस ओर हम बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है वह वापिस ले लें।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : जो प्राइमरी स्कूल और बेसिक स्कूल के टीचर्स हैं....

श्री सभापति (श्री मोतीलाल) : माननीय सदस्य आपस में बात न करें। क्या आप अपना प्रस्ताव वापिस लेते हैं ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : एक सफाई चाहता हूं।

श्री सभापति : सफाई तो हो चुकी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि जो प्रस्ताव श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की अनुमति दी जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : अब सदन की कार्यवाही दिनांक ८ मार्च के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं ५ बजे, मंगलवार, दिनांक ८ मार्च, १९६० के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, ७ मार्च, १९६०)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १५६७

गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर, में भर्तियां ।

पाली जिले के भूतपूर्व जागीरदारों को वगैर जांच के अन्तरकालीन मुआवजे की किश्तों की मंजूरी ।

गीजगढ़ पंचायत की बैठक में भाग लेने से एक पंच को रोका जाना ।

प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत टोंक जिले के लिए स्वीकृत धन-राशि में से हुआ खर्चा ।

नीम का थाना विकास खण्ड के डाक्टर या कम्पाउन्डर के विरुद्ध भेड़ों को गलत दवा पिला कर मार देने में जांच ।

जिलों के रिऑर्गेनाईजेशन की स्कीम ।

राजस्थान प्रदर्शनी, १९५६ (जयपुर) पर किया गया व्यय ।

तहसील हिन्डौन मेंबर का पुरा

आदर्शनगर को बिजली उपलब्ध कराना ।

ग्राम छीतोली (बैगट) के काश्तकारों को जंगलात विभाग से बेकेट कराई काबिल काश्त भूमि का अलॉटमेन्ट ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रान्त के लिए नियत धनराशि ।

कोटपुतली के थानों के बेकार फर्नीचर की मरम्मत ।

अहिन्दी भाषी राजकीय कर्मचारियों द्वारा परीक्षा पास करना । अध्यापकों को परीक्षाओं में बैठने सम्बन्धी विभागीय नियम ।

बीकानेर के एन्टी करप्शन अधिकारी के पास आये हुए केसेज़ में मिलने वाली सफलता ।

हाई स्कूल हिन्डौन के कक्षा ६ के विद्यार्थियों को वाणिज्य एच्छिक विषय छोड़ने को मजबूर किया जाना ।

Page No.111

स्तम्भ

टोडारायसिंह तहसीलदार द्वारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के लिये जबरन वसूली।

जयपुर में एम० एल० एज़० के लिए निर्मित बंगलों के निर्माण में खर्चा।

तहसीलदार सांगानेर द्वारा ली गई रिश्वत का मामला।

आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों के कार्यालयों पर हुआ व्यय तथा उनकी आवश्यकता।

झालावाड़ जिले में खुदाये गये कुओं पर परिगणित जाति के लोगों को पानी भरने से मनाही। तहसील खानपुर के गांव काला-रेवा का टेलरिंग स्कूल।

नागोर में लोकतान्त्रिक विकेन्द्री-करण के उद्घाटन के अवसर पर किया गया व्यय।

समाज-सेवाओं पर खर्च की गई धनराशि।

अशासकीय कार्य

गैर-सरकारी संकल्प १६४६

श्री पी०के० चौधरी, सदस्य, विधान सभा, ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :—

"This House resolves that a Committee of experts, alongwith the Chairman of the Public Accounts Committee and the Chairman of the Estimates Committee of the Rajasthan Legislative Assembly be constituted to examine the working of the District Collectorates and to suggest suitable changes in the present set-up."

इस संकल्प पर डॉ० चन्द्रकला, श्री मूलचन्द डागा व श्री शंकर-लाल ने अपने-अपने संशोधन प्रस्तुत किये। इस सम्बन्ध में किये गये वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) श्री मोतीलाल।

(२) रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

(३) श्री मदनसिंह दांता।

(४) श्री श्रीभानसिंह।

(५) श्री मुरलीधर व्यास।

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, के उत्तर के पश्चात् श्री

पी० के० चौधरी, सदस्य, विधान सभा, ने अपना संकल्प वापस ले लिया ।

तदुपरान्त श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया :—

"सदन यह सिफारिश करता है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली को अधिक उपयोगी और सामयिक बनाने के लिये एक समिति का गठन किया जाये।"

इस संकल्प पर डॉ. चन्द्रकला, सदस्या, विधान सभा, ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया। निम्नांकित सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपने अपने विचार व्यक्त किये :—

(१) रावल श्री नरेन्द्रसिंह ।
(२) श्री रामचन्द्र ।
(३) श्री मोतीलाल ।
(४) श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री ।
(५) श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उप मंत्री, शिक्षा विभाग, के उत्तर के पश्चात् श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ने अपना संकल्प वापस ले लिया ।

मंगलवार, दिनांक ८ मार्च, १९६० की कार्य-सूची

१. कार्य सलाहकार समिति के नवम प्रतिवेदन का उपस्थापन ।

२. अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १९५९-६० (द्वितीय खण्ड) के वितरण की प्रस्तुति एवं मत-दान ।

३. राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६०, (पुरः स्थापन तथा पारण) ।

[१८२१

परिशिष्ट १

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २३४ का उत्तर देखिये)

ALLOTATION OF SECOND FIVE YEAR PLAN 1958-59
TONK DISIRICT

S. No.	Name of Scheme.	Plan Provision 1958-59 (Rs. in lakhs).
1.	2.	3.
	AGRICULTURE	
1.	Minor Irrigation :—	
	(a) Construction of Wells.	0.400
	(b) Development of Village tanks.	0.400
	(c) Installation of Pumping sets.	0.150
	(P) Installation of Persian wheels.	0.020
2.	Manures and fertilisers:—	
	(a) Compost Development.	0.010
	(b) Development of Local Manurial Research.	0.076
	(c) Distribution of fertilisers (Food crops)	0.005
3.	Seed Scheme :—	
	(a) Subsidy for distribution, of improved seeds.	0.070
	(b) Seed multiplication.	0.301
4.	Improved Agricultural implements.	0.300
5.	Plant protection.	0.020
6.	Improved cultural practices (Food crops).	0.117
7.	Special Commodities:—	
	(a) Cotton Extension.	0.141
	(b) Sugarcane Development.	0.018

1	3
8. Fruit Development.	0.100
9. Staff Scheme.	0.004
Total-Agriculture.	2.132
MINOR IRRIGATION WORKS	
1. Daulat Sagar Tank.	1.200
2. Galwania Project.	1.800
3. Naugega Tank.	0.200
4. Ajgara Project.	1.270
5. Sodra Project.	0.500
6. Survey and Investigation.	0.060
Total-Minor Irrigation.	5.030
ANIMAL HUSBANDRY	
1. Poultry development	0.050
2. Purchase and subsidy to male calves.	0.005
3. Bull Premium Scheme.	0.006
4. Conversion of dispensaries into hospitals.	0.020
5. Opening of new Veterinary dispensaries.	0.100
Total-Animal Husbandry.	0.181
CO-OPERATION	
1. Subsidy for staff of large-sized credit societies.	0.072
2. Co-operative Development below the District Level. Revitalisation of small-sized societies and organisations.	0.027
Total-Co-operation.	0.099

1	2	3
	FOREST	
1.	Plantation and creation of village Forests.	0.216
2.	Communication of buildings:- Buildings.	0.085
3.	Commercial Plantation.	0.033
4,	Existing Forests.	0.015
	Total-Forest,	0.349
	FISHERIES	
	Fishery Development.	0.006
	Total-Fisheries,	0.006
	COMMUNITY DEVELOPMBNT PROJECT AND NATIONAL EXTENSION SERVICE.	
	Commnity Development Project and National Extension Service.	4.300
	Total-Community Development Project and National Extension Service.	4.300
	MAJOR AND MEDIUN IRRIGATION PROJECTS.	
	Scarcity Area Works-	
1.	Galwa.	8.200
2.	Mashi.	8.200
	Total-Irrigation (Major and Medium Irrigation Prejects)	16.400
	POWER PROJECTS	
	Development of Thermal Power Station.	3.000
	Total-Power Projects.	3.000

1	2	3
	INDUSTRY.	
1.	Sales Depot (Handloom).	0.060
2,	Dye Houses.	0.043
	Loan to Cottage and small scale Industries.	0.540
	Total-Industries.	0.643
	ROADS	
1.	Major District Roads,	0.720
2.	Other District Roads.	0.800
3.	Village Roass.	0.530
4.	Cross-Drainage work and Bridges.	1.350
5.	Improvement of Existing Roads.	2.300
6.	Approach Roads to Towns and Villages.	0.200
	Total-Roads.	5.900
	EDUCATION.	
1.	Opening of new single teacher Primary schools.	0.360
2.	Employment of additional teachers.	0.110
3.	Conversion of Primary into Basic Schools.	0.220
4.	Introduction of crafts in non-Basic Schools	0.050
5.	Expenditure in connection with teachers attending training courses.	0.250
6.	Raising of Primary Schools into middle standard.	0.310
7.	Expenditure for addition of class VII and VIII to Middle Schools.	0.110
8.	Upgrading of Middle Schools to Higher Secondary Schools.	0.150

1	2	3
9,	Expenditure for addition of class X in High Schools.	0.040
10.	Expenditure for posts of librarians created in old Inter-colleges and High Schools.	0.030
11.	Improvement of library of schools.	0.010
12.	Administrative and Supervisory staff.	0.110
	Total-Education.	1.750
	MEDICAL AND PUBLIC HEALTH.	
1.	Upgrading of District Hospitals.	0.050
2,	Family Planning Ceantres.	0,080
3.	Repairs to dispensary.	0.150
4.	Isolation Beds.	0.450
	Total-Medical and Public Health.	0.730
	AYURVEDIC.	
	Opening of Ayurvedic Dispensaries and Consolidation.	0.167
	Total-Ayurvedic.	0.167
	HOUSING.	
	Grant of loans under Low income Group Housing.	0.470
	Total-Housing.	0.470
	Labour and Labour Welfare.	
	Labour Welfare Centres.	0.093
	Total-Labour and Labour Welfare.	0.093

1	2	3
	WELFARE OF BACKWARD CLASSES	
I.	Welfare of Other Backward Classes.	
	1. Education;- Scholarships.	0.048
	2. Medical and Public Health Provision for purchase of medicines	0.004
II.	Welfareg Scheduled Castes:-	
	1. Education :-	
	(a) Scholarships.	0.076
	(b) Social Education Centres.	--
	2. Aid for construction of houses.	0.050
	3. Medical and Public Health :-	
	(a) Provision for purchese of medicine.	0.005
	(b) Aid for construction of drinking water wells.	0.010
	4. Publicity.	0.008
III.	Welfare of Ex-Criminal Tribes:-	
	1. Education :- Scholarships.	0,005
	2. Agriculture :- Aid for rehabilitation of families.	0.050
	3. Medical and Public Health:-	
	(a) Provision for purchase of medicine.	0.005
	(b) Aid for construction of stop-walls.	0.005
	4. Miscellaneous:- Aid in case of fire and flood.	0.005
	Total-Welfare of Backward Classess.	0.271

1	2	3
	STATISTICS	
	Setting up of District Statistical Units.	0.018
	Total-statisticse.	0.018
	PUBLICITY	
	Field Publicity Division.	0.160
	Total-Publicity.	0.160
	Total Provision of all schemes for Tonk District.	41.699

ESTIMATED DISTRICTWISE EXPENDITURE ON VARIOUS SCHEMES INCLUDED IN THE FIRST FIVE YEAR PLAN.

S. No.	Name of District.	Agri. & Animal H.&V.Sc.	C. D. & N. E. S. & Local Dev.	Co-operation.	Irrigation,	Power	Roads	Education,	Water supply (Urban)	Water supply (Rural)	Medi. & Public Health.	L.I.G. Housing Scheme	Total Expdr
		NAME OF SCHEMES							(Rs. in lakhs)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Tonk	2.76	2.99	--	24.03	3.36	9.90	5.65	1,06	2.36	--	--	52.11

SECTORWISE EXPENDITURE INCURRED IN TONK DISTRICT

(Rs. in lakhs)

Name of the Sector	Expenditure incurred since April,56 to August '59'	Expenditure incurred during the month September, '59	October, '59'	Nov. '59'	December '59'
1. Agriculture	3.18	0.01	0.01	Neg.	N. R.
2. Consolidation of holdings	—	—	—	—	—
3. Animal Husbandry	0.28	Neg.	Neg.	—	N. R.
4. Co-operation	0.39	0.02	0.05	0.01	0.02
5. Forest & Soil Conservation.	1.36	0.05	0.02	0.02	0.03
6. Fisheries	Neg.	—	—	—	—
7. C. D-& N.E S.	16.78	0.38	0.71	0.35	0.35

1 2	3	4	5	6	7
8. Irrigation	30.17	0.21	0.49	0.47	N.R.
9. Power	3.04	0.07	0.16	0.04	0.06
10. Industries	2.39	0.06	0.04	0.04	0.10
11. Mineral development	—	—	—	—	—
12. Roads	17.63	0.05	0.25	N.R.	N.R.
13. Education.	N.R	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
14. Medical & Public Health	0.26	0.01	0.01	0.01	—
15, Ayurved	0.30	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
*16. Water supply	12.22	—	—	0.14	0.32
17. Housing	0.47	0.01	—	—	N.R.
18. Labour & Labour Welfare	0.19	0.01	0.01	0.02	0.01
19. Social welfare and Welfare of backward classes	0.31	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.

*This includes Rs. 2.70 lakhs spent during 1958-59 against the provision placed outside state Plan ceiligs.

1	2	3	4	5	6	7
20.	Publicity	0.03	Neg.	0.01	N.R.	N.R.
21.	Statistics	—	—	—	—	—
22.	Bhakra Mandies	—	—	—	—	—
23.	Tourism	—	—	—	—	—
24.	Others	—	—	—	—	—
	Total	89.85	0.88	1.76	1.10	0.89

Neg:—Negligible

R. R. :—Not reported

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २४६ का उत्तर देखिये)

SECTORWISE DETAILS OF IMPORTANT PHYSICAL TARGETS & ACHIEVEMENTS DURING SECOND FIVE YEAR PLAN PERIOD

Name of the Scheme.	Item	Unit	Total target (1956-61)	Achievement (since 1st April, 1956 to the end of Dec., 59)
1	2	3	4	5
I. AGRICULTURE & COMMUNITY DEVELOPMENT				
1. Agriculture.				
1. Construction of wells under Minor Irrigation scheme.	Wells constructed	Number	30610	22671 Upto November, 1659 only.
2. Reclaimation of land.	Area reclaimed	Lakh acres	0.17	1.68 Upto November, 1959 only.
3. Distribution of improved seeds.	Seeds distributed	,,	120.00	17.80 Upto November, 1959 only.
2. Consolidation of Holdings.				
1. Consolidation of Holdings.	Consolidation of area	Lakh Acres	10.00	7.67

1	2	3	4	5	6
		3. Animal Husbandry.			
1.	Opening of new veterinary hospitals & dispensaries.	(i) Dispensaries opened (ii) Hospitals opened	Number „	58	44
2.	Rinderpest eradication.	Incolation performed.	„	Not fixed	1199334
3.	All India Key Village Scheme.	Opening of key village Centres (Rural)	„	72	42
		4. Cooperation.			
1.	Share capital contribution to credit societies.	Contribution of share capital to			
		(i) Large size credit societies.	„	525	149
		(ii) Central Cooperarive Banks.	„	16	10
2.	Cooperative farming.	Organisation & strengthening of cooperative farming societies.	„	20	106

1	2	3	4	5	6
		5. Forest and Soil Conservation.			
1.	Commercial plantations.	Plantations.	Acres	5830	4155
2.	Industrial Plantations.	Plantations.	"	1000	1300
		5. Fisheries.			
1.	Fisheries Development.	Seeding of water.	Number of seeds Lakhs	100.00	20.99
		7. Community Development & National Extension Services			
1.	Opening of Blocks.	Opening of Blocks.	Number	Not fixed	137
		II. IRRIGATION.			
1.	Bhakra Project.	Irrigation.	000' acres	490.00	283.96
2.	Chambal Project.	Irrigation.	"	100.00	Work in progress.
3.	Jawai Project.	Irrigation.	"	40.00	20.92 Data till March, 1959 only.
4.	Minor Irrigation work.	Irrigation.	"	196.00	145.00 Data till March, 1959 only.

1	2	3	4	5	6
		III. POWER.			
1.	Chambal Hydel Schemes:				
	(a) Transmission system (Rajasthan)	(i) Routes servey on 132 KV transmission line.	Miles	430	310 Data till March, 1959 only.
2.	Development of Thermal power station & works connected.	a) Development of installed capacity to state owned power stations.			
		(i) Steam.	K. V.	19000	Data till March, 1959 only.
		(ii) Diesal.	K. V.	3404	1269 Data till March, 1959 only.
3.	Rural & Urban Electrification scheme.	(i) Development of installed capacity in state owned power stations.			
		(ii) Diesel.	K. V.	2391	350 Data till March, 1959 only.

1	2	3	4	5	6
		IV. INDUSTRIES & MINES.			
		1. Industries.			
1.	Handloom Development.	Establishment of Dying houses.	Number	24	19
2.	Wool development.	Blanket production cum-training centre, Jaipur.	Number of Blanket	27000	3136 Data upto September, 1959 only.
3.	Production cum training Centres.	Starting of Centres.	Number	51	37
		V. ROADS.			
1.	Construction of new roads.	Construction of new roads.	Miles	2543	1004 Data upto September, 1959 only.
2.	Improvement of existing roads.	Improvement of roads.	Miles	1830	1395 Data upto September, 1959 only.

1	2	3	4	5	6
		VI. SOCIAL SERVICES.			
		1. Education.			
1.	Opening of new single teacher primary schools.	Opening of Schoools	Number	5000	2625 Excluding 1960 schools opened under the Scheme "Relief to Educated unemployed."
2.	Employment of additional teachers for extension of single teacher primary schools.	Employment of additional teachers.	Number	2500	1800
3.	Raising of primary schools to middle standard.	Raising of schools	Number	250	391
4.	Raising of middle schools to secondary schools.	"	Number	50	125
5.	Raising of Inter Colleges to Degree standard.	Raising of colleges	Number	Not fixed	13
6.	Opening of polytechnics.		Number	4	2

1	2	3	4	5	6
		2. Medical & Public Health.			
1.	Opening of primary health Centres.	Opening of Centres.	Number	110	46
2.	Opening of family planning Centres.	,,	Number	175	40
3.	Opening of dental clinics.	Opening of clinics.	Number	19	10
		3. Ayurvedic.			
1.	Opening of Ayurvedic & Unani Dispensaries.	Opening of dispensaries	Number	341	141
		4. Water Supply.			
1.	Urban water Supply.	Completion of water supply schemes.	Nos.	49	4
2.	Rural water supply.	Construction of new wells.	Number,	1247	325 Data till March, 1959 only.
		5. Housing.			
1.	Industrial Housing.	Construction of tenements.	Number.	3351	1122

1	2	3	4	5	6
2.	Low Income Group Housing.	Houses constructed.	Number.	2900	2727 Data upto September, 1959 only.
		6, Labour & Labour Welfare.			
1.	Labour Welfare Centres.	Opening of Centres.	Number.	12	10
2.	Expansion of employment exchanges.	Opening of Exchanges	Number.	12	4
		3. Welfare of Backward Classes & Social Welfare.			
1.	Rehabilitation of Gadia Lohars.	Families rehabilitated	Number.	2000	461
2.	Welfare extension projects.	Opening of projects.	Number.	75	(17 original pattern 15 coordinated pattern.
					32

1	2	3	4	5	6
		IIV MISCELLANEOUS			
		1. Publicity.			
	Community listening Centres,	Purchase of radio set.	Number.	2700	900 Data upto March, 1959.
		2. Statistics.			
	Setting up of district statistical units.	Opening of district offices (Full fledged)	Nnmber.	22	5

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २४८ का उत्तर देखिये)

राजस्थान शासन

सामान्य प्रशासन (ख) विभाग

—:आज्ञा:—

विषय:—राष्ट्रभाषा हिन्दी को देवनागरी लिपि में समस्त राजकीय कार्यालयों में यथाशीघ्र प्रयोग में लाने के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक १३, अक्टूबर, १९५९

क्रमांक न. क. (८) सा. प्र. (ख) । ५८:—राज्य का सम्पूर्ण काम-काज राष्ट्रभाषा हिन्दी में यथाशीघ्र चालू करने में जो कठिनाइयां हों उनका परीक्षण कर निराकरण करने एवं अन्य उपयोगी सुझाव देने के लिये राज्य शासन ने जो हिन्दी समिति बनाई थी उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर राज्य शासन निम्नलिखित आदेश प्रदान करता है तथा समस्त अधिकारीगणों से अनुरोध करता है कि वे इन आदेशों को अपने आधीन समस्त विभागों में कार्यान्वित एवं अनुपालन किए जाने की व्यवस्था करें:—

१. अफसरों एवं कर्मचारियों को हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान कराने के लिये जिलों में कुछ समय के लिये प्रशिक्षण कक्षाएं चालू किए जाने के अनुक्रम में समस्त आयुक्त एक ऐसी तालिका उन समस्त कर्मचारियों की जिन्हें हिन्दी व्यावहारिक ज्ञान कराने के लिये प्रशिक्षत किया जाना है तैयार कर सामान्य प्रशासन (ख) विभाग को २५ अक्तूबर, १९५९ तक भिजवाये जाने की व्यवस्था करें। इस तालिका में निम्न प्रकार के कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया जाना है:—

(१) ऐसे कर्मचारी जो इस समय हिन्दी में काम कर रहे हैं, चाहे उन्हें हिन्दी का ज्ञान मैट्रिक स्तर तक का न हो।

इसके अतिरिक्त एक ऐसी तालिका भी तैयार कर अलग से भेजेंगे जिसमें निम्न प्रकार के कर्मचारियों की जानकारी दी जाए:—

(१) ऐसे कर्मचारी जिनकी आयु ५० वर्ष से अधिक हैं और जिन्हें हिन्दी का सम्यक् ज्ञान है।

(२) ऐसे कर्मचारी जिनकी आयु ५० वर्ष से अधिक है और जिन्हें हिन्दी का सम्यक् ज्ञान नहीं है।

२. (क) अहिन्दी भाषी कर्मचारी एवं अफसर दिनांक ३१-१२-६० तक मैट्रिक कक्षा के स्तर की हिन्दी परीक्षा पास करेंगे और ऐसा कर लेने पर उन्हें एक वेतन वृद्धि (एडवान्स इन्क्रीमेंट) दी जायगी और ऐसा न करने पर उनकी आयन्दा तरक्की (नॉर्मल ग्रेड इन्क्रीमेंट) परीक्षा पास करने तक रुकी रहेगी।

दिनांक ३१-१२-६० को प्रत्येक राजपत्रित (गजटेड) एवं अराजपत्रित (नॉन गजटेड) कर्मचारी अपने अपने विभागीय अध्यक्षों से प्रमाणित करवा कर एक ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनको मैट्रिक कक्षा के स्तर का हिन्दी का ज्ञान है। असाधारण कारणों से कुछ गैर हिन्दी-भाषा-भाषी अफसर एवं कर्मचारी यदि दिनांक ३१-१२-६० तक हिन्दी न सीख पाएंगे तो उनकी तरक्की (नॉर्मल इन्क्रीमेंट) न रोकने की आज्ञा सरकार दे सकती है।

२. (ख) सरकारी नियुक्तियों में हिन्दी की मान्य परीक्षाओं को भी (मैट्रिक व बी. ए. जैसी योग्यताओं के समान) नियुक्ति के लिये मान्य माना जायगा।

समस्त नवीन कर्मचारियों के लिये, चतुर्थ-श्रेणी कर्मचारियों को छोड़ कर, हिन्दी का ज्ञान होना जरूरी होगा। नियुक्ति के बाद परिविधि काल (प्रोबेशन पीरियड) के भीतर हिन्दी में मैट्रिक कक्षा के स्तर की परीक्षा प्रत्येक कर्मचारी को पास करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उसे नौकरी से अलग किया जा सकता है।

यह आदेश डैपुटेशन पर आये हुए अफसरों व कर्मचारियों पर तथा आई. ए. एस., आई. पी. एस. काडर के अफसरों पर, उनकी सेवाओं की शर्तें भिन्न होने के कारण लागू नहीं होंगे किन्तु डैपुटेशन पर आये हुए आई. ए. एस व आई. पी. एस., के अफसरों को छोड़कर इन सेवाओं के अफसर जो राजस्थान काडर पर हैं उन्हें विभागीय परीक्षा के साथ साथ हिन्दी की जानकारी के लिए हिन्दी में एक प्रश्न-पत्र में उतीर्ण होना अनिवार्य होगा।

३. नये व पुराने कर्मचारीगण जिन्होंने यदि मैट्रिक स्टेन्डर्ड की परीक्षा के समकक्ष कोई हिन्दी परीक्षा अब भी पास कर रखी हो तो उनके पद एवं वेतन वृद्धि नहीं रोकी जायं।

४. (क) ३१-१२-६० तक अहिन्दी भाषी प्रान्तों के अंग्रेजी शीघ्र लेखकों को हिन्दी शीघ्र लेखन एवं मुद्रलेखन में परीक्षा पास कर लेने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जायं।

४. (ख) ३१-१२-६० तक अहिन्दी भाषी प्रान्तों के अंग्रेजी मुद्रलेखकों को हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा पास कर लेने पर एक वेतन-वृद्धि दी जाय।

४. (ग) ३१-१२-६० तक हिन्दी भाषी प्रान्तों के शीघ्रलेखकों को हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन की एवं मुद्रलेखकों को हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा पास करने पर एक अग्रिम वेतन-वृद्धि (एडवान्स इन्क्रीमेंट) दी जाय।

(हिन्दी भाषी प्रान्त राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य-प्रदेश, बिहार तथा हिमाचल प्रदेश माने गये हैं)

५. भविष्य में जितने अंग्रेजी शीघ्रलेखक नियुक्त किए जायं उन्हें हिन्दी शीघ्र-लेखन एवं मुद्रलेखन तथा जितने अंग्रेजी मुद्रलेखक नियुक्त किए जांय उन्हें हिन्दी मुद्रलेखन जानना जरूरी होगा।

६. सभी विभागों में आवश्यकतानुसार हिन्दी मुद्रणयन्त्र उपलब्ध किये जाने की व्यवस्था सामान्य प्रशासन (ख) विभाग द्वारा शीघ्रातिशीघ्र कर दी जायगी।

७. भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई प्रशासन शब्दावलियां तथा उत्तर प्रदेश में प्रचलित मार्गदर्शिका प्रचुर संख्या में प्राप्त कर सामान्य प्रशासन (ख) विभाग द्वारा सभी विभागों में उनकी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कर दी जायंगी। सभी विभाग अपनी अपनी आवश्यकता सामान्य प्रशासन (ख) विभाग को तत्काल भेज दें। सामान्य प्रशासन (ख) विभाग उत्तर प्रदेश में प्रचलित मार्गदर्शिका की अनुपूर्ति के लिए एक और अनुपूरक मार्गदर्शिका तैयार करवाने की कार्यवाही कर रहा है।

८. (क) भविष्य में सचिवालय तथा विभागीय अध्यक्षों के स्तर से परिपत्र, विज्ञप्तियां, आज्ञाएं, विज्ञापन, संशोधन एवं शुद्धिपत्र यथासंभव हिन्दी में ही प्रसारित किये जायं। यदि कोई पत्र भारत सरकार व अन्य राज्यों से अंग्रेजी में ही प्राप्त हो तो उसकी प्रतियां बिना अनुवाद किये अर्थात् अंग्रेजी में ही भेज दी जायं, किन्तु उनका उत्तर यथासंभव हिन्दी में ही आना चाहिये। इस कार्य के लिये अलग से अनुवादकर्ताओं की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।

८. (ख) समस्त विभागों में फाइलों में टिप्पणी (नोटिंग) हिन्दी में ही लिखी जायं।

९. भविष्य में राज्य का कोई विभाग किसी गैर सरकारी (व्यक्ति) को इस राज्य में अंग्रेजी में पत्र नहीं लिखेगा। अंग्रेजी का पत्र केवल उसी दशा में लिखा जावेगा जब कि कोई पत्र कानूनी ढंग का होना आवश्यक होगा ?

१०. जिस आदेश का पालन ब्लाक स्तर के नीचे के अफसरों व कर्मचारियों द्वारा करना होगा वे सब आदेश ब्लाक स्तर के नीचे हिन्दी में ही किये जायेंगे।

११. अन्य राज्यों से, जहां तक हो सके, पत्र व्यवहार हिन्दी में ही करने के लिये ठहराव की व्यवस्था सामान्य प्रशासन (ख) विभाग द्वारा शीघ्रातिशीघ्र की जानी है।

१२. सचिवालय में योजना विभाग, अर्थ विभाग जिनका सम्बन्ध भारत सरकार व महालेखापाल से अधिक रहता है एवं इसी प्रकार विभागों की अनुसंधान सम्बन्धी शाखाओं में व उन शाखाओं में जहां प्राविधिक प्रकार (टैक्नीकल नेचर) का काम होता है उस समय तक अंग्रेजी में ही काम करते रहना पड़ेगा जब तक कि उनमें हिन्दी का प्रयोग आरम्भ न हो जाय।

१३. हाईकोर्ट के फैसले अंग्रेजी में लिखे जाने को छोड़ कर राजस्व मण्डल के फैसले एवं हाईकोर्ट तथा राजस्व मंडल के नीचे के न्यायालयों में हिन्दी में फैसले लिखे जाय।

१४. राज्य के समस्त विभागों में १९६० के वित्तीय वर्ष के आरम्भ से (दिनांक १-४-६० से) सम्पूर्ण काम काज हिन्दी में किया जाय।

बी. मेहता,
मुख्य सचिव।

———

क्रमांक न. क. (८) सा प्र. (ख) । ५८ दिनांक १३ अक्टूबर, १९५९

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को प्रेषित है:—

१. सचिव, राज्यपाल जयपुर।

२. सचिव, मुख्य मन्त्री।

३. समस्त निजी सचिव, मन्त्रीगण एवं उपमन्त्रीगण।

४. शासन के समस्त सचिव, उप-सचिव, सहायक सचिव एवं अन्य अधिकारीगण।

५. सचिवालय के समस्त विभाग एवं शाखाएं।

६. समस्त विभागीय अध्यक्ष।

७. मुख्य अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को आगामी राज-पत्र में प्रकाशनार्थ।

८. महालेखापाल, राजस्थान, जयपुर।
प्रतिलिपि :—

१. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

२. सचिव, राजस्थान जन सेवा आयोग, अजमेर।

३. निबन्धक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

मदनमोहन वली,
उप-सचिव।

परिशिष्ट '४'

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २४६ का उत्तर देखिये)

The Education Code.

CHAPTER XX

Permission for appearing at Public Examinations :—

The following are the rules for the grant of permission to teachers, Inspecting officers and the Ministerial staff of the Department:—

1. Permission to appear at the Public examinations may be granted to teachers each year on the recommendation of the Head of the institution concerned in case the candidates for the said examination is likely to become more efficient and useful in respect of his duties in relation to the department after passing the Public examination for which he seeks permission.

2. No permission shall be granted to a teacher or an Inspecting officer for appearing at the LL. B. Examination or any other examination in law.

3. (a) Not more than 20% of the members of staff of an institution shall be permitted to appear at the examination.

(b) As regards single teacher schools the permission shall be granted at the maximum rate of 20% of the total number of teachers in all such schools in an Inspectorate.

4. The above permission may be granted to a teacher in case his work and conduct have been entirely satisfactory, and in giving such permission preference shall be given to those who have not been granted permission in the previous session. In the case of Intermediate Colleges and High Schools preference will also be given to the candidates offering subjects useful for the institution concerned. In case of previous and final examination for University Degrees such as M. A., M. Com., M. Sc. etc. permission will necessarily be given in case a candidate has passed the previous examination in the preceding year, other things remaining the same and without any prejudice to other rules on the subject.

5, No leave shall be granted in connection with the examination except for the period of the examination and if necessary for transit also. The leave will be sanctioned subject to title on production of the programme of the examination concerned by the applicant.

6. Permission shall be given only to confirmed teacher who have put in at least two years approved and continuous services.

7. Officiating or temporary teachers or those on probation shall not be permitted to appear at the public examination, but in very special cases the Director may grant such permission on the merits of an individual case which shall not form a precedent.

8. Teachers permitted to appear at any public examination shall not undertake any private tuition during the session preceeding the examination as also shall not diminish their interest and show slackness in the discharge of their duties, in respect of both curricular and co-curricular activities of their institutions.

9. Permission to inspecting officers and ministerial staff shall be granted at the discretion of the Director and the immediate officers concerned respectively.

10. In the event of the sanctioning authority being satisfied that any of the conditions laid down under these rules has been violated the permission already granted may be withdrawn at any time.

11. (1) Application to appear at a Public examination should be submitted in the proper from (Appendix X) and must reach the sanctioning authority through proper channel by the 15th of August, each year. So far as possible orders in respect of the grant of permission should be passed by the 31st August of same year at the latest.

(2) Heads of institutions should submit all the applications with regard to their institution in single lot and not piecemeal, along with a consolidated statement in the proper form (Appendix XI). The Inspectors of schools should submit all the applications in respect of all the schools in their jurisdiction requiring sanction of their superior authority along with a consolidated statement in the proper form.

12. The sanctioning authority with regard to the permission shall be as follows:—

1. Professor & Lecturers in Degree & Post Graduate Colleges.	Head of the Institution.
2. Principal, Lecturers & Teachers of Intermediate Colleges.	Director of Education.
3. Headmaster and Assistant Teacher Training & High Schools.	Dy. Director of Education.
4. Inspecting Officers,	Director of Education.
5. Headmasters of Middle and Primary Schools and Assistant Teachers of High, Middle and Primary Schools.	Inspetor of School.

Copy of circular No. EDB/PER/(C)/26/3614/58 dated the 3rd. October, 1958, from the Director of Education, Rajasthan, Bikaner.

In this office order No. EDR/Per/C/3614/58, dated 10th Sept., 1958 covering the proceedings of the conference of Dy. Directors of Education held in this office on 26/9/58 it was laid down among other things, that candidates who failed to join the training course be penalised by with-holding permission to appear at any examination for two years.

Rule 4 of the rules for permission to appear at Public examination (Chapter XX of the Education Cade) lays down that in case of previous and final examination for university degrees such as M. A., M. Com., M. Sc., etc. permission will necessariiy be given incase a candidate has passed the previous examination in the preceeding year other things, remaining the same and without any prejudice to other rules on the subject.

In view of Rule as quoted and in view of the fact that the candidates who have passed the previous M. A., M. Com., M. Sc., ets will be hard hit if they are debarred to appear at the final examination, it is hereby ordered that in case of final examination, the order with-holding permission for two years will operate form the passing of the final examinotion will be given in accordance with Rule 4 as quoted above.

Copy of circular No. EDB/Estt (G) / 7894 (58) dated 11th Oct., 1958, from the Director of Education, Bikaner.

Rule 6 of the rules for permission to oppear at a public Examination (Chapter XX of the Education Code) lays down that permission shall be given, only to confirmed teachers who have put in at least two years' approved and continuous service. Rule 7 ibid empowers the Director of Education to grant permission to officiating or temporary or those on probation to appear at public examinations in special cases on the merits of individual cases, which shall not form a precedent.

The minimum qualification for a teacher is Matriculation/High School Examination which is insisted upon by the Department with a view to get all the unqualified teachers qualified, it is hereby ordered that the Dy. Directors of Education and the Assistent Directors of Education (Women) may consider cases of non-Matriculate teachers and allow them to appear at the Matriculation/High School Examinations, irrespective of the period of two years service and the temporary nature of the service; provided they are working against the permanent posts and are not liable to be discharged at the end of the session and provided further that they fulfil other conditions for permission and get confirmation from this office on the form prescribed for permission to appear at Public examination.

The institution under the direct control of this office will send such cases to this office,

———

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २५७ का उत्तर देखिये)

STATEMENT OF EXPENDITURE UNDERHEADF.-COMMISSIONERS 1956-57

Name of Division	Pay of Officer	Pay of Establihment	Travelling Allowance.	Dearness Allowance.	Other Charges.	Surplus Staff.	Total.
1. Jaipur N Ajmer	43,325	1,02,183	10,212	40,108	13,033	16,824	2,25,685
2. Jodhpur.	33,343	98,393	5,969	26,108	10,584	—	1,74,397
3. Bikaner.	25,633	64,375	6,749	16,950	18,438	—	1,32,145
4. Kota.	25,950	44,565	5,056	13,746	27,682	433	1,17,432
5. Udaipur.	32,327	58,802	5,827	16,555	18,316	—	1,31,827
Total	1,60,578	3,68,312	33,813	1,13,467	88,053	17,257	7,81,486

STATEMENT OF EXPNEDITUEE UNDNR HEAD F.-COMMISSIONERS 1957-58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ajmer.	67,708	1,01,893	13,157	44,419	28,185	—	2,55,362
2.	Jodhpur.	40,079	1,04,739	8,171	29,205	12674	—	1,94,868
3.	Bikaner.	31,661	67,215	8,248	18,339	7,331	—	1,32,794
4.	Kota.	25,863	42,119	4,810	15,297	8,274	—	96,363
5.	Udaipur.	31,932	59,694	4,993	17,157	7,986	—	1,21,762
	Total	1,97,243	3,75,660	39,379	1,24,417	64,450	—	8,01,149

STATEM ENT OF EXPENDITURE UNDER HEAD F.-COMMISSIONER 1958-59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ajmer.	68,033	76,795	15,475	32,962	30,103	17,254	2,40,622
2.	Jodhpur.	45,443	1,01,327	9,584	32,352	15,347	—	2,04,553
3.	Bikaner.	40,092	60,677	12,721	20,313	6,087	—	1,39,890
4.	Kota.	27,398	43,792	5,099	16,664	25,734	—	1,19,187
5.	Udaipur.	33,510	65,383	5,640	19,444	10,188	—	1,34,195
	Total	2,15006	3,47,974	48,519	1,22,235	87,459	17,254	8,38,447

STATEMENT SHOWING THE EXPENDITURE AND REASONS FOR VARIATIOQS UNDER EACH PRIMRY UNIT IN RESPECT OF AJMER DIVISION

AJMER DIVISION

PRI MARY UNIT	1956-57	1957-58	1958-59	REASONS
Pay of Officers.	43,325	67,708	68,033	During 1957-58 an increase in Pay of Officer is due to increase in the salary of the Commissioner and creation of the post of additional Commissioner at Ajmer.
Pay of Establishment.	1,02,183	1,01,893	76,795	The increase during 1958-59 is nominal and is due to normal increment. During the year 1956-57 and 1957-58 the expenditure was heavy on account of arrears paid by fixation of Pay in the Unified and Rationalised Pay Scales. During the year 1958-59 no such arrears were paid, and hence decrease.
Allowance and Honoraria.	40,108	44,419	32,962	-do-

1	2	3	4	5
Travelling Allowance.	10,212	13,157	15,475	
Other Charges.	13,033	28,185	30,102	Increase during the 1957-58 and 1958-59 was due to more telephone charges-Service postage, Light and water charges, and rent for accommodation.
Surplus Staff.	16,824	-	17,254	
Total	2,25,685	2,55,362	2,40,622	

STATEMENT SHOWING THE EXPENDITURE AND REASONS FOR VARIATIONS UNDER EACH PRIMARY UNIT IN RESPECT OF JODHPUR DIVISION

JODHPUR DIVISION

Primary unit	1956-57	1957-58	1958-59	REASONS.
Pay of Officers.	33,343	40,079	45,443	
Pay of Establishment.	28,393	1,04,739	1,01,327	
Allowance and Honoraria.	26,108	29,205	32,852	
Travelling Allowances.	5,969	8,171	9,584	
Other Charges.	10,584	12,674	15,347	
Surplus Staff.	–	–	–	
Total	1,74,397	1,84,868	2,04,553	

N B: The variations under all primary units are normal.

STATEMENT SHOWING THE EXPENDITURE AND REASONS FOR VARIATIONS UNDER EACH PRIMARY UNIT IN RESPECT OF BIKANER DIVISION.

BIKANER DIVISION

Primary Unit	1956-57	1957-58	1958-59	Reasons.
Pay of Officer.	25,633	31,661	40,092	During 1957-58 an increase is due to increase in salary of the Commissioner and during 1958-59, the increase is due to the creation of the post of Additional Commissioner.
Pay of Establishment.	64,375	67.215	60,677	During the year 1956-57 and 1957-58 the expenditure was heavy on accont of arrears paid by fixation in the unifed pay scales and Rationalised pay Scales. During the year 1958-59, no such arrears were paid.
Allowance & Honoraria.	16,950	18,339	20,313	Increase is due to the creation of the post of the Additional Commissioner etc.

1	2	3	4	5
Travelling Allowance.	6,749	8,248	12,721	Nominal increase is due to more touring in connection with Colonisation work.
Other Charges.	18,438	7,331	6,087	The expenditure during 1956-57 was more on account of purchase of Hindi type-writers
Surplus staff.	–	–	–	
Total	1,32,145	1,32,794	1,39,890	

STATEMENT SHOWING THE EXPENDITURE AND REASONS FOR VARIATIONS UNDER EACH PRIMARY UNIT IN RESPECT OF KOTA DIVISION.

KOTA DIVISION.

Primary Unit	1956-57	1957-58	1958-59	Reasons
Pay of Officers.	25,950	25,863	27,898	The variations are nominal
Pay of Establishment.	44,565	42,119	43,792	-do-
Allowances & Honoraria.	13,746	15,297	16,664	-do-
Travelling Allowances.	5,056	4,810	5,099	-do-
Other Charges.	27,682	8,274	25,734	During tl e year 1956-57 and 1958-59 variations on account of purchase of type-writers and maintenance of boats respectively.
Surplus Staff.	433	-	-	
Total	1,17,432	96,363	1,19,187	

STATEMENT SHOMING THE EXPNDITURE AND REASONS FOR VARIATIONS UNDER EACH PRIMASY UNIT IN RESPECT OF UDAIPUR DIVISION.

Primary Unit	1956—57	1957—58	1958—59	Reasons,
Pay of Officers.	32,327	31,932	33,540	The variations are normal.
Pay of Establishment.	58,802	59,694	65,383	-do-
Allowances and Honoraria	16,555	17,187	19,444	-do-
Travelling Allowances.	5,827	4,993	5,640	-do-
Other Charges.	18,316	7,986	10,188	During the year 1956-57 more expenditure under other charges was on account of purchase of Hindi type-writers.
Total	1,31,827	1,21,762	1,34,195	

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६४ का उत्तर देखिये)

सूची 'अ'

समाज कल्याण विभाग में सन् १९५१-५२ से १९५९-६० तक हुए खर्चे का विवरण

क्रम संख्या	वर्ष	व्यय
१.	१९५१-५२	६,८८,९५७
२.	१९५२-५३	१०,१२,०६६
३.	१९५३-५४	१३,२६,५४२
४.	१९५४-५५	२३,६८,३६५
५.	१९५५-५६	४०,०७,२५८
६.	१९५६-५७	४२,३२,३६९
७.	१९५७-५८	४६,०३,४८३
८.	१९५८-५९	६८,००,४१८
९.	१९५९-६० (दिसम्बर तक)	३३,७२,७६८
		२,८४,४२,२२६

सूची 'ब'

समाज कल्याण विभाग के प्रशासनिक एवं टी. ए. आदि कुल खर्चे की सन् १९५४-५५ से १९५९-६० तक की सूची

क्रम संख्या	वर्ष	खर्चा
१.	१९५४-५५	१,३२,४३४
२.	१९५५-५६	२,१२,०६०
३.	१९५६-५७	३,८७,४२६
४.	१९५७-५८	४,४७,२३१०
५.	१९५८-५९	४,७६,२६३
६.	१९५९-६० (दिसम्बर तक)	३,१२,६०५
		१६,७१,३५२

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २३७ का उत्तर देखिये)

REPORT OF DISTT. ANIMAL HUSBANDRY OFFICER,SIKAR.

As requested by the S. D. M. Neemkathana while I was attending his court in connection with a Madicolegel case, I conducted an enquiry on the matter under reference on 2nd June, 1958, and recorded statements from Shri Dewaki Bhagat A. H. E. O (Animal Husbandry Extension Officer) and Shri Bhabuta Ram, Stockman of C. D. Block Neemkathana to find out the cause of death of some 15 sheeps, it was alleged, died after treatment against Haemonchosis.

From the statements furnished by them and from all that they have said in reply to my queries, I am of the opinion that the cause of death of the animals was "Copper Poisoning" due to miscalculation of quantity of the drug administered and of the dose prescribed to each animal to cure the ailment. It was purely an "accident" and not intentional. The medicine was given with good faith to effect cure but it proved fatal due to the mistake committed.

An official warning is being issued to the concerned Officers to be very careful in future to avoid such occurance while dealing with epidemic or such other diseases. The complant may be explained the whole affair clearly.

Sd/D. K. Chakravarty.
Distt. Animal Husbandry Officer,
Sikar.

Nc. 67/8/F. 23/58 Dated Sikar, the 6th June, 58.

Cooy to the block Development Officer, C. D. Block Neemkathana, for information and necessary action. The A. H. E, O .and the stockman of the Block may kindly be instructed not to commit such a serious mistake in future and work with great care.

Sd/-Distt. Animal Husbandry
Officer, Sikar.

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक ७ मार्च, १९६०)

स्कम्भ संख्या	पृष्ठ संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
१५९७	९	विधुत, यातायात	विद्युत, यातायात
,,	११	में भतियां	में भर्तियां
,,	१२	डॉ० ब्हादुरसिह	डॉ० बहादुरसिंह
१६००	अन्तिमसे७	श्री शकरलाल	श्री शंकरलाल
१६०१	१३	सुमेल तहसाल	सुमेल तहसील
१६०२	२० व २८	अन्तरर्कालीन	अन्तर्कालीन
१६०३	१,१५ व २०	,,	,,
१६०६	अन्तिम	श्र पी० के० चौधरी	श्री पी० के० चौधरी
१६११	२१	जो भूतपूव	जो भूतपूर्व
,,	अन्तिम से ३	रिपर्ट दे दी	रिपोर्ट देदी
१६१२	२२	Correct	Is it correct
१६१३	४	no say	not say.
,,	१२	१–०५ हजार	१०–५ हजार
,,	१५	hat	that
१६१५	६	अपनी ततीय	अपनी तृतीय
,,	१२	खच की	खर्च की
,,	२३	(plan srane)	(Plan frame)
१६१८	२३	तो फिगस	तो फिगर्स
१६१९–२०	शीर्ष	–७ माच, ६०	–७ मार्च, ६०–
१६२७–२८	,,	–७ गर्च, ६०	–७ मार्च, ६०–
१६३०	१६	जता है	जाता है
१६३३	४	१ ७ परिवार	१७ परिवार
१६३६	शीर्ष	प्रतिवेदन का उपस्थापन	तारांकित प्रश्नोत्तर
१६३७–३८	,,	मार्च, ६०	७ मार्च, ६०
१६४९	६	श्री पी० के० चाधरी	श्री पी० के० चौधरी
१६५२	प्रथम	मान लीए	मान लीजिए
,,	अन्तिम	Heis a	He is a
१६५४	१८	पब्लिक के	पब्लिक के
१६६०	अन्तिम से ३	समात has	समिति has
१६६१	९	सुझाव है	सुझाव है
१६६५–६६	शीर्ष	–० मार्च	–७ मार्च
१६६५	अन्तिम	देकर....आर	देकर मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं और
१६७६	शीर्ष	सम्बन्धीं संक	सम्बन्धी संकल्प

(२)

१	२	३	४
१६८३	२१	तीन आर्टिकलर	तीन आर्टिकल्स
१६९३	२४	इलिए	इसलिए
१६९४	५	रखे,वह	रखे वह
,,	६	पर्सेनलिटी	पर्सोनेलिटी
,,	१०	इस सम्बन्घ	इस सम्बन्ध
१६९५	१३	ऑफिसस का	ऑफिसर्स का
१७००	६	मेम्बर्स की	मेम्बर्स को
१७०१	११	ब्युरोक्रेसी	ब्युरोक्रेसी
१७०२	२७	रहेगे और	रहेंगे और
१७०४	४	क्या, इसलिए	क्या इसलिए
,,	१३	पावार्स	पॉवर्स
१७०७	अन्तिम से ६	department	Departmental
१७२४	१७	एक्सपर्टस	एक्सपर्ट्स
१७२५	२२– ३३	वैसा हीही चलता	वैसा ही चलता
१७२७	४	जो जिले	जो जिला
१७२९	३	सवाल	सवाल
१७३३	६ व १०	डिमार्टमेंल	डिपार्टमेंटल
१७४१	१०	एस्टिमेटस	एस्टिमेंट्स
१७४५	शीर्ष	कलेक्टी	कलेक्टरी
१७५०	२५	उद्द्श्य	उद्देश्य
१७५२	१८	यह नान	यह भान
१७५६	१६	क्या । है ?	क्या है ?
१७५९	शीर्ष	श्र जुगलकिशोर	श्री जुगलकिशोर
१७६५	१०	समयसु समाप्ति	समय समाप्ति
१७६८	१७	हनता का	हीनता का
१७८२	अन्तिम से ३	खुद पीरल्स	खुद पीपल्स
१७९०	शीर्ष	संम्ल्प	संकल्प
१७९१–९२	शीर्ष	७ मार्च, ६०	७ मार्च ६०
१७९१	१४	कइ मास्टर	कई मास्टर
१७९७	८	इ हमें	इसे हमें
१८०५	शीष	श्रीपूनमचंद	(श्री पूनमचन्द
१८१३–१४	शीर्ष	माच, ६०	७ मार्च, ६०
१८२४	शीर्षक "Roads" का सीरियल ३	Roass	Roads.